

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर याचिका (हिन्दी रूपांतरण)

द्वारा:-

मध्य प्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
शक्ति भवन, रामपुर, विद्युतनगर, जबलपुर



मध्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ब्लॉक क्र.-7, शक्ति भवन, रामपुर, विद्युतनगर, जबलपुर



मध्य पूर्व पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
जीपीएच कम्पाऊन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर



मध्य पूर्व पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल



Disclaimer (अस्वीकृति): वित्तीय वर्ष 2018-19 की सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर याचिका का यह हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिये किया गया है। इस रूपांतरण से संबंधित किसी भी विषय के भावार्थ तथा आंकड़ों की सत्यता पर भ्रम अथवा विवाद की स्थिति में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई मूल अंग्रेजी याचिका ही मान्य होगी।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष

याचिका क्रमांक... /2018

- (1) म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर जबलपुरयाचिकाकर्ता
- (2) मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुरयाचिकाकर्ता
- (3) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कम्पाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौरयाचिकाकर्ता
- (4) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपालयाचिकाकर्ता

विषय में:-

“म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आर.जी – 35 (ii) 2015 क्रमांक 2256 – एमपीईआरसी, 2015 दिनांक 17/12/2015)” जो माननीय आयोग के पत्र क्र. 2265 दि. 18.12.2015 के द्वारा एम.पी.पी.एम.सी.एल. को सूचित किया गया, के अनुसार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक के लिए वितरण एवं खुदरा विद्युत प्रदाय व्यापार हेतु एवं वर्ष 2017-18 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता प्रतिवेदन म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, वितरण अनुज्ञसिध्धारी म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत करने विषयक।

उपरोक्त याचिकाकर्ता, आदरपूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं कि :-

- म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, (यहां और इसके बाद याचिकाकर्ता, म.प्र.पॉवर मै.कं.लि., कंपनी या अनुज्ञसिध्धारी के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अन्तर्गत हुआ है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं. 11, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर में स्थित है।
- म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.’, ‘कम्पनी’ या ‘अनुज्ञसिध्धारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अन्तर्गत हुआ है एवं जिसका

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक क्रमांक 7, शक्तिभवन, विद्युत नगर, जबलपुर में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध पांचवें में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञासिधारी ‘माना गया’ है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल संभाग हैं।

3. म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म॰प्र॰ म. क्षे॰वि॰वि॰कं॰लि॰’, ‘कम्पनी’ या ‘अनुज्ञासिधारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय निष्ठा परिसर, बिजली नगर कालोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध पांचवें में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञासिधारी ‘माना गया’ है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा चंबल संभाग हैं।
4. म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म॰प्र॰प॰ क्षे॰वि॰वि॰कं॰लि॰’, कम्पनी’ या ‘अनुज्ञासिधारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी आधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय जी.पी.एच.पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर म.प्र. में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध पांचवें में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञासिधारी ‘माना गया’ है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की इन्दौर तथा उज्जैन संभाग हैं।
5. मध्य प्रदेश शासन (“जी.ओ.एम.पी” या “राज्य शासन”) के आदेश क्रमांक 3679-एफ आर एस-18-13-2002 दिनांक 31 मई 2005, जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2005 में प्रकाशित हुआ है, के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (‘म.प्र.रा.वि.मं. अथवा ‘मण्डल’) के द्वारा किये जाने वाले उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं विद्युत के खुदरा प्रदाय के दायित्वों एवं कार्यों को पुर्णगठित कर पांच कम्पनियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु हस्तांतरित कर दिया है। यह पांच कम्पनियां निम्नानुसार हैं:-

 - i. म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म॰प्र॰ जेनको)
 - ii. म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म॰प्र॰ ट्राँसको)
 - iii. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)
 - iv. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)
 - v. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.)

6. उक्त आदेश दिनांक 31/5/2005 के अनुसार 1 जून 2005 से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं पांचों कंपनियों के बीच स्थापित संचालन एवं प्रबंधन के करार समाप्त हो गए हैं। उक्त तिथि से तीनों

विद्युत वितरण कंपनियों यथा पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र ने अपने-अपने अनुज्ञासि क्षेत्र में विद्युत वितरण अनुज्ञासिधारी की हैसियत से स्वतंत्र कार्य संचालन आरम्भ कर दिया है, तथा उक्त तिथि से आदेश में निहित 'नगद प्रवाह तंत्र' (कैश फ्लो मैकेनिज्म) को छोड़कर, वे अब न तो मण्डल की तरफ से और न ही उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है।

7. मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 3 जून 2006 को मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 23 (उपधारा (1), (2) तथा (3)) तथा धारा 56 की (उपधारा (2)), सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) तथा (7) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के थोक क्रय एवं थोक विद्युत प्रदाय संबंधी दायित्वों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों तथा बाध्यताओं को राज्य सरकार को अंतरित कर निहित कर दिया तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें म. प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी (ट्रेडको) को पुनः अंतरित और पुनः निहित कर दिया गया। तभी से मध्य प्रदेश ट्रेडको द्वारा विद्युत के थोक क्रय तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, के विद्युत प्रदाय संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन किया गया जिसमें याचिकाकर्ता कम्पनी भी शामिल है। अधिसूचना क्रमांक 3474 /एफआरएस/17/तेरह/2002 दिनांक 3 जून 2006 के द्वारा गया "मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अंतरण योजना नियम 2006" (अंतरण योजना नियम) अधिसूचित किया ।
8. म.प्र.शासन के निर्णयानुसार म.प्र.पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का नाम बदलकर म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, किया गया है । म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी तीनों वितरण कंपनियों, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, की होल्डिंग कंपनी है । कुछ कार्यकलाप एवं शक्तियां जो पूर्व में म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल को प्राप्त थी, याचिकाकर्ता (म.प्र.पा.मै.कं.लि.) को प्रदान की गई है । रजिस्ट्रार आफ कंपनी म.प्र.के द्वारा नामांतरण के पश्चात इस आशय का प्रमाण पत्र 10.04.2012 को जारी किया गया है ।
9. म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, को वितरण कंपनियों की टैरिफ याचिका एवं उससे संबंधित कार्यवाहियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने एवं अन्य गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । उपरोक्त हेतु म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा म.प्र.की तीनों वितरण कंपनियों से "प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों से संबंधित" अनुबंध किया गया है ।
10. 5 जून 2012 को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ने राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों से "प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों हेतु अनुबंध" पर हस्ताक्षर किया है। इस अनुबंध में समान प्रकृति के निम्नलिखित कार्यों हेतु आपसी सहमति व्यक्त की गयी है :-

 - नियामक आयोग के विनियम के अनुसार तीनों वितरण कंपनियों से चर्चा कर उनकी विद्युत आवश्यकताओं का आंकलन एवं लम्बी अवधि/ मध्यम अवधि/ लघु अवधि की विद्युत योजना बनाना एवं विद्युत खरीदी की संभावनाओं का पता लगाना ।
 - म.प्र. सरकार की अधिसूचना के अनुसार एवं भविष्य में इस हेतु प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुरूप खुदरा टैरिफ आदेश के अनुसार तीनों वितरण कंपनियों को विद्युत का आवंटन करना।

- बिजली की आर्थिक, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी लघु एवं मध्यम अवधि खरीदी करना एवं राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विद्युत, यदि कोई है तो, का विक्रय / बैंकिंग ।
 - दीर्घकालीन एवं मध्यम अवधि के बिजली खरीदी के अवसर तलाष कर बिजली खरीदी के लिए आपसी खरीदी समझौतों को अंतिम रूप देना।
 - म.प्र. पावर मैनेजमेंट क. लि. के खर्चों को तीनों वितरण कंपनियों की विद्युत खरीदी लागत के एक हिस्से के रूप में को शामिल किया गया है।
11. उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता (एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियां), विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 एवं 62 (1) (डी) में निहित प्रावधानों तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम में निहित प्रावधानों के तहत अपने वितरण एवं खुदरा विद्युत प्रदाय व्यवसाय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दर निर्धारण हेतु वर्तमान याचिका प्रस्तुत कर रही है।
 12. एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वर्तमान सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) याचिका दायर करने के दौरान प्रचलित विनियम के तहत विभिन्न कानूनी एवं विनियमक निर्देशों तथा लागू प्रावधानों सहित माननीय आयोग द्वारा “आयोग के व्यापार नियमों”, दिशा निर्देशों, पूर्व ए॰आर॰आर॰ एवं दर आदेशों और म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (दर निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्ती) विनियम 2015 (जो आगे “विनियम” अथवा ”रेग्यूलेशन” से निर्दिष्ट है) के परिपालन का अथक प्रयास किया है।
 13. निवेदन है कि जैसे ही खुदरा दर आदेश प्रभावी होता है, मुक्त अभिगम वाले ग्राहकों के संबंध में प्रति-अनुदान-अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, चक्रण प्रभार तथा पारेषण प्रभार को भी अधिसूचित करके दर आदेश की प्रभावी तिथि से ही प्रभावषील किया जावे। अतः प्रार्थना है कि मुक्त अभिगम वाले ग्राहकों के लिए खुदरा दर आदेश के साथ ही वोल्टेज स्तर एवं उपभोक्ता श्रेणीवार प्रति-अनुदान-अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, चक्रण प्रभार तथा पारेषण प्रभार के निर्धारण के लिए भी कृपया दृष्टिकोण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
 14. याचिकाकर्ता ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियमों के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। यथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदानुसार याचिका को संशोधित / पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करें।
 15. माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग ने म.प्र. में वोल्टेज स्तरवार लागत को निर्धारित करने हेतु अपीलीय न्यायाधीकरण (एप्टेल) के निर्णय को संज्ञान में लिया है। हालांकि यह निर्णय वोल्टेज स्तरवार क्रास सब्सिडी अधिभार निकालने के लिए है, न कि उपभोक्ता विद्युत दर हेतु। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा औसत विद्युत की कीमत के आधार पर उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत दर प्रस्तावित की है, जो कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2006 के अनुरूप है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना वितरण लाइसेंस धारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर,

एप्टेल द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया अनुसार किया जावे। माननीय आयोग की सलाह से क्रास सब्सिडी वॉल्टेज स्तर एवं उपभोक्ता श्रेणी स्तर की गणना वितरण लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एप्टेल द्वारा सुझाई प्रक्रिया अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये वर्ष 2017-18 के खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश के अनुसार किया जाये।

16. याचिकार्ता द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता का आकंलन (ट्रासकों एवं जेनकों के टु-अप को सम्मिलित कर) मध्य प्रदेश राज्य हेतु 34,010 करोड़, पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु 10,729 करोड़, मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु 10,096 करोड़ एवं पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु 13,185 करोड़ क्रमशः से किया गया हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 राजस्व अंतर मध्य प्रदेश राज्य हेतु 1,306 करोड़, पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु 402 करोड़, मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु 357 करोड़, पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु 546 करोड़ हैं। याचिकार्ताओं के द्वारा किये गये दावों का सारांश तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र.	सकल राजस्व आवश्यकता मद	ईकाई	मध्य प्रदेश	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
1	राजस्व					
2	सकल राजस्व आवश्यकता योग (टु-अप छोड़कर)	करोड़ रु.	34,092	10,765	10,098	13,229
3	चालू राजस्व दर	करोड़ रु.	32,704	10,326	9,739	12,639
4	अन्तर (टु-अप छोड़कर)	करोड़ रु.	1,388	438	360	590
5	प्रदाय की औसत कीमत (टु-अप छोड़कर)	रु / यूनिट	6.33	6.26	6.42	6.32
	विवित वर्षों में टु-अप का दर पर प्रभाव					
अ	म.प्र ट्रॉसको की टू-अप का प्रभाव वि.व. 2015-16	करोड़ रु.	330	99	105	126
ब	म.प्र जेनको की टू-अप का प्रभाव वि.व. 2015-16	करोड़ रु.	(412)	(135)	(108)	(169)
स	योग सकल राजस्व आवश्यकता (टु-अप सहित)	करोड़ रु.	34,010	10,729	10,096	13,185
ड	योग राजस्व अन्तर (टु-अप सहित)	करोड़ रु.	1,306	402	357	546
ई	विद्युत प्रदाय की औसत लागत (टु-अप सहित)	रु / यूनिट	6.31	6.24	6.42	6.30

17. हालांकि वाणिज्यिक एवं तकनीकी दक्षता में सुधार हेतु सभी संभव प्रयास के बाद भी, वितरण कंपनियाँ खर्चों के वसूली में असमर्थ रहने के कारण वितरण कंपनियाँ वर्तमान टैरिफ में वृद्धि प्रस्तावित करने हेतु मजबूर हैं।
18. याचिकाकर्ता कोयला, तेल एवं गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों में ईंधन की लागत में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित लागतों की वसूली / समायोजन के लिए ऊर्जा लागत समायोजन (एफ.सी.ए.) का निर्धारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे। याचिकाकर्ता पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं कि एफ.सी.ए. की गणना करने की वर्तमान प्रक्रिया में ऊर्जा क्रय लागत की वृद्धि से संबंधित वसूली के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करते हैं कि केवल परिवर्तनीय लागतों के स्थान पर औसत ऊर्जा क्रय लागत को गणना के

लिये किया जाना चाहिए और इस प्रकार पूर्ण नियत लागत लागतों को उपभोक्ता को स्वीकार्य लागत के रूप में पहुंचाया जाना चाहिये।

19. म.प्र.पा.मै.कं.लि. जबलपुर ने श्री एफ.के. मेश्राम, मुख्य महाप्रबंधक (रेवेन्यू मैनेजमेंट), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि..कं.लि. जबलपुर ने श्री ए.के. शर्मा, मुख्य अभियंता (वाणिज्य), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल ने श्री बी.एस खनूजा, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य III), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ने श्री शैलेन्द्र जैन, उप निदेशक (ट्रेक), को कम्पनी की ओर से समस्त दस्तावेजों एवं कार्यवाही निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया है। तदानुसार वर्तमान में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं, जो शपथ पत्र द्वारा समर्पित हैं।

प्रार्थना

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अनुरोध करते हैं कि :-

- (ए) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं दायर याचिका को पूर्ण अभिलेख मानते हुए रिकार्ड में स्वीकार करें,
- (बी) वित्तीय वर्ष 2018-19, म.प्र. राज्य हेतु 34,010 करोड़, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. की रु. 10,729 करोड़, म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. की रु. 10,096 करोड़ तथा म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. की रु. 13,185 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता को (सभी कंपनियों की टु-अप राशियों को शामिल करते हुए) एवं राजस्व अंतर म.प्र. राज्य हेतु 1306 करोड़, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. का रु. 402 करोड़, म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. का रु. 357 करोड़, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. का रु. 546 करोड़ मान्य एवं अनुमोदित करें,
- (सी) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय करते हुए, माननीय आयोग, म.प्र.पा.मै.कं.लि. के खर्चों को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की पावर क्रय लागत में शामिल करने की अनुमति प्रदान करे,
- (डी) वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु याचिकाकर्ताओं (वितरण कंपनियों) द्वारा दर वृद्धि का प्रस्ताव कर विचारण करे एवं अनुमोदन प्रदान करे,
- (ई) वित्तीय वर्ष 2018-19 की सकल राजस्व आवश्यकता के आधार पर मुक्त अभिगम वाले ग्राहकों के संबंध में चक्रण प्रभार , बोल्टेज स्तर एवं उपभोक्ता श्रेणीवार प्रति-अनुदान-अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा पारेषण प्रभार को भी विचारित एवं निर्धारित कर पुनरीक्षित दर आदेश की प्रभावी तिथि से ही प्रभावशील किये जाने हेतु और अनुमोदन प्रदान करे,
- (एफ) वास्तविक आधार पर व्यय किये गये करों, उपकरों इत्यादि को मान्य करे,
- (जी) इस याचिका में अनचाहे शेष रह गये तथ्यों/गलतियों/कमियों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंश (अंशो) को जोड़ने /बदलने /सुधार करने/ परिवर्तित करने की एवं पश्चातवर्ती स्थिति में आवश्यक होने पर अन्य प्रस्तुतिकरण अनुमति प्रदान करे,
- (एच) दायर की गई याचिका में वास्तविक रूप से प्रस्तुत तथ्यों को पूर्ण मानते हुए सुनने एवं रिकार्ड में दर्ज करें,
- (आई) तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार जैसा कि माननीय आयोग उचित समझे, यथोचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

दिनांक – 12 जनवरी-2018

सही/-
(एफ.के.मेश्वाम)
मुख्य महाप्रबंधक (रेवेन्यू मैनेजमेंट)
म.प्र.पॉवर.मैनेजमेंट कं.लि.
जबलपुर

सही/-
(अजय शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक (रेवेन्यू मैनेजमेंट)
म.प्र.पॉवर.मैनेजमेंट कं.लि.
जबलपुर

सही/-
(एफ.के.मेश्वाम)
अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य-III)
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि.
भोपाल

सही/-
(शैलेन्द्र जैन)
उप निदेशक (ट्रैक)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि.
इंदौर

TABLE OF CONTENTS

NOTES AND ABBREVIATIONS.....	13
A1: इस याचिका के विषय वस्तु एवं इस याचिका को तैयार करने हेतु अपनाई गई कार्य पद्धति (कठिनाईयों को सम्मिलित करके)	14
A2: इस याचिका को दायर करने हेतु विनियामक आवश्यकता.....	16
A3: विक्रयों का आंकलन	17
A4: विद्युत वितरण कंपनी की परिधि पर एवं एक्स-बस पर ऊर्जा की आवश्यकता	66
A5: उपलब्धता का आंकलन.....	75
A6: विद्युत क्रय की लागत.....	94
A7: म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी के आय एवं व्यय.....	124
A8: विद्युत वितरण कम्पनियों का संचालन एवं संधारण व्यय-:	131
A9: वितरण कम्पनियों की निवेश योजना.....	135
A10: विद्युत वितरण कंपनियों के - अन्य आय / व्यय.....	140
A11: वार्षिक राजस्व आवश्यकता.....	152
A12: वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दर प्रस्ताव.....	155
12.1 वर्तमान और प्रस्तावित टैरिफों पर राजस्व.....	155
A13: वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें.....	167
A14: क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना :-	174
A15: सेवान्त प्रसुविधाओं (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण) का प्रावधान	176
A16: विद्युत क्रय लागत समायोजन (पीपीसीए) (PPCA)	179
A17: दिशा-निर्देशों का अनुपालन	183

LIST OF TABLES

तालिका 1: उर्जा विक्रय (मि.यू)	18
तालिका 2: एल.व्ही.-1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)	19
तालिका 3 : एल.व्ही.-2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	24
तालिका 4: एल.व्ही.-3.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)	26
तालिका 5: एल.व्ही.-3.2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	29
तालिका 6: एल.व्ही.-4.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	31
तालिका 7: एल.व्ही.-4.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)	34
तालिका 8: एल.व्ही.-5.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	36
तालिका 9: एल.व्ही.-5.2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)	41
तालिका 10: एच.व्ही.-1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	45
तालिका 11: एच.व्ही.-2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	47
तालिका 12: विकास दर प्रतिशत प्रछेपण	47
तालिका 13: एच.व्ही.-3 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	49
तालिका 14: एच.व्ही.-4 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	54
तालिका 15: एच.व्ही.-5 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	56
तालिका 16: एच.व्ही.-5 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट).....	61
तालिका 17: ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उतपादकतों हेतु विद्युत की आवश्यकता (मि.यू).....	63
तालिका 18: माहवार विक्रय प्रालेख	66
तालिका 19: वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) - वित्तीय वर्ष 2016-17 (प्रावधिक).....	68
तालिका 20: वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) - वित्तीय वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित आकलन)..	70
तालिका 21: वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) - वित्तीय वर्ष 2017-18 (प्रक्षेपित).....	71
तालिका 22: ऊर्जा आवश्यकता - मानक वितरण हानियों पर (मिलियन यूनिट)	72
तालिका 23: ऊर्जा आवश्यकता - वास्तविक वितरण हानियों पर (मिलियन यूनिट)	73
तालिका 24: आने वाले परम्परागत उपकेन्द्र तथा अन्य तकनीकी पैरामीटर	75
तालिका 25: अनुबंधित क्षमता – म.प्र.राज्य (विद्यमान तथा नवीन)	76
तालिका 26: एक्स-बस उपलब्धता (एम.यू.) संयंत्रवार स्थोत	79
तालिका 27: वर्ष 2018-19 हेतु माहवार संयंत्रवार विद्युत की उपलब्धता	82
तालिका 28: नवकरणीय क्रय दायित्व (एम.यू.)	87
तालिका 29: बेक डाउन आफ पावर – पावर स्टेशन	89
विद्युत वितरण कंपनियों को कुल उपलब्धता एवं लागत के आवंटन हेतु म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वितरण कंपनियों की सीमा पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि हेतु माहवार ऊर्जा आवश्यकता को आधार माना है, जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-	
तालिका 30: राज्य की सीमा पर आवंटन स्टेटमेन्ट	91
तालिका 31: अधिक उपलब्ध विद्युत का प्रवंधन	93
तालिका 32: वर्ष 2018-19 हेतु विद्युत क्रय लागत की कार्यप्रणाली.....	94
तालिका 33: वर्ष 2018-19 हेतु मैरिट आर्डर डिस्पैच	96
तालिका 34: म.प्र. .प्र.के लिये विद्युत क्रय लागत	99
तालिका 35: पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत	102
तालिका 36: मध्य क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत	106
तालिका 37: पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत	109

तालिका 38: म.प्र.के लिये कुल विद्युत क्रय लागत	113
तालिका 39: पूर्व क्षेत्र के लिये कुल विद्युत क्रय लागत	114
तालिका 40: मध्य क्षेत्र के लिये कुल विद्युत क्रय लागत	114
तालिका 41: पश्चिम क्षेत्र के लिये कुल विद्युत क्रय लागत	115
तालिका 42: अन्तर राज्यीय पारेषण शुल्क (रु. करोड़ में)	116
तालिका 43: अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क राज्य भार प्रेषण तथा अनुषंगी लाभों को शामिल करते हुए (रु. करोड़ में)	117
तालिका 44: म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी की लागतें और वितरण कंपनीवार आवंटन	118
तालिका- 45: कुल विजली खरीद की लागत- म.प्र. राज्य	118
तालिका-46: स्थ्रोतवार औसत ऊर्जा खरीद लागत का विवरण:- वित्तीय वर्ष 2016-17	122
तालिका 47: पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में बिजली खरीद लागत का रूझान	122
तालिका 48: म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. की लागत (रु. करोड़ में)	124
तालिका 49: अन्य आय (रु. करोड़).....	125
तालिका 50: अन्य आय (रु करोड़).....	127
तालिका 51: अवमूल्यन	128
तालिका 52: कर्मचारी लागत (रु. करोड़ में).....	131
तालिका 53: मान्य महंगाई भत्ता (%)	131
तालिका 54: प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विनियम के अनुसार (रु. करोड़ में).....	133
तालिका 55: मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, रेग्युलेशन के अनुसार (रु. करोड़ में)	133
तालिका 56: संचालन एवं संधारण के व्ययों का सारांश विनियमन के अनुसार निम्नानुसार है :-	134
तालिका 57: योजनावार पूंजीगत व्यय (रु. करोड़ में).....	135
तालिका 58: योजनावार पूंजीकरण (रु करोड़)	137
तालिका 59: वितरण कंपनीवार पूंजीगत कार्य प्रगति पर (रु. करोड़ में)	139
तालिका 60: स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन (रु करोड़ में)	139
तालिका 61: विनियम के अनुसार अवमूल्यन (रु. करोड़ में)	140
तालिका 62: विनियमन के अनुसार परियोजना क्रृष्ण पर ब्याज- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी :- (रु. करोड़)	141
तालिका 63: विनियमन के अनुसार परियोजना क्रृष्ण पर ब्याज- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी :- (रु. करोड़)	142
तालिका 64: विनियमन के अनुसार परियोजना क्रृष्ण पर ब्याज- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी :-(रु. करोड़)	143
तालिका 65: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़) पूर्व क्षेत्र	144
तालिका 66: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़) मध्यक्षेत्र	145
तालिका 67: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़) पश्चिम क्षेत्र	146
तालिका 68: विनियम के अनुसार वितरण कंपनी वार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (रु. करोड. में)	147
तालिका 69: विनियम के अनुसार पूर्व क्षेत्र के अंश पूंजी पर प्रतिलाभ (रु करोड में)	148
तालिका 70: इक्विटी पर विनियमन के अनुसार वापसी मध्य क्षेत्र रिटर्न - (करोड रूपए)	149
तालिका 71: इक्विटी पर विनियमन के अनुसार वापसी पश्चिम क्षेत्र - (करोड रूपए).....	149
तालिका 72: विनियम के अनुसार डूबन्त एवं संदिग्ध क्रृष्ण (रु. करोड में)	150
तालिका 73: अन्य आय (रु. करोड में)	151
तालिका 74: एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड में)	152
तालिका 75: विनियम के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड में)	153
तालिका 76: वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दर प्रस्ताव का सारांश :-.....	157
तालिका 77: वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित टैरिफ से वितरण कंपनियों की श्रेणीवार राजस्व	159
तालिका 78: म.प्र.राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना.....	170
तालिका 79: पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना	171
तालिका 80: मध्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना	172

तालिका 81: मध्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना	173
तालिका 82: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अतिरिक्त अधिभार	175
तालिका 83: एक्चुरी के अनुसार भविष्य योगदान दायित्व की दर (%)	176
तालिका 84: सेवान्त प्रसुविधाओं की गणना का प्रावधान (रु. करोड़ में)	177
तालिका 85: वितरण कंपनियों के लिए सेवान्त प्रसुविधा दायित्व के प्रावधान (रु करोड़ में)	178

NOTES AND ABBREVIATIONS

In this Petition:

- ✓ *All currency figures used in this Petition, unless specifically stated otherwise, are in ₹ Crores.*

Abbreviation	Full Description
ARR	Aggregate Revenue Requirement
APTEL	Appellate Tribunal for Electricity
CERC	Central Electricity Regulatory Commission
CGS	Central Generating Stations
Co-gen	Cogeneration Power Plant
CPP	Captive Power Plant
EA - 2003	The Electricity Act 2003
ERLDC	Eastern Regional Load Dispatch Committee
ERPC	Eastern Regional Power Committee
FY	Financial Year
GFA	Gross Fixed Assets
GoMP	Government of Madhya Pradesh
GoI	Government of India
HT/ HV	High Tension/ High Voltage
IPPs	Independent Power Producers
kV / KVA	Kilo Volt / Kilo Volt Ampere
kW	Kilo Watt
LT/LV	Low Tension/ Low Voltage
MoP	Ministry of Power, Government of India
MPSEB	Madhya Pradesh State Electricity Board
MPERC	Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission
MPMKVVCL	Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited
MPPaKVVCL	Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited
MPPoKVVCL	Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited
MPPMCL	Madhya Pradesh Power Management Company Limited
MPPGCL	Madhya Pradesh Power Generation Company Limited
MPPTCL	Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited
MU	Million Units
NCE / NCES	Non-Conventional Energy Sources
PGCIL	Power Grid Corporation India Limited
SSGS	State Sector Generating Stations
SLDC	State Load Dispatch Centre
STOA	Short Term Open Access
TO	Tariff Order
WRLDC	Western Regional Load Dispatch Committee
WRPC	Western Regional Power Committee

**A1: इस याचिका के विषय वस्तु एवं इस याचिका को तैयार करने हेतु अपनाई गई कार्य पद्धति
(कठिनाईयों को सम्मिलित करके)**

This petition has in detail basis actuals of individual elements constituting the ARR for MYT FY 2016-17 to FY 2018-19 & Tariff Petition for FY 2018-19 based on Tariff Regulations, 2015. The following elements have been explained in detail for FY 2016-17 to FY 2018-19:

- (ए) ऊर्जा विक्रय
- (बी) वितरण हानियाँ एवं ऊर्जा आवश्यकता
- (सी) ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ती हेतु विभिन्न स्रोतों से विद्युत क्रय
- (डी) अन्य आय की गणना
 - i. संचालन एवं संधारण व्यय
 - ii. निवेश योजना
 - iii. अवमूलयन
 - iv. बयाज एवं वित्त प्रभार
 - v. कार्यशील पूँजी पर ब्याज
 - vi. सुरक्षा जमा पर ब्याज
 - vii. पूँजी पर प्रतिलाभ
 - viii. संदिग्ध कृण
 - ix. एमपीपीएमसीएल लागत/आय
 - x. अन्य खर्चे, यदि कोई
 - xi. अन्य आय एवं नॉन टैरिफ आय
- (ई) सकल राजस्व आवश्यकता की गणना
- (एफ) संग्रहण किये जाने वाले श्रेणीवार राजस्व जैसे की गणना
- (जी) राजस्व प्राप्ति एवं लागतों के अंतर घाटे/अतिशेष की गणना
- (एच) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये दर प्रस्ताव
- (आई) वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत
- (जे) चक्रण प्रभारों, क्रॉस सबसिडी अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार
- (के) ईंधन प्रभार समायोजन प्रभार
- (एल) दिशा-निर्देशों का अनुपालन

1.1 अपनाई गई कार्यप्रणाली

1.1.1 याचिकाकर्ता यहां एम.वाय.टी. अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दर याचिका वास्तविक एवं उचित अनुमानों एवं आंकड़ों की उपलब्धता की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 एवं दर विनियमन 2015 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। यह याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित खर्चों एवं प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व अप्रैल 2018 से मार्च-2019 के अन्तर की राशि पर आधारित है। याचिकाकर्ता इस याचिका में माननीय आयोग से निवेदन करते हैं कि एम.वाय.टी. अवधि 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 की सकल राजस्व आवश्यकता एवं 2018-19 हेतु प्रस्तावित दरों को अनुज्ञेय करने का निवेदन करते हैं।

1.1.2 संदर्भ हेतु

- FY 2016-17 or FY 17 is from 01st April 16 to 31st March 17 (Provisional)
- FY 2017-18 or FY 18 is from 01st April 17 to 31st March 18 (Re-Estimate)
- FY 2018-19 or FY 19 is from 01st April 18 to 31st March 19 (Projected)

A2: इस याचिका को दायर करने हेतु विनियामक आवश्यकता

2.1 Regulations

This petition has been based on the following regulation notified by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission:

“The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Distribution and Retail Supply of Electricity and Methods and Principles of Fixation of Charges) Regulations, 2015 (RG-35 (II) of 2015) dated 17th December 2015” (Hereinafter referred to as “Tariff Regulations, 2015) – Applicable from FY 2016-17 to FY 2018-19;

A3: विक्रयों का आंकलन

3.1 विक्रयों के आँकलन हेतु अपनाई गई विधि

- 3.1.1 विक्रय के प्रक्षेपण के उददेश्य से, वितरण अनुज्ञासिधारियों ने विगत चार वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2013-14, वि.वर्ष 2014-15, वि.वर्ष 2015-16 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के माह अगस्त-2018 तक के उपलब्ध विद्युत के विक्रय, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित/संविदा भार आदि के श्रेणीवार तथा खण्डवार वास्तविक आँकड़ों पर विचार किया है।
- 3.1.2 अनुज्ञासिधारियों ने विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए याचिका दायर करते समय वित्तीय वर्ष 2015-16 के वास्तविक आँकड़ों के आधार पर विक्रयों का प्रक्षेपण किया था। अब चूंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के वास्तविक आँकड़े उपलब्ध हैं, और यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुज्ञासिधारी द्वारा किये गये विक्रयों के पूर्वानुमानित प्रक्षेपणों तथा जिन्हें माननीय आयोग द्वारा पिछली याचिकाओं के दौरान अनुमोदित किया गया था, से वास्तविक विक्रयों में उल्लेखनीय विचलन हुआ है एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञासिधारी यह आवश्यक समझते हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के विक्रय पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित करना एवं तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण करना उचित होगा।
- 3.1.3 वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण विगत 04 वर्षों की वास्तविक खपत एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के तहत उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार एवं खपत के वास्तविक आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।
- 3.1.4 तीनों वितरण कंपनियों द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी एवं उनकी उप-श्रेणी के लिए पृथक-पृथक, 3 वर्ष एवं 2 वर्ष के संयुक्त चक्रवृद्धि विकास दरों (सी.ए.जी.आर.) को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात्, पिछली चक्रवृद्धि विकास दरों से भावी उपभोक्ता के पूर्वानुमानों के लिए श्रेणी / उप-श्रेणी हेतु यथोचित विकास दरे परिकल्पित की गई है।
- विगत वित्तीय वर्षों की चक्रवृद्धि विकास दरों का जो प्रति उपभोक्ता प्रति किलो वॉट विक्रय एवं सम्बद्ध भार को प्रयोग करते हुए प्रत्येक श्रेणी/उपश्रेणी की सम्बद्ध भार एवं श्रेणी में विक्रय का पूर्वानुमान किया गया है। विशिष्ट खपत तथा खपत प्रति उपभोक्ता और/ अथवा खपत प्रति किलोवॉट जो मूलभूत पूर्वानुमान समंक हैं, का उपयोग भार एवं विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान हेतु किया जाता है। इस मॉडल का उपयोग करने का मूल कारण यह है कि इस आधार से प्रति उपभोक्ता विशिष्ट खपत एवं प्रति इकाई भार खपत का उपयोग कर एक निश्चित विकास चक्र में विद्युत के उपयोग की प्रवृत्ति एवं परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि को सी.ई.ए. द्वारा भी अनुशंसित किया गया है।
- प्रक्षेपण हेतु तीनों वितरण कंपनियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक मान्यताओं की आगे के खण्डों में चर्चा की गई है। सकल विक्रय का पूर्वानुमान निम्नानुसार है:-

तालिका 1: उर्जा विक्रय (मि.यू)

टीसी	श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
		वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
एलव्ही-1	घरेलू	3,766	4,282	5,513	3,503	3,779	4,739	3,690	3,901	4,302	10,960	11,962	14,554
एलव्ही-2	गैर घरेलू	1,043	998	1,119	826	906	993	963	1,046	1,135	2,832	2,950	3,246
एलव्ही-3	सार्वजनिक जल प्रदाय तथा पथ प्रकाश	424	509	578	326	364	383	433	490	548	1,182	1,363	1,509
एलव्ही-4	निम्नदाब औद्योगिक	393	451	510	253	285	308	562	593	619	1,207	1,329	1,436
एलव्ही-5.1	कृषि सिंचाई पम्प	4,832	5,405	6,658	4,346	4,815	5,741	7,996	8,789	10,251	17,174	19,009	22,650
एलव्ही-5.2	कृषि संवर्धी उपयोग	5	7	8	4	5	5	1	1	2	10	14	14
	योग (निम्नदाब)	10,463	11,653	14,385	9,258	10,154	12,169	13,645	14,821	16,856	33,365	36,627	43,410
एचव्ही-1	रेल्वे कर्पण	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	50
एचव्ही-2	कोयला खदाने	460	462	447	31	31	31	0	0	0	491	493	478
एचव्ही-3.1	औद्योगिक	1,854	1,719	1,648	2,262	2,447	2,651	2,957	3,131	3,170	7,073	7,297	7,468
एचव्ही-3.2	गैर औद्योगिक	245	258	271	405	424	442	417	444	471	1,067	1,126	1,185
एचव्ही-4	मौसमी	7	8	8	2	2	2	11	13	13	20	22	24
एचव्ही-5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सिंचाई कार्य	81	89	98	180	205	235	403	236	258	665	531	591
एचव्ही-5.1	सिंचाई कार्य	5	6	10	3	3	3	89	98	108	96	107	121
एचव्ही-5.2	अन्य कृषि	14	15	15	8	8	9	7	10	11	29	33	35
एचव्ही-6	थोक रहवासी उपयोगकर्ता	280	296	291	160	164	168	31	31	32	471	491	490
एचव्ही-7	स्टार्टअप पावर	0	1	0	0	1	1	5	6	6	6	7	6
	योग (उच्चदाब)	2,946	2,854	2,814	3,051	3,284	3,567	3,920	3,968	4,068	9,918	10,107	10,448
	कुल योग निम्नदाब + उच्चदाब	13,409	14,507	17,199	12,309	13,438	15,735	17,565	18,789	20,924	43,283	46,734	53,858

3.2 श्रेणीवार विक्रय का प्रक्षेपण

याचिकाकर्ता एतद द्वारा श्रेणीवार विक्रयों के प्रक्षेपन हेतु अपनाई गई विधि विस्तार से समझा रहें हैं:

3.2.1 एल.व्ही.-1: घरेलू

3.2.1.1 अमीटरीकृत घरेलू विक्रयों के भावी प्रक्षेपणों हेतु अनुमान

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जारी दर आदेशों में माननीय आयोग द्वारा ने ग्रामीण क्षेत्रों के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की अनुमानित खपत हेतु न्यूनतम मापदण्ड परिवर्तित किये गये थे। तदानुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं हेतु उसी आधार पर ही प्रक्षेपण किया गया है। शहरी क्षेत्र के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में याचिका में निरंक यूनिट का प्रक्षेपण किया गया है। (इन क्षेत्रों में समस्त उपभोक्ताओं के संयोजन मीटरीकृत कर दिये गये हैं)

3.2.1.2 प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना

प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) की शुरुआत के साथ, दिसम्बर 2018 तक 41.57 लाख अतिरिक्त घरेलू परिवारों का विद्युत वितरण कंपनियों से संयोजित होना अनुमानित है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये पुनरीक्षित आंकलन एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रक्षेपण की गणना के लिये सामान्य वृद्धि के अलावा सौभाग्य योजना एवं आई पी डी एस योजना के अन्तर्गत आने वाले अतिरिक्त संयोजनों पर भी विचार किया गया है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत जुड़ने वाले नवीन संयोजनों के आगमन मासिक आधार पर माना गया है जहाँ गणना यथानुपात सीधी-रेखा के आधार किया गयी है जैसे कि एक वर्ष का उपभोक्ता लक्ष्य वर्ष के अंदर मासिक समान संख्या में जुड़ना माना गया है।

3.2.1.3 उपभोक्ताओं में वृद्धि के गुणन के पश्चात प्रक्षेपन निम्नानुसार निकाला गया है:

तालिका 2: एल.व्ही.-1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

क्षेत्र	उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
		वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
शहरी	मीटरीकृत	1,728	1,924	2,126	2,446	2,560	2,682	2,239	2,308	2,380	6,413	6,793	7,188
शहरी	अमीटरीकृत	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
शहरी	अस्थाई	15	17	17	20	20	20	26	26	26	61	63	63
शहरी	योग	1,746	1,941	2,143	2,467	2,580	2,702	2,265	2,334	2,406	6,477	6,855	7,251
ग्रामीण	मीटरीकृत	1,733	2,147	3,272	955	1,141	2,008	1,423	1,564	1,892	4,111	4,852	7,172
ग्रामीण	अमीटरीकृत	285	191	95	80	56	28	0	0	0	366	247	124
ग्रामीण	अस्थाई	2	3	3	1	2	2	3	3	3	6	8	8
ग्रामीण	योग	2,021	2,341	3,370	1,037	1,199	2,038	1,426	1,567	1,896	4,483	5,107	7,303
योग	मीटरीकृत	3,462	4,072	5,398	3,401	3,701	4,690	3,661	3,872	4,273	10,524	11,645	14,360
योग	अमीटरीकृत	287	191	95	81	56	28	0	0	0	369	247	124
योग	अस्थाई	17	20	20	21	22	22	28	29	29	67	70	70
योग	योग	3,766	4,282	5,513	3,503	3,779	4,739	3,690	3,901	4,302	10,960	11,962	14,554

3.2.1.4 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं

इस श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी			ग्रामीण		
मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.14	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.28	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	2.77%	दो वर्ष की CAGR मानी गयी है।		13.22%	वर्षवर्ष की विकास दर मानी गई है।	
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण
अस्थायी	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.06	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.41	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है

अग्रिम, दीन्दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य एवं आईपीडीएस योजना अन्तर्गत आंकलित किये गये संयोजन निम्नानुसार हैं:

पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु डीडीयूजीजेवाय/आरजीजीवीवाय, सौभाग्य एवं आईपीडीएस योजनाओं के अंतर्गत संयोजनों का आकंलन निम्नानुसार है

वर्ष	2017-18		2018-19	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
लक्ष्य (उपभोक्ताओं की संख्या)	33328	628221	77764	1048799
खपत की गई युनिट (मि.यू.)	52	377	125	629

*डी.डी.यू.जी.जे.वाय/आर.जी.जी.बी.वाय, सौभाग्य एवं आई.पी.डी.एस, योजनाओं में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्रति उपभोक्ता 200 वाट भार मान कर 50 यूनिट प्रतिमाह खपत मानी गई है। शहरी क्षेत्र हेतु सौभाग्य योजना एवं आई.पी.डी.एस, योजना में उपभोग्ता का संयोजित भार एवं खपत शहरी क्षेत्रों के मीटरीकृत उपभोक्ताओं के अनुसार लिया गया है।

3.2.1.5 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं.

इस श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण
मीटरीकृत	उपभोक्ता	3.36%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.49	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	1.06%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.03	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.35	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.44	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.77	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

अग्रिम, दीन्दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य एवं आईपीडीएस योजना अन्तर्गत आंकलित किये गये संयोजन निम्नानुसार हैं:

मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु डीडीयूजीजेवाय/आरजीजीवीवाय, सौभाग्य एवं आईपीडीएस योजनाओं के अंतर्गत संयोजनों का आकंलन निम्नानुसार है

वर्ष	2017-18		2018-19	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
लक्ष्य (उपभोक्ताओं की संख्या)	7,000	567,300	0	1,323,700
खपत की गई युनिट (मि.यू)	13	340.38	0	794.22

*डी.डी.यू.जी.जे.वाय/आर.जी.जी.वी.वाय, सौभाग्य एवं आई.पी.डी.एस, योजनाओं में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्रति उपभोक्ता 200 वाट भार मान कर 50 यूनिट प्रतिमाह खपत मानी गई है। शहरी क्षेत्र हेतु सौभाग्य योजना एवं आई.पी.डी.एस, योजना में उपभोग्ता का संयोजित भार एवं खपत शहरी क्षेत्रों के मीटरीकृत उपभोक्ताओं के अनुसार लिया गया है।

3.2.1.6 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.लि-

इस श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	3.10%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	2.74%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.45	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.51	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.99%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	2.74%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
अस्थायी	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.00	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.21	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.86	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.99	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

अग्रिम, दीन्दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य एवं आईपीडीएस योजना अन्तर्गत आंकलित किये गये संयोजन निम्नानुसार हैं:

पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु डीडीयूजीजेवाय/आरजीजीवीवाय, सौभाग्य एवं आईपीडीएस योजनाओं के अंतर्गत संयोजनों का आकलन निम्नानुसार है

वर्ष	2017-18	2018-19
लक्ष्य (उपभोक्ताओं की संख्या)	418,000	200,000
खपत यूनिट (मि.यू.)	250.80	120.00

*डी.डी.यू.जी.जे.वाय/आर.जी.जी.वी.वाय, सौभाग्य एवं आई.पी.डी.एस, योजनाओं में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्रति उपभोक्ता 200 वाट भार मान कर 50 यूनिट प्रतिमाह खपत मानी गई है। शहरी क्षेत्र हेतु सौभाग्य योजना एवं आई.पी.डी.एस, योजना में उपभोगता का संयोजित भार एवं खपत शहरी क्षेत्रों के मीटरीकृत उपभोक्ताओं के अनुसार लिया गया है।

3.2.2 एल.व्ही-2: गैर घरेलू

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिये भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 3 : एल.व्ही.-2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
मीटरीकृत	1,020	973	1,094	786	866	953	922	1,003	1,092	2,728	2,843	3,139
अस्थाई	23	24	24	39	40	40	41	42	43	103	107	108
योग	1,043	998	1,119	826	906	993	963	1,046	1,135	2,832	2,950	3,246

3.2.2.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

श्रेणी के लिये अनुमानित विकास प्रतिशत नीचे दर्शाये गये हैं

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	4.16%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	9.77%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	3.44%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.19%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	11.30%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.2.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

श्रेणी के लिये अनुमानित विकास प्रतिशत नीचे दर्शाये गये हैः-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	3.54%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.10%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	5.20%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	1.72%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	1.25%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.23%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.2.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

श्रेणी के लिये अनुमानित विकास प्रतिशत नीचे दर्शाये गये हैः-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	3.67%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	8.27%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	4.29%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	2.86%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.64%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.02%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	4.02%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

3.2.3 एल.व्ही.- 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय

भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 4: एल.व्ही.-3.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
नगर निगम	48	58	62	83	98	100	41	46	47	172	202	210
नगर पंचायत	62	68	77	75	81	88	54	60	63	192	210	228
ग्राम पंचायत	168	210	239	61	62	66	161	188	225	390	459	530
अस्थायी	5	5	5	3	4	4	5	5	5	13	14	14
योग	284	341	383	223	245	258	260	299	341	767	885	982

3.2.3.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

श्रेणी के लिये अनुमानित विकास प्रतिशत नीचे दर्शाये गये हैं:

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	2.66%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	5.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	4.15%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	5.57%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	6.52%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	11.10%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	5.08%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	2.48%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	4.77%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	11.09%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	9.17%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	15.88%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

3.2.3.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

श्रेणी के लिये अनुमानित विकास प्रतिशत नीचे दर्शाये गये हैं

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	1.11%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.47%	3 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है	0.37%	3 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	6.06%	वर्ष दर वर्ष की विकास दर मानी गई है	0.79%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.79%	5 माह की भिन्नता मानी गई है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	6.55%	5 माह की भिन्नता मानी गई है
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	2.48%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है	1.76%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.3.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

श्रेणी के लिये अनुमानित विकास प्रतिशत नीचे दर्शये गये हैं

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	1.40%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.08%	वर्ष दर वर्ष की विकास दर मानी गई है	1.83%	वर्ष दर वर्ष की विकास दर मानी गई है
कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	5.58%	5 माह की भिन्नता मानी गई है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.23%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	2.26%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	12.20%	3 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.57%	2 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है	1.77%	3 वर्षीय सीएजीआर मानी गई है
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	5.58%	वर्ष दर वर्ष की विकास दर मानी गई है	5.91%	वर्ष दर वर्ष की विकास दर मानी गई है
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.4 एल.व्ही.- 3.2 पथ प्रकाश

भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 5: एल.व्ही.-3.2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
नगर निगम	60	70	81	47	52	55	67	78	86	174	200	223
नगर पंचायत	55	67	81	50	58	60	43	47	51	147	172	192
ग्राम पंचायत	24	31	32	6	8	9	63	67	70	94	105	112
योग	140	168	194	103	119	125	172	191	207	415	478	527

3.2.4.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी में अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	2.66%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	5.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	15.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	6.72%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	23.04%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	6.52%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	11.10%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	4.08%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	14.25%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	11.68%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	14.39%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	4.77%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	6.59%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	2.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

3.2.4.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी में अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	5.66%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	33.33%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	20.00%	नाममात्र की विकास दर मानी गई है।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	3.16%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	9.09%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	5.10%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	2.70%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	9.41%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	13.68%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

3.2.4.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी में अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	8.10%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	3.03%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	
नगर पंचायत	उपभोक्ता	7.96%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है। कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.71%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	3.96%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	2.77%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	9.49%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	1.71%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	6.69%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

3.2.5 एल.व्ही. 4.1 गैर मौसमी औद्योगिक

भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 6: एल.व्ही.-4.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
25 अश्व शक्ति तक	192	212	230	141	155	160	244	248	250	578	614	640
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	164	191	225	97	108	117	227	237	244	489	536	586
100 अश्व शक्ति से अधिक	28	38	43	12	19	27	83	99	116	122	156	186
अस्थाई	6	8	8	1	1	1	2	2	2	8	11	11
योग	389	449	507	251	283	305	556	585	612	1196	1317	1424

3.2.5.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

विक्रय पूर्वानुमान हेतु लिये गये अनुमान निम्न तालिका में दिये गये हैं:

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	1.02%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	2.35%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	1.53%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	2.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	2.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	6.59%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	1.09%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	18.43%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	3.61%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	7.57%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	10.00%	नाममात्र की विकास दर मानी गई है।	20.00%	नाममात्र की विकास दर मानी गई है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.43%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.5.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.58%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	2.78%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.63%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	2.88%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	2.12%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
25 अश्व शक्ति से	उपभोक्ता	3.08%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	12.77%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।

अधिक 100 अश्व शक्ति तक	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	3.09%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	10.05%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	20.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	20.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	16.83%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.5.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	ब्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	2.41%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.36%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.13%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	2.24%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	10.09%	माह अगस्त 2017 की विकास दर की तुलना मार्च 2017 से की गई
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	14.91%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	25.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.61%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	3.55%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण
अस्थाई	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है। वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	

3.2.6 एल.व्ही. 4.2 मौसमी औद्योगिक

भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 7: एल.व्ही.-4.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उपश्रेणी	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
25 अश्व शक्ति तक	1	0	0	0	1	1	3	4	4	5	5	6
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	1	1	1	1	1	2	3	3	3	6	6	6
100 अश्व शक्ति से अधिक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
योग	3	3	3	2	2	2	6	7	7	11	12	13

3.2.6.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी में अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	2.34%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी		शहरी	ग्रामीण	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	8.79%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.88%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		15.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।

3.2.6.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी में अनुमानित किये गये विकास प्रतिशतों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्यक्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी		शहरी	ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	5.75%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	17.11%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	7.33%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	20.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	

3.2.6.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

अनुमानित किये गये विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.35%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.46%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	14.35%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%	

3.2.7 एल.व्ही. 5.1 कृषि

एल.व्ही.-5.1 कृषि श्रेणी के लिये प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 8: एल.व्ही.-5.1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

क्षेत्र	उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
		वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
नगरीय	सामान्य मीटरीकृत	4	5	5	29	57	63	6	6	6	39	67	74
नगरीय	अस्थाई मीटरीकृत	1	1	1	3	2	2	1	1	0	5	4	3
नगरीय	सामान्य अमीटरीकृत	315	334	387	157	144	160	178	183	206	650	661	754
नगरीय	अस्थाई अमीटरीकृत	7	8	7	7	5	3	14	13	11	29	25	22
नगरीय	योग	327	348	401	197	207	228	198	201	223	722	757	852
ग्रामीण	सामान्य मीटरीकृत	2	1	1	8	16	18	2	2	2	12	20	22
ग्रामीण	अस्थाई मीटरीकृत	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
ग्रामीण	सामान्य अमीटरीकृत	4,294	4,875	6,094	3,901	4,437	5,390	7,441	8,267	9,739	15,636	17,579	21,222
ग्रामीण	अस्थाई अमीटरीकृत	209	180	162	240	153	104	355	319	287	803	652	553
ग्रामीण	योग	4,505	5,057	6,257	4,149	4,608	5,512	7,798	8,588	10,028	16,452	18,253	21,798
योग	सामान्य मीटरीकृत	6	6	6	37	73	81	7	8	8	50	87	95
योग	अस्थाई मीटरीकृत	2	1	1	3	3	2	1	1	0	6	5	4
योग	सामान्य अमीटरीकृत	4,608	5,209	6,481	4,059	4,581	5,550	7,619	8,449	9,944	16,286	18,240	21,976
योग	अस्थाई अमीटरीकृत	216	188	169	247	158	107	369	332	299	832	678	575
योग	योग	4,832	5,405	6,658	4,346	4,815	5,741	7,996	8,789	10,251	17,174	19,009	22,650

आस्थायी मीटरीकृत एवं स्थाई कनेक्शनों हेतु उपभोक्ता के भार की गणना माह के आधार पर की गई है न की वाषिक विकास दर को आधार मानकर। इस श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थायी कृषि उपभोक्ताओं हेतु खपत का आंकलन माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जारी आदेश में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

आंकलन चक्रानुसार

फेज	आंकड़े यूनिट में			
	नगरीय	नगरीय	ग्रामीण	ग्रामीण
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
	श्री फेज	220	220	195
सिंगल फेज	230	230	205	205

अमीटरीकृत स्थायी कृषि संयोजनों हेतु निर्धारण अनुसार अनुमानित खपत का माहवार विभक्तिकरण निम्नानुसार है :-

अमीटरीकृत स्थायी कृषि संयोजनों हेतु चक्रानुसार आकंलन

माह	श्री फेज				सिंगल फेज			
	शहरी	शहरी	ग्रामीण	ग्रामीण	शहरी	शहरी	ग्रामीण	ग्रामीण
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
अप्रैल	90	120	80	110	90	120	90	110
मई	90	120	80	110	90	120	90	110
जून	90	120	80	110	90	120	90	110
जुलाई	90	120	80	110	90	120	90	110
अगस्त	90	120	80	110	90	120	90	110
सितम्बर	90	120	80	110	90	120	90	110
अक्टूबर	170	170	170	170	180	180	180	180
नवम्बर	170	170	170	170	180	180	180	180
दिसम्बर	170	170	170	170	180	180	180	180
जनवरी	170	170	170	170	180	180	180	180
फरवरी	170	170	170	170	180	180	180	180
मार्च	170	170	170	170	180	180	180	180

माननीय आयोग ने अंतिम वार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दर आदेश में स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के मानक यूनिट में 1200 यूनिट से बढ़ाकर 1500 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रति वर्ष वृद्धि की थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक कृषि पंप को ग्रुप में बाट कर 8 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2014-15 में फीडर विभक्तिरण कार्य प्रारम्भ होने के परिणाम स्वरूप कृषि उपभोक्ताओं को 10 घन्टे विभक्त किये गये फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जबकि मिश्रित भार वाले फीडरों पर 24घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मिश्रित भार वाले फीडरों पर कई कृषिपंप कनेक्शन हैं जिनको कि 20 घंटे से ज्यादा विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

राज्य में विगत 4 वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष है। कृषिक्षेत्र के रखबे में वृद्धि हुई है, परम्परागत 2 फसलों के स्थान पर वर्तमान में किसानों द्वारा 3 से 4 फसलें एक वर्ष में ली जा रही हैं। अत्याधिक पानी पर आधारित फसलों जैसे कि धान एवं मूँग की खेती में आसाधरण वृद्धि होने के कारण खरीफ कि फसलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा कि वृद्धि हुई है जिसके परिणाम रूपरूप कृषि पंपों में विद्युत खपत में भी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामरूपरूप कुछ जिलों में कृषि के भार में भयानक वृद्धि हुई है। मालवा जैसे क्षेत्र में सतही पानी के स्तर में गिरावट होने के कारण पंपों के हेड में वृद्धि हुई जिससे विद्युत खपत में वृद्धि हुई ये सभी पहलू अतिरिक्त विद्युत खपत को प्रभावित करते हैं इसलिए माह अप्रैल से सितंबर में पंप कनेक्शनों की खपत मानक यूनिट से बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप वितरण एवं एटी.एड.सी हानियाँ बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं के निवारण हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों की मानक यूनिट 1500 यूनिट/अश्व शक्ति/ वर्ष एवं 1560 यूनिट/अश्व शक्ति/ वर्ष से बढ़ाकर 1680 यूनिट/अश्व शक्ति/ वर्ष एवं 1740 यूनिट/अश्व शक्ति/ वर्ष क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु की जावे। इन यूनिटों को मागवार वितरण निम्ननुसार प्रस्तावित है:-

मानक यूनिट

समय(महीने)	एक फेस / तीन फेस	ग्रामीण		शहरी	
		वर्तमान यूनिट / हार्सपावर / माह	प्रस्तावित यूनिट / हार्सपावर / माह	वर्तमान यूनिट / हार्सपावर / माह	प्रस्तावित यूनिट / हार्सपावर / माह
अप्रैल से सितम्बर	3 फेस	80	110	90	120
अक्टूबर से मार्च	3 फेस	170	170	170	170
अप्रैल से सितम्बर	1 फेस	90	110	90	120
अक्टूबर से मार्च	1 फेस	180	180	180	180

3.2.7.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

पूर्व क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
सामान्य मीटरीकृत	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार	5.00%		5.00%	
	खपत प्रति अ .श.	5.00%		5.00%	
स्थायी अमीटरीकृत	उपभोक्ता	4.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	7.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार	4.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	5.00%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	खपत प्रति अ .श.	4.00%		5.00%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
अस्थायी मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%		0.00%	
	खपत प्रति अ .श.	0.00%		0.00%	

3.2.7.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

मध्य क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
सामान्य मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%		0.00%	
	खपत प्रति अ .श.	0.00%		0.00%	
स्थायी अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%		0.00%	
	खपत प्रति अ .श.	0.00%		0.00%	
अस्थायी मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%		0.00%	
	खपत प्रति अ .श.	0.00%		0.00%	

3.2.7.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

पश्चिम क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

वर्ष 2016 में माननीय मुख्यमंत्री म.प्र ने मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना की शुरूआत की। केपेक्स प्लान के अनुसार क्रमशः 137,890 एवं 59,947 अस्थाई कनेक्सनपों को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 कनेक्सनों में परिवर्तित किया जाना है। जिसके अनुसार याचिकार्ता ने परिवर्तन योजना तैयार की है। अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शनों में परिवर्तित करने से अस्थाई कनेक्शनों की संख्या में कमी होना बांधित है इसलिए वित्तीय वर्ष 2017 -18 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता, विक्रय एवं मौँग क प्रक्षेपण में 10 प्रतिशत विकास दर को कम किया गया है।

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
सामान्य मीटरीकृत	उपभोक्ता	3.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	3.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	खपत प्रति अ .श.	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
स्थायी अमीटरीकृत	उपभोक्ता	3.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	3.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	खपत प्रति अ .श.	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
अस्थायी मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%		0.00%	
	खपत प्रति अ .श.	0.00%		0.00%	

3.2.8 एल.व्ही. 5.2 अन्य कृषि उपयोग

एल.व्ही.-5.2 के लिये प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 9: एल.व्ही.-5.2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-18 (प्रक्षेपित)
25 अ तक .श.	4	6	6	3	3	3	1	1	1	7	10	11
25 अ .श.अ .श. से अधिक से तक .श.अ 100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
अस्थायी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
योग	5	7	8	4	5	5	1	2	2	11	14	15

3.2.8.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

पूर्व क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है:-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी			ग्रामीण		
3 अ तक .श.	उपभोक्ता	2.99%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।		5.69%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%			0.00%		
3 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 5	उपभोक्ता	6.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।		21.82%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%			0.00%		
5 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 10	उपभोक्ता	6.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।		3.64%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%			0.00%		
10 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 20	उपभोक्ता	6.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।		2.04%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	
20 अ.श. से अधिक	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	उपभोक्ता	0.00%		7.14%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%

3.2.8.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

मध्य क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है:-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	
3 अ तक .श.	उपभोक्ता	13.33%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
3 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 5	उपभोक्ता	20.95%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	2.86%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
5 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 10	उपभोक्ता	2.33%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
10 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 20	उपभोक्ता	6.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	20.00%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
20 अ.श. से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%

3.2.8.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

पश्चिम क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है:-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	
3 अ तक .श.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%
3 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 5	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	21.05% 5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%
5 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 10	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	4.00% 5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%		0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%		0.00%
10 अ .श. से अधिक	उपभोक्ता	20.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	24.32% 2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी			ग्रामीण		
से तक .श.अ 20	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%			0.00%		
20 अ .श. से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%			0.00%		
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%			0.00%		
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (कि.वा)	0.00%			0.00%		
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह	0.00%			0.00%		

3.2.9 एच.व्ही. 1 रेल्वे कर्षण

याचिकार्ताओं द्वारा वर्तमान में रेल्वे से इटारसी एवं कटनी के बीच निर्माणाधीन लाइन ओन डिमांड आन सप्लाई आफ इलेक्ट्रिसिटी अनुबंध किया है। इटारसी-पिपरिया-बनकैडी-गाडरवाडा-रेल लाइन के विद्युतीकरण से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक नया कनेक्शन आने की सम्भावना है इसी प्रकार गाडरवाडा-करेली-कटनी रेल लाइन के विद्युती करण से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भी एक नया कनेक्शन आने की सम्भावना है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कोई कनेक्शन आने की सम्भावना नहीं है।

इस श्रेणी विक्रयों का प्रछेपण निम्ननुसार है:-

तालिका 10: एच.व्ही.-1 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

क्षेत्र	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष- -17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
एच .व्ही.1 - रेल्वे कर्षण	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	50

3.2.9.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में रेलवे को कोई विक्रय नहीं था, परन्तु रेलवे के साथ नया अनुबंध होने के कारण और जिस समय रेलवे, वितरण कंपनीयों से पावर का आहरण करता था उस समय की प्रवृत्ति के अनुसार 10,000 के.व्ही.ए.के एक कनेक्शन से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 30 प्रतिशत लोड फेक्टर एवं 0.95 पावर फेक्टर पर लगभग 25 मि.यू. विक्रय अपेक्षित।

3.2.9.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में रेलवे को कोई विक्रय नहीं था, परन्तु रेलवे के साथ नया अनुबंध होने के कारण और जिस समय रेलवे, वितरण कंपनीयों से पावर का आहरण करता था उस समय की प्रवृत्ति के अनुसार 10,000 के.व्ही.ए.के एक कनेक्शन से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 30 प्रतिशत लोड फेक्टर एवं 0.95 पावर फेक्टर पर लगभग 25 मि.यू. विक्रय अपेक्षित।

3.2.9.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में इस श्रेणी के लिए कोई उपभोक्ता आधार नहीं है।

3.2.10 एच.व्ही. 2 कोयला खदानें

इस श्रेणी हेतु विक्रय प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 11: एच.व्ही.-2 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
132 के.व्ही.	195	197	197	0	0	0	0	0	0	195	197	197
33 के.व्ही.	260	260	246	30	30	30	0	0	0	291	291	276
11 के.व्ही.	4	4	4	1	1	1	0	0	0	5	5	5
योग	460	462	447	31	31	31	0	0	0	491	493	478

3.2.10.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

वर्ष 2017-18 हेतु पुनरीक्षित अनुमान वर्ष दर वर्ष के विकास को आधार मानकर किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्ष 2017-18 में पुनरीक्षित यूनिट में कोई वृद्धि नहीं ली गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु शहरी क्षेत्र के 33 के.व्ही. वोल्टेज स्तर के लिए (03 वर्षीय सी.ए.जी.आर) पर वृद्धि मानकर 0.92% वृद्धि ली गयी है।

तालिका 12: विकास दर प्रतिशत प्रछेपण

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी			ग्रामीण		
132 के.व्ही	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है	
	भार (कि.वा.)	0.00%			0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	0.00%			0.00%		
33 के.व्ही	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है	
	भार (कि.वा.)	0.00%			0.00%		

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
11 के.व्ही	यूनिट (मि.यू)	0.92%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	उपभोक्ता	0.00%	0.00%		
	भार (कि.वा.)	0.00%	0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	0.00%		

3.2.10.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

कोई विकास दर नहीं मानी गयी है

विकास दर प्रतिशत प्रछेपण

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
11 के.व्ही	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	

3.2.10.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी के कोई उपभोक्ता नहीं हैं।

3.2.11 एच.व्ही.-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक

भावी प्रछेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 13: एच.ब्ही.-3 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप संवर्ग		पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
		वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
औद्योगिक यूनिट मि.यू.	220 के.ब्ही.	316	273	173	-	-	-	3	2	2	319	275	175
	132 के.ब्ही.	925	776	776	991	1,054	1,121	160	202	205	2,076	2,033	2,102
	33 के.ब्ही.	447	461	478	1,024	1,125	1,236	1,851	1,915	1,939	3,321	3,500	3,654
	11 के.ब्ही.	110	117	125	53	56	59	135	138	140	297	311	324
	योग	1,797	1,627	1,552	2,067	2,234	2,417	2,149	2,258	2,286	6,013	6,119	6,255
गैर औद्योगिक यूनिट मि.यू.	132 के.ब्ही.	0	1	1	7	8	8	37	38	38	45	46	47
	33 के.ब्ही.	149	157	166	257	269	281	214	231	250	619	658	697
	11 के.ब्ही.	89	92	96	114	119	125	116	119	122	318	330	343
	योग	237	250	263	378	396	413	367	389	411	982	1,034	1,087
शॉर्पिंग मॉल मि.यू.	132 के.ब्ही.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 के.ब्ही.	7	7	8	26	26	27	47	53	57	81	86	92
	11 के.ब्ही.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	5	5	6
	योग	8	8	8	27	28	29	50	56	60	85	92	98
सधन विद्युत उपयोग मि.यू. औद्योगिक यूनिट मि.यू.	132 के.ब्ही.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 के.ब्ही.	-	-	-	-	-	-	314	348	352	314	348	352
	योग	57	92	96	195	213	234	494	525	532	746	830	861
	220 के.ब्ही.	57	92	96	195	213	234	808	873	884	1,060	1,178	1,213

3.2.11.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

औद्योगिक श्रेणी एच.ब्ही.3.1 में विक्य प्रक्षेपण के पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत - पूर्व क्षेत्र

440/220 के.ब्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
132 के.ब्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.ब्ही.	उपभोक्ता	5.00%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	1.60%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	2.93%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू)	3.14%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	5.21%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
11 के.ब्ही.	उपभोक्ता	4.10%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	9.84%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	3.41%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	7.17%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	6.89%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	6.21%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।

गैर औद्योगिक श्रेणी एच.ब्ही. 3.2 में विक्य प्रक्षेपण का पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत - पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	
132 के .ब्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%
33 के .ब्ही.	उपभोक्ता	0.93%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.67%
	भार (कि.वा.)	4.81%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
11 के .व्ही.	यूनिट (मि.यू)	5.40%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.95%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	उपभोक्ता	3.55%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	15.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.60%		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	2.99%		13.62%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

3.2.11.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

इस औद्योगिक श्रेणी एच.व्ही.3.1 में विक्रय प्रक्षेपण के पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

440/220 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	15.44%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
132 के .व्ही.	भार (कि.वा.)	0.00%		0.01%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	6.70%		3.36%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	उपभोक्ता	5.80%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	15.13%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
33 के .व्ही.	भार (कि.वा.)	5.30%		4.62%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	6.70%		16.75%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	उपभोक्ता	3.40%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	20.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
11 के .व्ही.	भार (कि.वा.)	2.13%		19.46%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	5.56%		20.73%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

गैर औद्योगिक श्रेणी एच.व्ही. 3.2 में विक्रय प्रक्षेपण का पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	2.79%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	1.08%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	15.63%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	4.60%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	11.75%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	3.46%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	15.96%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	4.20%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	3.77%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	3.38%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	4.76%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	19.62%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

3.2.11.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

वित्तीय वर्ष 2016 में एच.व्ही 3.1 औद्योगिक श्रेणी में ओपन एक्सेस के आने से 22 उच्च दाव उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस सुविधा लेने हेतु आवेदन किया। वित्तीय 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के दर आदेश में उच्च दाव उपभोक्ताओं हेतु कई प्रकार की छूट एवं प्रोतहान शामिल किये गये जिसके फलस्वरूप माह 2017 तक 22 उपभोक्ताओं में से केवल 4 उपभोक्ता द्वारा ओपन एक्सेस को चालू रखा गया है। इसके प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह अप्रैल से अगस्त 2017 तक विक्रिय में इन भूतपूर्व ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं का अच्छा योगदान रहा है।

चकि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के द्वारा उनकी माँग पुनः डिस कान को वापिस दी गई जिसको एक बार प्रभाव नाम दिया गया, यहाँ यह आवश्यक कि इन उपभोक्ताओं हेतु विक्रिय में बिना किसी व्यवधान के विकास दर (3 वर्षीय CAGR मानी गयी है, 2 वर्षीय CAGR मानी गयी है, 1 वर्षीय CAGR मानी गयी है, 5 माह की) हेतु ली जा रही हैं। एच.व्ही 3.1 श्रेणी में यह देखा गया है कि यदि इन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अलग कर दिया जाता है तब वास्तव में माँग में गिरावट आती है।

हालांकि, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए प.क्षे.वि.वि.क. ने इसके बजाय 1.25% की मामूली वृद्धि दर ग्रहण की है।

एच.व्ही 3.1 उद्योगिक श्रेणी हेतु विक्रियों हेतु प्रछेपण निम्ननुसार है:

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
440/220 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	1.25%		1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	1.25%		1.25%	
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	4.29%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	3.41%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	1.25%		1.25%	
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	4.51%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	1.57%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	1.25%	
	यूनिट (मि.यू)	1.25%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	1.25%	

एच.व्ही 3.2 गैर- उद्योगिक श्रेणी हेतु विक्रयों हेतु प्रछेपण निम्ननुसार है:

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	6.27%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	10.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	6.24%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	5.80%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	8.68%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	3.48%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	2.61%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	20.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी			ग्रामीण		
	यूनिट (मि.यू)	2.71%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।		14.36%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	

3.2.12 एच.ब्ही.-4 मौसमी

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका 14: एच.ब्ही.-4 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
33 के.ब्ही.	6	7	7	1	1	1	9	10	11	17	18	19
11 के.ब्ही.	1	1	1	0	0	0	2	2	3	3	4	4
योग	7	8	8	2	2	2	11	13	13	20	22	24

3.2.12.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी हेतु पूर्वानुमानित विक्रयों के अनुमान निम्नानुसार है :

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

33 के.ब्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	9.12%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.30%	
11 के.ब्ही.	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	17.41%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	7.60%	

3.2.12.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी हेतु पूर्वानुमानित विक्रयों के अनुमान निम्नानुसार है :

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	4.82%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	4.04%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%		0.00%	

3.2.12.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी हेतु पूर्वानुमानित विक्रयों के अनुमान निम्नानुसार है :

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	4.55%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	4.64%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	11.80%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।

3.2.13 एच ब्ही -5 जल प्रदाय, उद्वहन सिंचाई एवं कृषि से संबंधी अन्य उपयोग

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार हैः-

तालिका 15: एच.ब्ही.-5 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
जल प्रदाय / सिंचाई - यूनिट मि.यू.	132 के .ब्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 के .ब्ही.	4	6	10	2	2	3	89	98	108	95	106
	11 के .ब्ही.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
	योग	5	6	10	3	3	3	89	98	108	96	107
सिंचाई - यूनिट (.यू.प्पि)	132 के .ब्ही.	0	0	0	60	60	60	302	123	129	362	183
	33 के .ब्ही.	72	78	85	107	130	158	92	105	121	271	313
	11 के .ब्ही.	9	11	13	13	15	17	10	9	8	32	35
	योग	81	89	98	180	205	235	403	236	258	665	531
अन्य कृषि - यूनिट मि.यू.	132 के .ब्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 के .ब्ही.	12	12	12	6	6	7	2	0	0	20	18
	11 के .ब्ही.	2	3	3	2	2	2	5	10	11	9	14
	योग	14	15	15	8	8	9	7	10	11	29	33
3.2.13.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी												

उच्चाब जलप्रदाय श्रेणी में विक्रय पूर्वानुमान की विकास दर का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	7.14%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	10.94%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	8.66%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	1.02%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू.)	9.58%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	8.23%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	4.89%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	1.36%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	8.95%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	33.43%	

उच्चदाव कृषि श्रेणी में विक्रय पूर्वानुमान की विकास दर का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%		0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%		58.59%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

उच्चदाब कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	23.62%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
			34.02% 2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

3.2.13.2 मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी

उच्चदाब जलप्रदाय श्रेणी में विक्रय पूर्वानुमान की विकास दर का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	13.79%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	6.60%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।
			10.00% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
	यूनिट (मि.यू)	21.74%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	10.08%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	2.25%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	4.48%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	यूनिट (मि.यू)	15.16%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	27.13%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।

उच्चदाव कृषि श्रेणी में विक्रय पूर्वानुमान की विकास दर का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	42.62%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू)	14.48%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	17.29%	2वर्षीय CAGR माना गया है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	

उच्चदाव कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	3.28%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	5.46%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू)	3.63%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	7.55%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू)	15.87%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	23.01%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।

3.2.13.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

उच्चदाव कृषि हेतु अनुमानित बिक्री हेतु वृद्धि का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	1.46%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	10.55%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	

उच्चदाब कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	
	भार (कि.वा.)	0.00%			0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	0.00%			0.00%		
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	
	भार (कि.वा.)	0.00%			0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	0.00%			0.00%		
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	7.69%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	
	भार (कि.वा.)	8.73%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।		0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।		0.00%		

3.2.14 एच.व्ही.-6 थोक रहवासी उपयोगकर्ता – प्रक्षेपण

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है

तालिका 16: एच.व्ही.-5 के लिये ऊर्जा विक्रय (मिलियन यूनिट)

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
123 के.व्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 के.व्ही.	255	270	263	146	149	151	25	25	26	426	444	440

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18 (आर.ई)	वि.वर्ष-19 (प्रक्षेपित)
11 के.व्ही.	25	26	27	14	15	16	6	6	6	45	47	50
योग	280	296	291	160	164	168	31	31	32	471	491	490

3.2.14.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	
	भार (कि.वा.)	0.00%			0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	0.00%			0.00%		
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	
	भार (कि.वा.)	0.00%			0.00%		
	यूनिट (मि.यू)	5.00%			3.65%		

3.2.14.2 मध्य क्षेत्रवितरण कंपनी

इस श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	1.27%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।		10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	
	भार (कि.वा.)	1.13%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।		1.60%		

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
	यूनिट (मि.यू)	1.66%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	6.68%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	5.27%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि.वा.)	0.88%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	1.26%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।
	यूनिट (मि.यू)	5.29%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	7.85%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।

3.2.14.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

अनुमानित विकास प्रतिशत – पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	

3.2.15 एच.व्ही.- 7 ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उत्पादकतों हेतु विद्युत की आवश्यकता

इस श्रेणी के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 17: ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उत्पादकतों हेतु विद्युत की आवश्यकता (मि.यू)

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी			म.प्र. राज्य		
	वि.वर्ष-	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19

	17	(आर.ई)	(प्रक्षेपित)	17	(आर.ई)	(प्रक्षेपित)		(आर.ई)	(प्रक्षेपित)		(आर.ई)	(प्रक्षेपित)
132 के.व्ही.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2
33 के.व्ही.	0	1	0	0	0	0	4	4	4	5	5	4
11 के.व्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	0	1	0	0	1	1	5	6	6	6	7	6

3.2.15.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उत्पादकतों हेतु विद्युत की आवश्यकता - पूर्व क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%	

3.2.15.2 मध्य क्षेत्रवितरण कंपनी

इस श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उत्पादकतों हेतु विद्युत की आवश्यकता - मध्य क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	5.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	5.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	5.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	5.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	

3.2.15.3 पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी

इस श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है :-

ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उत्पादकतों हेतु विद्युत की आवश्यकता - पश्चिम क्षेत्र

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%		0.00%	
	यूनिट (मि.यू)	0.00%		0.00%	

A4: विद्युत वितरण कंपनी की परिधि पर एवं एक्स-बस पर ऊर्जा की आवश्यकता

4.1 वार्षिक विक्रय से मासिक विक्रय में रूपांतरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 को सम्मिलित कर विगत पांच वर्षों के दौरान देखे गये विक्रय प्रालेख का प्रयोग करते हुये वितरण कंपनियों के वार्षिक विक्रय को मासिक विक्रय में रूपांतरित किया गया है। फिर इस प्रालेख का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के मासिक विक्रय की गणना के लिये उपयोग किया गया है। सभी वितरण कंपनियों के लिये प्रालेख निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 18: माहवार विक्रय प्रालेख

माहवार विक्रय प्रालेख मिश्रण (प्रतिशत)														
क्र.	वितरण कम्पनी	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	वित्तीय वर्ष (प्रावधिक)													
अ	पूर्व	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	8%	9%	11%	10%	11%	100%
ब	मध्य	7%	8%	8%	8%	7%	7%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	100%
स	पश्चिम	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
2	वित्तीय वर्ष (पुनःआंकलन)													
अ	पूर्व	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	10%	10%	9%	10%	100%
ब	मध्य	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	10%	10%	10%	9%	9%	100%
स	पश्चिम	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	10%	10%	10%	10%	9%	100%
3	वित्तीय वर्ष (प्रक्षेपित)													
अ	पूर्व	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	10%	10%	9%	10%	100%
ब	मध्य	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	10%	10%	10%	9%	9%	100%
स	पश्चिम	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	10%	10%	10%	10%	9%	100%

4.2 वितरण हानियाँ

माननीय आयोग द्वारा अपने विनियम 2015 में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए मानक वितरण हानियां निर्धारित की गयी थी। विनियम में दर्शाया गया वितरण हानि स्तर परिपथ निम्न तालिका में दिया जा रहा है:-

तालिका 18: मानक हानि स्तर (%)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	18.00%	17.00%	16.00%
2	मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	19.00%	18.00%	17.00%
3	पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	16.00%	15.50%	15.00%

वितरण कंपनियों की वित्तीय वर्ष 16-17 हेतु प्रावधानिक हानि पूर्व क्षेत्र के लिए 22.61% मध्य क्षेत्र के लिए 36.15% एवं पश्चिम क्षेत्र के लिए 17.87% पायी गयी है। तथापि इस याचिका के लिए माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रामाणिक हानियों को ऊर्जा संतुलन की गणना तथा वितरण कंपनियों की ऊर्जा खरीद लागत की गणना करने हेतु वित्तीय वर्ष 17-18 से वित्तीय वर्ष 18-19 हेतु मान्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 16-17 में प्रावधानिक हानियों को गणना हेतु मान्य किया गया है।

4.3 अतः राज्यीय पारेषण हानियाँ

वितरण कंपनियों द्वारा वास्तविक राज्य अन्तर्गत पारेषण हानियां 2.71% वित्तीय वर्ष 2016-17 की म.प्र. पावर ट्रॉसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। यह हानियां अपनी वेबसाइट (http://www.mptransco.in/Document/2016-17%20Regulatory%20compliance_01072017.pdf) पर अपलोड की गई है। वित्त वर्ष 2017-18 एवं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भी यही माना गया है।

4.4 अंतर्राज्यीय पारेषण हानियाँ

माननीय आयोग ने अपने पूर्व निर्देशों में क्षेत्र वार पीजीसीआईएल हानियों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पूर्व क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व क्षेत्र के संयंत्रो के लिये प्रायोज्य जो वास्तविक अंतर-राज्य पारेषण हानियां - (ERLDC – http://www.erldc.org/OpenAccess/schd_loss_2017-2018.pdf & http://www.erldc.org/OpenAccess/schd_loss_2016-2017.pdf) तथा

पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पश्चिम क्षेत्र संयंत्रों के लिये प्रायोज्य जो वास्तविक अंतर-राज्य पारेषण हानियां (http://www.wrldc.in/Commercial/WR_LOSS_NEW/) प्रतिवेदित की है को दर्शाया है।

वितरण कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के लिये पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र हेतु क्रमशः 3.66% एवं 2.27% वास्तविक हानियां मान्य की है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिये विगत 52 सप्ताह की औसत हानियों (12 सितम्बर-2016 से 10 सितम्बर-2017 तक) के आधार पर क्रमशः 3.57 % एवं 2.29 % हानियों को लिया गया है।

4.5 वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता

पिछले 5 वर्षों के दौरान संचयी वार्षिक हानियों के मासिक हानि से मानक विचलन स्तर के आधार पर वार्षिक वितरण हानि स्तर को मासिक हानि में बदला गया है। इस विधि में वितरण कंपनी की वास्तविक मासिक हानि के स्तर एवं विगत कुछ वर्षों के लिए संचयी वार्षिक हानि को लिया जाता है एवं प्रत्येक माह की हानि को वार्षिक हानि के प्रगामी औसत स्तर के मानक विचलन से गणना की जाती है। मासिक मानक विचलन से मासिक हानि स्तर की गणना म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक हानि स्तर के आधार पर की जाती है।

परिणाम स्वरूप वितरण कंपनी की सीमा पर वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता की मात्रा मध्य प्रदेश विद्युत नियमाक आयोग द्वारा निर्धारित हानि स्तर की तुलना में अधिक है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों एवं म.प्र. राज्य की सीमा पर ऊर्जा आवश्यकता की गणना निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका19: वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) - वित्तीय वर्ष 2016-17 (प्रावधिक)

वित्तीय वर्ष 2016-17 (प्रावधिक) के लिये मासिक एक्स बस आवश्यकता (मि.यू.)														
क्रं	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	विक्रय	3,064	3,156	3,240	3,074	2,923	2,977	3,945	3,951	3,993	4,336	4,230	4,393	43,283
अ	पूर्व	937	956	975	902	877	891	1,158	1,130	1,184	1,486	1,406	1,508	13,409
ब	मध्य	887	934	985	930	882	890	1,133	1,114	1,110	1,137	1,136	1,173	12,309
स	पश्चिम	1,241	1,266	1,281	1,243	1,164	1,196	1,654	1,708	1,700	1,713	1,687	1,713	17,565
2	वितरण हानि (%)													
अ	पूर्व	42%	35%	30%	26%	28%	34%	16%	23%	27%	6%	6%	2%	23%
ब	मध्य	43%	39%	33%	36%	37%	44%	29%	38%	41%	36%	31%	25%	36%
स	पश्चिम	31%	25%	21%	11%	12%	14%	3%	23%	26%	21%	14%	6%	18%

वित्तीय वर्ष 2016-17 (प्रावधिक) के लिये मासिक एक्स बस आवश्यकता (मि.यू)														
क्रं	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
3	वितरण हानि	1,883	1,543	1,258	987	1,026	1,373	727	1,538	1,786	1,187	879	520	14,708
अ	पूर्व	667	514	425	318	345	462	217	328	428	98	92	23	3,917
ब	मध्य	660	605	495	517	529	711	463	693	756	641	518	381	6,968
स	पश्चिम	556	425	338	152	152	200	48	517	602	448	268	116	3,822
4	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा	4,947	4,700	4,498	4,062	3,949	4,350	4,672	5,489	5,779	5,524	5,109	4,914	57,992
अ	पूर्व	1,604	1,470	1,400	1,220	1,222	1,353	1,375	1,458	1,612	1,585	1,498	1,531	17,327
ब	मध्य	1,547	1,539	1,480	1,447	1,411	1,601	1,595	1,806	1,866	1,777	1,655	1,554	19,278
स	पश्चिम	1,796	1,691	1,619	1,395	1,316	1,396	1,702	2,225	2,302	2,161	1,956	1,829	21,387
5	राज्य पारेषण हानियाँ	138	131	125	113	110	121	130	153	161	154	142	137	1,615
अ	पूर्व	45	41	39	34	34	38	38	41	45	44	42	43	483
ब	मध्य	43	43	41	40	39	45	44	50	52	50	46	43	537
स	पश्चिम	50	47	45	39	37	39	47	62	64	60	54	51	596
6	राज्य की परिधि पर ऊर्जा	5,085	4,831	4,624	4,175	4,059	4,471	4,802	5,642	5,940	5,677	5,251	5,050	59,607
अ	पूर्व	1,648	1,511	1,439	1,254	1,256	1,391	1,413	1,498	1,657	1,629	1,540	1,573	17,809
ब	मध्य	1,590	1,582	1,521	1,487	1,450	1,645	1,640	1,857	1,918	1,827	1,701	1,597	19,814
स	पश्चिम	1,846	1,738	1,664	1,434	1,353	1,435	1,749	2,287	2,366	2,221	2,010	1,880	21,983
7	बाह्य /पीजीसीआईएल हानियाँ (पश्चिम क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र)	140	168	180	166	146	155	139	136	133	146	129	137	1,775
अ	पूर्व	45	53	56	50	45	48	41	36	37	42	38	43	534
ब	मध्य	44	55	59	59	52	57	48	45	43	47	42	43	594
स	पश्चिम	51	60	65	57	49	50	51	55	53	57	49	51	648
8	यू आई को सम्मिलित कर एक्स बस पर ऊर्जा आवश्यकता	5,225	4,999	4,803	4,341	4,205	4,626	4,941	5,778	6,073	5,823	5,380	5,187	61,382
अ	पूर्व	1,694	1,564	1,495	1,303	1,301	1,439	1,454	1,535	1,694	1,671	1,578	1,616	18,343
ब	मध्य	1,634	1,637	1,580	1,547	1,502	1,702	1,687	1,902	1,961	1,874	1,742	1,641	20,408
स	पश्चिम	1,897	1,798	1,729	1,491	1,402	1,485	1,800	2,342	2,418	2,279	2,060	1,931	22,631

तालिका 20: वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) - वित्तीय वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित आकलन)

वित्तीय वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित आकलन) के लिये मासिक एक्स बस आवश्यकता (मि.यू.)														
क्रं	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	विक्रय	3,296	3,451	3,417	3,298	3,362	3,276	4,166	4,408	4,622	4,643	4,442	4,352	46,734
अ	पूर्व	1,080	1,104	1,037	985	1,093	1,060	1,236	1,283	1,408	1,472	1,354	1,393	14,507
ब	मध्य	933	999	1,025	1,001	983	981	1,200	1,291	1,324	1,255	1,196	1,249	13,438
स	पश्चिम	1,282	1,348	1,355	1,312	1,286	1,234	1,731	1,834	1,890	1,916	1,892	1,710	18,789
2	वितरण हानि (%)													
अ	पूर्व	28%	28%	19%	18%	20%	22%	15%	17%	19%	8%	8%	2%	17%
ब	मध्य	23%	23%	16%	17%	19%	25%	17%	22%	21%	17%	12%	4%	18%
स	पश्चिम	29%	26%	16%	11%	9%	16%	5%	24%	24%	13%	7%	6%	16%
3	वितरण हानि	1,229	1,195	692	591	629	863	571	1,199	1,269	683	411	187	9,518
अ	पूर्व	424	419	245	223	271	301	221	254	325	135	117	28	2,963
ब	मध्य	277	303	196	199	235	329	251	362	354	252	159	54	2,970
स	पश्चिम	528	473	251	169	123	233	100	583	590	296	135	106	3,585
4	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा	4,524	4,646	4,109	3,889	3,991	4,139	4,737	5,607	5,892	5,326	4,853	4,539	56,252
अ	पूर्व	1,504	1,523	1,282	1,208	1,364	1,361	1,457	1,538	1,733	1,607	1,471	1,421	17,469
ब	मध्य	1,210	1,303	1,220	1,200	1,218	1,310	1,450	1,653	1,678	1,507	1,355	1,302	16,408
स	पश्चिम	1,810	1,820	1,606	1,481	1,409	1,467	1,830	2,416	2,480	2,211	2,027	1,816	22,374
5	राज्य पारेषण हानियाँ	126	129	114	108	111	115	132	156	164	148	135	126	1,567
अ	पूर्व	42	42	36	34	38	38	41	43	48	45	41	40	487
ब	मध्य	34	36	34	33	34	37	40	46	47	42	38	36	457
स	पश्चिम	50	51	45	41	39	41	51	67	69	62	56	51	623
6	राज्य की परिधि पर ऊर्जा	4,650	4,775	4,223	3,997	4,102	4,254	4,869	5,763	6,056	5,474	4,988	4,666	57,819
अ	पूर्व	1,546	1,566	1,318	1,241	1,402	1,399	1,497	1,581	1,782	1,652	1,512	1,461	17,956
ब	मध्य	1,244	1,339	1,254	1,234	1,252	1,347	1,491	1,699	1,725	1,549	1,393	1,339	16,865
स	पश्चिम	1,860	1,871	1,651	1,522	1,448	1,508	1,881	2,483	2,550	2,273	2,084	1,866	22,998

वित्तीय वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित आकलन) के लिये मासिक एक्स बस आवश्यकता (मि.यू.)														
क्रं	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
7	बाह्य /पीजीसीआईएल हानियाँ (पश्चिम क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र)	128	117	110	104	135	83	112	147	161	142	132	118	1,489
अ	पूर्व	42	38	34	32	46	27	35	40	47	43	40	37	463
ब	मध्य	34	33	33	32	41	26	34	43	46	40	37	34	434
स	पश्चिम	51	46	43	40	48	29	43	63	68	59	55	47	592
8	एक्स बस पर ऊर्जा आवश्यकता	4,778	4,892	4,333	4,102	4,237	4,337	4,982	5,910	6,217	5,616	5,121	4,784	59,308
अ	पूर्व	1,588	1,604	1,352	1,274	1,448	1,426	1,532	1,621	1,829	1,695	1,552	1,498	18,419
ब	मध्य	1,278	1,372	1,287	1,266	1,293	1,373	1,525	1,742	1,770	1,589	1,430	1,373	17,299
स	पश्चिम	1,911	1,917	1,694	1,562	1,496	1,538	1,925	2,547	2,617	2,332	2,139	1,914	23,590

तालिका 21: वितरण कंपनी एवं एक्स-बस परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) - वित्तीय वर्ष 2017-18 (प्रक्षेपित)

वित्तीय वर्ष 2017-18 (प्रक्षेपित) के लिये मासिक एक्स बस आवश्यकता (मि.यू.)														
क्रं	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	विक्रय	3,636	3,850	3,844	3,751	3,697	3,848	4,885	5,167	5,421	5,445	5,206	5,109	53,858
अ	पूर्व	1,192	1,275	1,240	1,207	1,212	1,275	1,486	1,543	1,693	1,771	1,628	1,676	17,199
ब	मध्य	1,070	1,152	1,141	1,132	1,119	1,169	1,430	1,538	1,577	1,495	1,425	1,488	15,735
स	पश्चिम	1,374	1,422	1,463	1,412	1,366	1,404	1,969	2,086	2,151	2,179	2,152	1,945	20,924
2	वितरण हानि (%)													
अ	पूर्व	27%	27%	18%	17%	19%	21%	14%	16%	18%	7%	7%	1%	16%
ब	मध्य	22%	22%	15%	16%	18%	24%	16%	21%	20%	16%	11%	3%	17%
स	पश्चिम	29%	25%	15%	11%	8%	15%	5%	24%	23%	13%	6%	5%	15%
3	वितरण हानि	1,297	1,277	737	637	655	968	625	1,335	1,415	742	434	173	10,296
अ	पूर्व	445	461	274	256	281	341	245	284	366	142	122	16	3,232
ब	मध्य	300	330	202	209	251	371	278	406	397	279	171	48	3,241
स	पश्चिम	552	486	261	173	123	256	102	645	653	322	141	109	3,823

वित्तीय वर्ष 2017-18 (प्रक्षेपित) के लिये मासिक एक्स बस आवश्यकता (मि.यू)														
क्रं	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
4	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा	4,933	5,127	4,580	4,388	4,351	4,816	5,510	6,502	6,836	6,188	5,640	5,282	64,154
अ	पूर्व	1,637	1,736	1,513	1,462	1,493	1,616	1,732	1,828	2,059	1,912	1,750	1,692	20,431
ब	मध्य	1,370	1,482	1,343	1,341	1,369	1,541	1,707	1,944	1,974	1,774	1,596	1,536	18,977
स	पश्चिम	1,927	1,909	1,724	1,585	1,489	1,659	2,071	2,731	2,803	2,501	2,294	2,055	24,746
5	राज्य पारेषण हानियाँ	137	143	128	122	121	134	153	181	190	172	157	147	1,787
अ	पूर्व	46	48	42	41	42	45	48	51	57	53	49	47	569
ब	मध्य	38	41	37	37	38	43	48	54	55	49	44	43	529
स	पश्चिम	54	53	48	44	41	46	58	76	78	70	64	57	689
6	राज्य की परिधि पर ऊर्जा	5,070	5,269	4,708	4,510	4,472	4,950	5,663	6,683	7,027	6,360	5,797	5,430	65,941
अ	पूर्व	1,682	1,784	1,556	1,503	1,535	1,661	1,780	1,879	2,117	1,966	1,799	1,739	21,000
ब	मध्य	1,408	1,524	1,380	1,378	1,408	1,583	1,755	1,998	2,029	1,824	1,641	1,578	19,505
स	पश्चिम	1,980	1,962	1,772	1,629	1,530	1,706	2,129	2,807	2,881	2,571	2,358	2,112	25,436
7	बाह्य /पीजीसीआईएल हानियाँ (पश्चिम क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र)	119	116	114	118	113	113	119	153	171	129	119	124	1,508
अ	पूर्व	39	39	38	39	39	38	37	43	51	40	37	40	481
ब	मध्य	33	33	34	36	36	36	37	46	49	37	34	36	446
स	पश्चिम	46	43	43	43	39	39	45	64	70	52	48	48	581
8	एक्स बस पर ऊर्जा आवश्यकता	5,189	5,385	4,822	4,628	4,585	5,064	5,783	6,836	7,198	6,489	5,916	5,553	67,449
अ	पूर्व	1,722	1,824	1,593	1,543	1,574	1,699	1,817	1,921	2,168	2,006	1,836	1,779	21,481
ब	मध्य	1,441	1,557	1,414	1,414	1,443	1,620	1,792	2,044	2,078	1,861	1,674	1,614	19,952
स	पश्चिम	2,026	2,005	1,815	1,672	1,569	1,745	2,174	2,871	2,952	2,623	2,406	2,160	26,016

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रय की जाने वाली एक्स-बस ऊर्जा (मानक एवं वास्तविक हानियों पर) निम्न तालिकाओं में दर्शाई जा रही है:

तालिका 22: ऊर्जा आवश्यकता - मानक वितरण हानियों पर (मिलियन यूनिट)

ऊर्जा क्रय आवश्यकता - (मानक वितरण हानियों पर)													
क्र	विवरण	म.प्र. राज्य			पूर्व क्षेत्र वितरण कं			मध्य क्षेत्र वितरण कं			पश्चिम क्षेत्र वितरण कं		
		वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
1	विक्रय (मिलियन यूनिट)	43,283	46,734	53,858	13,409	14,507	17,199	12,309	13,438	15,735	17,565	18,789	20,924
	निम्न दाव	33,365	36,627	43,410	10,463	11,653	14,385	9,258	10,154	12,169	13,645	14,821	16,856
	उच्च दाव	9,918	10,107	10,448	2,946	2,854	2,814	3,051	3,284	3,567	3,920	3,968	4,068
2	वितरण हानियाँ (प्रतिशत)	17.49%	16.92%	16.05%	18.00%	17.00%	16.00%	19.00%	18.00%	17.00%	16.00%	15.50%	15.00%
	वितरण हानियाँ (मि.यूनिट)	9,176	9,518	10,296	2,943	2,963	3,232	2,887	2,970	3,241	3,346	3,585	3,823
3	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यूनिट)	52,460	56,252	64,154	16,352	17,469	20,431	15,196	16,408	18,977	20,911	22,374	24,746
4	राज्य परेषण हानियाँ (प्रतिशत)	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%
	राज्य परेषण हानियाँ (मि.यूनिट)	1,461	1,567	1,787	455	487	569	423	457	529	582	623	689
5	राज्य की परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यूनिट)	53,921	57,819	65,941	16,808	17,956	21,000	15,620	16,865	19,505	21,493	22,998	25,436
6	बाह्य हानियाँ - पश्चिम क्षेत्रीय	3.66%	3.57%	3.57%	3.66%	3.57%	3.57%	3.66%	3.57%	3.57%	3.66%	3.57%	3.57%
	बाह्य हानियाँ - पूर्व क्षेत्रीय	2.27%	2.29%	2.29%	2.27%	2.29%	2.29%	2.27%	2.29%	2.29%	2.27%	2.29%	2.29%
	बाह्य हानियाँ - मिलियन यूनिट	1,775	1,489	1,508	531	463	481	589	434	446	655	592	581
7	एक्स बस ऊर्जा आवश्यकता	55,696	59,308	67,449	17,339	18,419	21,481	16,209	17,299	19,952	22,149	23,590	26,016

तालिका 23: ऊर्जा आवश्यकता - वास्तविक वितरण हानियों पर (मिलियन यूनिट)

ऊर्जा क्रय आवश्यकता - (वास्तविक वितरण हानियों पर)													
क्र	विवरण	म.प्र. राज्य			पूर्व क्षेत्र वितरण कं			मध्य क्षेत्र वितरण कं			पश्चिम क्षेत्र वितरण कं		
		वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
1	विक्रय (मिलियन यूनिट)	43,283	46,734	53,858	13,409	14,507	17,199	12,309	13,438	15,735	17,565	18,789	20,924
	निम्न दाव	33,365	36,627	43,410	10,463	11,653	14,385	9,258	10,154	12,169	13,645	14,821	16,856
	उच्च दाव	9,918	10,107	10,448	2,946	2,854	2,814	3,051	3,284	3,567	3,920	3,968	4,068
2	वितरण हानियाँ (प्रतिशत)	25.36%	25.43%	25.55%	22.61%	22.61%	22.61%	36.15%	36.15%	36.15%	17.87%	17.87%	17.87%

क्र	विवरण	ऊर्जा क्रय आवश्यकता - (वास्तविक वितरण हानियों पर)												
		म.प्र. राज्य	पूर्व क्षेत्र वितरण कं			मध्य क्षेत्र वितरण कं			पश्चिम क्षेत्र वितरण कं			वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
			वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
	वितरण हानियाँ (मि.यूनिट)	14,708	15,934	18,485	3,917	4,238	5,024	6,968	7,608	8,908	3,822	4,088	4,553	
3	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यूनिट)	57,991	62,667	72,344	17,326	18,744	22,224	19,278	21,046	24,644	21,387	22,877	25,477	
4	राज्य पारेषण हानियाँ (प्रतिशत)	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	
	राज्य पारेषण हानियाँ (मि.यूनिट)	1,615	1,746	2,015	483	522	619	537	586	686	596	637	710	
5	राज्य की परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यूनिट)	59,606	64,413	74,359	17,809	19,267	22,843	19,815	21,632	25,330	21,983	23,514	26,186	
6	बाह्य हानियाँ - पश्चिम क्षेत्रीय	3.66%	3.57%	3.57%	3.66%	3.57%	3.57%	3.66%	3.57%	3.57%	3.66%	3.57%	3.57%	
	बाह्य हानियाँ - पूर्व क्षेत्रीय	2.27%	2.29%	2.29%	2.27%	2.29%	2.29%	2.27%	2.29%	2.29%	2.27%	2.29%	2.29%	
	बाह्य हानियाँ - मिलियन यूनिट	1,775	1,489	1,508	531	463	481	589	434	446	655	592	581	
7	एक्स बस ऊर्जा आवश्यकता	61,381	65,902	75,867	18,339	19,729	23,324	20,403	22,066	25,776	22,639	24,107	26,767	

माननीय आयोग से प्रार्थना है कि उपरोक्तानुसार दर्शाई गई ऊर्जा आवश्यकता को अनुज्ञेय करने की कृपा करें।

A5: उपलब्धता का आंकलन

5.1 वर्तमान एवं आने वाली उपलब्धता का आंकलन

वितरण कंपनियों द्वारा मोटे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों को राज्य के उत्पादन केन्द्र जैसे म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी के उत्पादन केन्द्र, केन्द्रीय उत्पादन गृह का अंश, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, बायोमास, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, दामोदर वैली कार्पोरेशन तथा सौर ऊर्जा में श्रेणीबद्ध किया है।

यह अनुभाग म.प्र. राज्य की भविष्य के वर्षों की आवश्यकताओं के लिए विद्युत की उपलब्धता एवं संबंधित व्यय का विवरण देता है। प्रक्षेपण निम्न कारकों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है :-

- वर्तमान में दीर्घ काल के लिये आवंटित म.प्र. की उत्पादन क्षमता;
- वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि के दौरान एमपीपीजीसीएल, केन्द्रिय सेक्टर, संयुक्त उदगम एवं प्रतियोगितात्मक बोली के द्वारा निजी खिलाड़ियों से आने वाली नवीन उत्पादन क्षमता;
- पश्चिमी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता आवंटन का प्रभाव

उपरोक्त उपलब्ध जानकारियों के आधार पर आगामी वर्षों में विद्युत की खरीद का पूर्वानुमान तैयार किया गया है। यह आगामी हिस्सों में वर्णित है। हम यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नये केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय विद्युत उत्पादन गृह जो प्रारम्भ होने वाले हैं, वे निम्नानुसार है :-

तालिका 24: आने वाले परम्परागत उपकेन्द्र तथा अन्य तकनीकी पैरामीटर

विवरण	क्षमता (मे.वा)	प्रथम 90 दिन के लिए लिया गया पी.एल.एफ. (प्रतिशत)	90 दिन के पश्चात लिया गया पी.एल.एफ. (प्रतिशत)	टिप्पणी	मध्य प्रदेश का हिस्सा		CoD
					प्रतिशत	मेगावाट	
एनटीपीसी मौदा-II यूनिट-2	660	77.08%	77.08%	मौदा -II यूनिट-1 का पी.एल.एफ. मान्य किया गया है।	18.77%	123.85	18-सितम्बर-17
एनटीपीसी सोलापुर एस्टीपीएस, यूनिट -1	660	27.00%	27.00%	प्रथम दो माह का पी.एल.एफ. मान्य किया गया	25.15%	165.99	25-सित.17
एनटीपीसी सोलापुर एस्टीपीएस, यूनिट -2	660	27.00%	27.00%	सोलापुर-1 के समतुल्य पी.एल.एफ. लिया गया	23.03%	152.00	30-जून-18
एनटीपीसी गाडरवारा एस्टीपीएस, यूनिट -1	800	65.00%	82.50%	नवीन उत्पादन गृह	50.00%	400.00	30-जून-18
एनटीपीसी लारा, एस्टीपीएस, यूनिट -1	800	65.00%	82.50%		7.98%	63.80	30-जून-18

विवरण	क्षमता (मे.वाँ)	प्रथम 90 दिन के लिए लिया गया पी.एल.एफ. (प्रतिशत)	90 दिन के पश्चात लिया गया पी.एल.एफ. (प्रतिशत)	टिप्पणी	मध्य प्रदेश का हिस्सा		CoD
					प्रतिशत	मेगावाट	
श्री सिंगा जी फेस 2- यूनिट 1-	660	66.47%	66.47%	सिंगाजी फेस 1-का पीमान्य .एफ.एल. किया गया	90.00%	594.00	30-सित-18
श्री सिंगा जी फेस 2- यूनिट 2-	660	66.47%	66.47%		90.00%	594.00	31-दिस.-18
योग	4,900					2,093.64	

मध्य प्रदेश को विभिन्न केन्द्रों में आवंटित भाग म.प्र. की तीनों वितरण कंपनियों को आवंटित क्षमताओं को निम्न दर्शित तालिका में स्टेशनवार दर्शाया गया है। राज्य हेतु आवंटित केन्द्रीय अंचल स्टेशनों से संबंधित, पश्चिम क्षेत्रीय पावर कमेटी के पत्र क्र. प.क्षे./ पीसी /Comm/I/6/Alloc/2017/13837 Dt. 22-09-2017 एवं पूर्व क्षेत्रीय एन.टी.पी.सी. कहलगांव-2 द्वारा पत्र क्र. GOI Mop 5/31/2006-Th.2 Dt. 21-02-2007। मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी तथा अन्य स्रोतों के आवंटन उनके द्वारा की गयी चर्चा तथा उनके कार्यालयीन दस्तावेजों के आधार पर समाहित किया गया है।

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी / वितरण कंपनियों को आवंटित नवीन तथा विद्यमान उत्पादन केन्द्रों के अंश का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 25: अनुबंधित क्षमता – म.प्र.राज्य (विद्यमान तथा नवीन)

विवरण	क्षेत्र	क्षमता मे.वाँ.	वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानिक		वर्ष 2017-18 हेतु पुनरीक्षित		वर्ष 2018-19 हेतु आंकलित	
			%	मे.वाँ	%	मे.वाँ	%	मे.वाँ
केन्द्रीय सेक्टर		19,914		3,263		3,659		4,388
एनटीपीसी कोरबा	WR	2,100	23	482	23	479	23	479
एनटीपीसी कोरबा III	WR	500	15	77	15	76	16	76
एनटीपीसी विध्याचल -I	WR	1,260	35	443	35	441	35	441
एनटीपीसी विध्याचल -II	WR	1,000	32	318	32	316	32	316
एनटीपीसी विध्याचल -III	WR	1,000	25	245	24	243	24	243
एनटीपीसी विध्याचल -IV	WR	1,000	28	284	28	284	28	284
एनटीपीसी विध्याचल -V यूनिट-1	WR	500	28	142	28	142	28	142
एनटीपीसी सीपत -I	WR	1,980	17	338	17	337	17	337
एनटीपीसी सीपत -II	WR	1,000	19	187	19	186	19	186
एनटीपीसी मौदा -I	WR	1,000	0		18	181	18	181
एनटीपीसी मौदा II यूनिट I	WR	660	14	92	19	124	19	124
एनटीपीसी मौदा II यूनिट 2	WR	660	14	92	19	124	19	124
एनटीपीसी कवास जीपीपी	WR	656	21	140	21	140	21	140
एनटीपीसी गंधार जीपीपी	WR	657	18	117	18	117	18	117
एनटीपीसी कहलगांव 2	ER	1,500	5	74	5	74	5	74

विवरण	क्षेत्र	क्षमता मे.वॉ.	वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानिक		वर्ष 2017-18 हेतु पुनरीक्षित		वर्ष 2018-19 हेतु आंकलित	
			%	मे.वॉ	%	मे.वॉ	%	मे.वॉ
एनटीपीसी काकरापार	WR	440	0	-	0	-	26	113
एनटीपीसी तारापुर	WR	1,080	21	232	21	230	21	230
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	WR	660	0		25	166	25	166
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	WR	660	0		0		23	152
एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	WR	800	0		0		50	400
एनटीपीसी लारा यूनिट-1	WR	800	0		0		8	64
म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.		6,586		4,997		4,997		6,185
अमरकंटक टीपीएस फेस-III	State	210	100	210	100	210	100	210
सतपुडा फेस-II & III	State	830	100	830	100	830	100	830
सतपुडा फेस-IV	State	500	100	500	100	500	100	500
संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस - I & II	State	840	100	840	100	840	100	840
संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस - III	State	500	100	500	100	500	100	500
श्री सिंगाजी फेस-I	State	1,200	100	1,200	100	1,200	100	1,200
श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	State	660	0%		0%		90%	594
श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	State	660	0%		0%		90%	594
रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह वरगी	State	90	100	90	100	90	100	90
बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	State	315	100	315	100	315	100	315
बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	State	30	100	30	100	30	100	30
बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	State	60	100	60	100	60	100	60
बाणसागर जल विद्युत (झिन्हा)	State	20	100	20	100	20	100	20
बिरसिंहपुर जल विद्युत	State	20	100	20	100	20	100	20
मणीखेड़ा जल विद्युत	State	60	100	60	100	60	100	60
राजधाट जल विद्युत	State	45	50	23	50	23	50	23
गांधीसागर जल विद्युत	State	115	50	58	50	58	50	58
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	State	271	50	136	50	136	50	136
पेंच जल विद्युत	State	160	67	107	67	107	67	107
संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत		3,301		2,347		2,347		2,402
एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	State	1,000	100	1,000	100	1,000	100	1,000
एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	State	520	100	520	100	520	100	520
सरदार सरोवर जल विद्युत	WR	1,450	57	827	57	827	57	827
रिंहद जल विद्युत	WR	300	0%		0%	-	15	45
माताटीला जल विद्युत	WR	31	0%		0%	-	33	10

विवरण	क्षेत्र	क्षमता मे.वॉ.	वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानिक		वर्ष 2017-18 हेतु पुनरीक्षित		वर्ष 2018-19 हेतु आंकलित	
			%	मे.वॉ	%	मे.वॉ	%	मे.वॉ
दामोदर वैली कार्पोरेशन		2,840		500		500		-
डी.व्ही.सी (मैजिया एवं चन्द्रपुर)	ER	1,840	22	400	22	400	0%	-
डी.व्ही.सी दुर्गापुर यूनिट-1 एवं यूनिट-2	ER	1,000	10	100	10	100	0%	-
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक		9,352		3,019		3,414		3,414
टोरेंट पावर	WR	765	13	100	10	75	10	75
बी.एल.ए पावर	State	90	36	32	35	32	35	32
जैपी बीना पावर	State	500	70	350	70	350	70	350
लेंको अमरकंटक पावर	WR	300	100	300	100	300	100	300
रिलायंस पावर (सासन)	WR	3,960	38	1,485	38	1,485	38	1,485
एस्सार पावर	State	600	5%	30	5%	30	5%	30
जय प्रकाश पावर निगरी	WR	1,320	38	495	38	495	38	495
मोजर वियर पावर	WR	1,200	18	210	35	420	35	420
झावुआ पावर यूनिट-1	WR	600	0%		35	210	35	210
कैप्टिव पावर	State	17		17		17		17
नवकरणीय ऊर्जा		-		2,798		3,274		3,688
सौर ऊर्जा	State	NA	100	550	100	1,025	100	1,284
अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	State		100	30	100	30	100	32
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	State		100	2,218	100	2,218	100	2,371
योग		41,992		16,925		18,190		20,076

टीप - लेंको अमरकंटक तथा बी.एल.ए; पावर की विद्युत उत्पलब्धता उनके विद्युत क्रय अनुबंध के आधार पर ली गयी है।

इनकी विद्युत क्रय की लागत विद्युत क्रय के अध्याय- में उल्लेखानुसार लिया गया है।

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि कुछ प्रासंगिक जानकारी वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निम्नानुसार है:-

- पिछले कुछ माह में निरंक उपलब्धता के आधार पर काकरापार, रिंहद, माताटीला एवं एस्सार पावर में वर्ष 2017-18 में शून्य उपलब्धता ली गयी है। परन्तु वर्ष 2018-19 के दौरान कुछ अनुमान के आधार पर पावर उपलब्धता दर्शायी गयी है।
- एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. द्वारा डी.व्ही.सी. 400 मेगावॉट (मैजियर चन्द्रपुर) तथा 100 मेगावॉट (दुर्गापुर) से 01 मार्च- 2018 तथा 15 मई-2017 से विद्युत क्रय अनुबंध को समय के पूर्व बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए विद्युत क्रय लागत में इन विद्युत गृहों की लागत नहीं जोड़ी गयी है। यद्यपि वर्ष 2018-19 में डी.व्ही.सी. का पावर क्रय अनुबंध कार्यशील है और एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. को इस हेतु नियत प्रभार का भुगतान करना होगा।

- वर्ष 2017-18 के दौरान एम.बी.पावर यूनिट -2 तथा सुजैन टोरंट पावर से एम.ओ.डी. के आधार पर कुछ पावर क्रय की गयी जबकि माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश वर्ष 2017-18 में इन उत्पादन केन्द्रों से उपलब्धता तथा उनकी लागत को मान्य नहीं किया गया है। माननीय आयोग से प्रार्थना है कि इन उपकेन्द्रों के विरुद्ध खर्च की गयी लागत को वर्ष 2017-18 के दू-अप याचिका में समाहित करते हुए माननीय नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। आगे माननीय नियामक आयोग से पुनः निवेदन किया जाता है कि इन उत्पादन केन्द्रों से वर्ष 2018-19 हेतु विद्युत की उपलब्धता ली गयी है क्योंकि इनके विद्युत क्रय अनुबंध वर्तमान में क्रियाशील है।

5.2 एक्स बस उपलब्धता

वितरण कंपनियों द्वारा एक्स-बस उपलब्धता के अनुमान के लिए वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 (अगस्त 2017 तक) में प्राप्त अनंतिम ऊर्जा पर विचार किया है। मौजूदा आवंटित स्टेशनों के साथ-साथ भविष्य में आने वाले उत्पादन केन्द्रों जिनके बहु-वर्षीय टैरिफ अवधि के अंत तक कार्यशील होने की संभावना है जिन्हें निम्न तालिका में वर्ष 2018-19 में दर्शाया है। क्षमता के अतिरिक्त एडीआई-टर्म की कुल एक्स-बस उपलब्धता, जो कि एमआईटी अवधि के अंत तक संचालन के लिए अपेक्षित है, अर्थात् पिछले वर्ष में चर्चा की गई है, जैसे कि पिछले वर्गों में चर्चा की गई है :

तालिका 26: एक्स-बस उपलब्धता (एम.यू.) संयंत्रवार खोत

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
केंद्रीय क्षेत्र	25,470	24,414	27,631
एनटीपीसी कोरवा	3,685	3,767	3,615
एनटीपीसी कोरवा III	644	623	611
एनटीपीसी विंध्याचल I	3,354	3,023	3,243
एनटीपीसी विंध्याचल II	2,312	2,220	2,308
एनटीपीसी विंध्याचल III	1,956	1,942	1,894
एनटीपीसी विंध्याचल IV	2,314	2,069	2,171
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	1,078	1,092	1,069
एनटीपीसी सीपत I	2,650	2,590	2,576
एनटीपीसी सीपत II	1,519	1,487	1,492
एनटीपीसी मौदा I	1,473	1,384	1,361
एनटीपीसी मौदा II Unit 1	151	666	788
एनटीपीसी मौदा II Unit 2	-	390	788
एनटीपीसी कवास GPP	1,162	724	299
एनटीपीसी गंधार GPP	919	566	250
एनटीपीसी कहलगांव 2	568	490	565

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
एनटीपीसी काकरापार	-	-	347
एनटीपीसी तारापुर	1,687	1,189	1,411
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	-	191	370
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	-	-	255
एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	-	-	1,910
एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट- 2	-	-	-
एनटीपीसी लारा यूनिट 1	-	-	305
एनटीपीसी लारा यूनिट ॥	-	-	-
म.प्र.जनरेटिंग कंपनी (ताप एवं जल विद्युत)	31,132	26,794	26,716
अमरकंटक टीपीएस फेस-III	1,446	1,602	1,550
सतपुडा फेस-II & III	5,638	4,338	4,006
सतपुडा फेस-IV	3,399	3,176	2,561
संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -I & II	5,061	3,863	3,347
संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -III	3,857	3,193	3,303
श्री सिंगाजी फेस-I	8,782	8,289	6,585
श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	-	-	1,634
श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	-	-	813
रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी	443	363	466
बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	1,230	1,015	1,166
बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	89	92	107
बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	72	125	114
बाणसागर जल विद्युत (झिन्ना)	87	79	97
विरसिंहपुर जल विद्युत	41	39	36
मणीखेड़ा जल विद्युत	146	60	111
राजघाट जल विद्युत	30	21	30
गांधीसागर जल विद्युत	173	120	168
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	373	230	370
पेंच जल विद्युत	264	187	252
संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	6,455	4,757	4,644
एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	3,253	2,143	2,221
एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	1,417	1,058	1,021

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
सरदार सरोवर जल विद्युत	1,785	1,556	1,303
रिंहद जल विद्युत	-	-	78
माताटीला जल विद्युत	-	-	22
दामोदर वैली कार्पोरेशन	3,727	2,429	-
डीव्हीसी (मैजिया एवं चन्द्रपुर)	2,966	2,326	-
डीव्हीसी दुर्गापुर यूनिट-1 एवं यूनिट-2	761	103	-
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	21,564	23,885	21,461
टोरेंट पावर	632	275	173
बीएलए पावर	100	63	65
जैपी बीना पावर	2,267	2,046	2,120
लेको अमरकंटक पावर	2,248	2,836	2,105
रिलायंस पावर (सासन)	10,608	11,340	10,840
एस्सार पावर	-	20	20
जय प्रकाश पावर निगरी	3,304	3,489	3,211
मोजर बियर पावर	1,526	2,773	2,148
झावुआ पावर यूनिट-1	879	1,022	745
कैटिव पावर	-	20	34
नवकरणीय ऊर्जा	4,083	5,523	5,980
सौर ऊर्जा	931	1,324	1,636
अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	9	12	35
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	3,143	4,187	4,309
योग	92,431	87,801	86,433

तालिका 27: वर्ष 2018-19 हेतु माहवार संयंत्रवार विद्युत की उपलब्धता

विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
केंद्रीय क्षेत्र	2,068	2,137	2,077	2,415	2,415	2,337	2,415	2,337	2,415	2,415	2,182	2,415	27,631
एनटीपीसी कोरबा	297	307	297	307	307	297	307	297	307	307	277	307	3,615
एनटीपीसी कोरबा III	50	52	50	52	52	50	52	50	52	52	47	52	611
एनटीपीसी विंध्याचल I	267	275	267	275	275	267	275	267	275	275	249	275	3,243
एनटीपीसी विंध्याचल II	190	196	190	196	196	190	196	190	196	196	177	196	2,308
एनटीपीसी विंध्याचल III	156	161	156	161	161	156	161	156	161	161	145	161	1,894
एनटीपीसी विंध्याचल IV	178	184	178	184	184	178	184	178	184	184	167	184	2,171
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	88	91	88	91	91	88	91	88	91	91	82	91	1,069
एनटीपीसी सीपत I	212	219	212	219	219	212	219	212	219	219	198	219	2,576
एनटीपीसी सीपत II	123	127	123	127	127	123	127	123	127	127	114	127	1,492
एनटीपीसी मौदा I	112	116	112	116	116	112	116	112	116	116	104	116	1,361
एनटीपीसी मौदा II Unit 1	65	67	65	67	67	65	67	65	67	67	60	67	788
एनटीपीसी मौदा II Unit 2	65	67	65	67	67	65	67	65	67	67	60	67	788
एनटीपीसी कवास GPP	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	25	299
एनटीपीसी गंधार GPP	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	19	21	250
एनटीपीसी कहलगांव 2	46	48	46	48	48	46	48	46	48	48	43	48	565
एनटीपीसी काकरापार	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	27	29	347
एनटीपीसी तारापुर	116	120	116	120	120	116	120	116	120	120	108	120	1,411
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	370
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	-	-	1	29	29	28	29	28	29	29	26	29	255
एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	-	-	7	215	215	208	215	208	215	215	194	215	1,910

विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट- -2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एनटीपीसी लारा यूनिट 1	-	-	1	34	34	33	34	33	34	34	31	34	305
एनटीपीसी लारा यूनिट II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
म.प्र.जनरेटिंग कंपनी	1,939	1,989	1,907	2,015	2,251	2,178	2,367	2,256	2,324	2,592	2,334	2,566	26,716
अमरकंटक टीपीएस फेस-III	127	132	127	132	132	127	132	127	132	132	119	132	1,550
सतपुड़ा फेस-II & III	329	340	329	340	340	329	340	329	340	340	307	340	4,006
सतपुड़ा फेस-IV	210	218	210	218	218	210	218	210	218	218	196	218	2,561
संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -I & II	275	284	275	284	284	275	284	275	284	284	257	284	3,347
संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -III	271	280	271	280	280	271	280	271	280	280	253	280	3,303
श्री सिंगाजी फेस-I	541	559	541	559	559	541	559	541	559	559	505	559	6,585
श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	-	-	-	-	-	9	277	268	277	277	250	277	1,634
श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	277	250	277	813
रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी	29	28	24	32	70	66	44	37	36	36	31	32	466
बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	73	70	61	80	175	166	111	93	90	90	78	79	1,166
बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	7	6	6	7	16	15	10	9	8	8	7	7	107
बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	7	7	6	8	17	16	11	9	9	9	8	8	114
बाणसागर जल विद्युत (झिन्ना)	6	6	5	7	15	14	9	8	7	7	7	7	97
बिरसिंहपुर जल विद्युत	2	2	2	2	5	5	3	3	3	3	2	2	36
मणीखेड़ा जल विद्युत	7	7	6	8	17	16	11	9	9	9	7	8	111
राजघाट जल विद्युत	2	2	2	2	5	4	3	2	2	2	2	2	30
गांधीसागर जल विद्युत	11	10	9	12	25	24	16	13	13	13	11	11	168
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	23	22	19	26	56	53	35	30	28	28	25	25	370
पेंच जल विद्युत	16	15	13	17	38	36	24	20	19	19	17	17	252

विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	382	394	382	394	394	382	394	382	394	394	356	394	4,644
एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	183	189	183	189	189	183	189	183	189	189	170	189	2,221
एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	84	87	84	87	87	84	87	84	87	87	78	87	1,021
सरदार सरोवर जल विद्युत	107	111	107	111	111	107	111	107	111	111	100	111	1,303
रिहाद जल विद्युत	6	7	6	7	7	6	7	6	7	7	6	7	78
मातारीला जल विद्युत	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	1,764	1,823	1,764	1,823	1,823	1,764	1,823	1,764	1,823	1,823	1,646	1,823	21,461
टोरेंट पावर	14	15	14	15	15	14	15	14	15	15	13	15	173
बीएलए पावर	5	6	5	6	6	5	6	5	6	6	5	6	65
जैपी बीना पावर	174	180	174	180	180	174	180	174	180	180	163	180	2,120
लेंको अमरकंटक पावर	173	179	173	179	179	173	179	173	179	179	161	179	2,105
रिलायंस पावर (सासन)	891	921	891	921	921	891	921	891	921	921	832	921	10,840
एस्सार पावर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
जय प्रकाश पावर निगरी	264	273	264	273	273	264	273	264	273	273	246	273	3,211
मोजर बियर पावर	177	182	177	182	182	177	182	177	182	182	165	182	2,148
झाबुआ पावर यूनिट-1	61	63	61	63	63	61	63	61	63	63	57	63	745
कैप्टिव पावर	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
नवकरणीय ऊर्जा	491	508	491	508	508	491	508	491	508	508	459	508	5,980
सौर ऊर्जा	134	139	134	139	139	134	139	134	139	139	125	139	1,636
अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	354	366	354	366	366	354	366	354	366	366	331	366	4,309
योग	6,644	6,851	6,621	7,155	7,392	7,153	7,508	7,231	7,464	7,732	6,977	7,706	86,433

5.3.1 नवकरणीय क्रय दायित्व

विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक विद्युत नियामक आयोग .प्र.से म 02.10.2015 सह उत्पादन एवं ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों से विद्युत) संशोधन पांचवाके उत्पादन – पुनरीक्षित) (विनियमन (1,) 2010 ए.आर-.जी.33(I)(v) 2015/अधिसूचित किया गया है। आयोग द्वारा आरके पालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय अनुबंध के .ओ.पी. माध्यम से अथवा लघु अवधि बाजार से विद्युत क्रयको भी विचारण में लिया गया है। उपरोक्त विनियमन में सौर ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के अतिरिक्त से नवकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत परिभाषित करते समय माननीय आयोग द्वारा म.प्र. राज्य (तीनों वितरण कंपनियों) मेरिट आर्डर डिस्पैच के आधार पर एक्स-बस आवश्यकता का निर्धारण जल विद्युत स्रोतों के द्वारा आपूर्ति को शामिल करते हुए निर्धारित किया गया था। परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 हेतु नवकरणीय क्रय दायित्व का निर्धारण करते समय माननीय विद्युत आयोग द्वारा अपने खुदरा आपूर्ति दर आदेश दिनांक 31.03.2017 एक्स बस आवश्यकता का निर्धारण करने में जल विद्युत की आपूर्ति को शामिल करते हुए किया गया था। इसी दौरान माननीय नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त विनियमन का छठवां संशोधन जारी किया गया जो निम्नानुसार है

मसह उत्पादन एवं ऊर्जा के) विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये रेग्युलेशन .प्र.)2010 रेग्युलेशन (नवीकरण योग्य स्रोतों से विद्युत के उत्पादनए.आर-.जी.33(I)(v) 2015/ की कंडिका में 17-2016 के अनुसार विद्युत की न्यूनतम मात्रा वित्तीय वर्ष 4.1 प्रतिशत गैर सौर स्रोतों से 6.50 प्रतिशत सौर एवं 1.25, वित्तीय वर्ष 1.50 में 18-2017 -2018 प्रतिशत गैर सौर स्रोतों से एवं वित्तीय वर्ष 7.00 प्रतिशत सौर एवं 2019 में 1.75 प्रतिशत सौर एवं प्रतिशत गैर सौर स्रोतों से 7.50जल ऊर्जा के स्रोतों से ली गयी पावर को छोड़कर ली जाना है।

- 5.3.2 As can be verified from the above Regulation, the Hon'ble Commission defined a percentage of RPO on Ex-Bus Requirement by excluding hydro sources of power in the Sixth Amendment. The Petitioner, in view of the RPO targets as specified under Fifth Amendment to MPERC (Co-generation and generation of electricity from Renewable sources of energy) (Revision-I) regulation, 2010 [ARG-33(I)(v)of 2015] vide notification dated October 02nd, 2015 & National Tariff Policy, 2016 had made an arrangement under various PPA for its compliance. As a result, there is a surplus situation in solar in FY 2016-17, FY 2017-18 & FY 2018-19 in compliance to RPO targets and deficit in non-solar for FY 2016-17 & FY 2018-19. Accordingly the Petitioners have calculated the RPO requirement as shown in the following table:

तालिका 28: नवकरणीय क्रय दायित्व (एम.यू.)

विवरण	मध्य प्रदेश		
	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
आर.पी.ओ. आब्लीकेशन	7.75%	8.50%	9.25%
सौर ऊर्जा	1.25%	1.50%	1.75%
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	6.50%	7.00%	7.50%
एक्स बस पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा जो आर.पी.ओ. की आवश्यकता को पूर्ण करता हो (मि.यू.)	4,028	4,441	5,539
सौर ऊर्जा	650	784	1,048
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	3,379	3,658	4,491
पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा खोतों से उपलब्धता	4,083	5,523	5,980
सौर ऊर्जा	931	1,324	1,636
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	3,153	4,199	4,344
आपूर्ति में कमी	226	-	148
सौर ऊर्जा	-	-	-
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	226	-	148
आर.पी.ओ. बाध्यताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवश्यकता से अधिक उपलब्ध	226	-	148
एक्सचेंज दर	250	265	260
आर.पी.ओ. बाध्यताओं के कारण आवश्यकता से अधिक उपलब्ध ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व	57	-	38
पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा क्रय की दरें			
सौर ऊर्जा	716	619	595
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	573	543	537
उपलब्ध खोतों से नवकरणीय ऊर्जा का क्रय	2,473	3,099	3,306
सौर ऊर्जा	666	820	973
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	1,807	2,279	2,333
आर.पी.ओ. बाध्यताओं के पालनार्थ अतिरिक्त लागत	130	-	79
सौर ऊर्जा	-	-	-
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	130	-	79
आर.पी.ओ. बाध्यताओं की पूर्ति हेतु कुल अतिरिक्त लागत	73	-	41
सौर ऊर्जा	-	-	-
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	73	-	41

5.3.3 It can be observed from the above table that there is an overachievement of the RPO from Solar category in FY 2018-19 and the Petitioner would meet its Renewable Purchase Obligation requirement from its contracted sources and any surplus would be consumed by the licensees itself with an objective to promote renewable energy and to comply its contractual obligations. The Petitioner hereby requests the Hon'ble Commission to carry forward the surplus Y-o-Y to meet its next FYs RPO target in case of shortage of power from renewable sources. It may be appreciated that the overall RPO target is being met by DISCOMs in FY 2016-17 & FY 2017-18 and there is a minor shortage in the non-solar RPO while there is surplus in solar RPO. It is therefore humbly requested before the Hon'ble Commission that it should consider fulfilment of RPO as a whole.

5.4.1 ऊर्जा का हटना

- 5.4.2 राज्य की आवश्यकता की पूर्ति होने तथा पावर एक्सचेंज से विद्युत बिक्री के बाद याचिकाकर्ताओं को परिवर्तनीय लागत बचाने के लिए आंशिक पावर को बेक डाउन करना होता है। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक सभी उत्पादन केन्द्र को एम.पी.पावर मैनेजमेंट को आवंटित मानते हुए याचिकाकर्ताओं ने परिवर्तनीय लागत के आधार पर माहवार मेरिट आर्डर सिद्धान्त को लागू किया है, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक बेक डाउन तथा मानक उपलब्धता की गणना करने हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (अगस्त-17 तक) का प्रावधिक डाटा का उपयोग किया है।
- 5.4.3 उसके पश्चात जिन स्टेशनों / केन्द्रों की परिवर्तनीय लागत एम.ओ.डी. सिद्धान्त में अधिक है उन्हें आंशिक तौर पर बेक डाउन किया है (ऐसे उत्पादन केन्द्र जिनकी परिवर्तनीय लागत वर्ष 2018-19 के लिए पै. 260.10 प्रति यूनिट से अधिक है) जब मांग की पूर्ति करने हेतु उन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं होती है एवं बाजार में बिजली की दरें उनके चलाने के औचित्य को सहीं ठहराते। यह मांग के उतार चढ़ाव को दर्शाता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि सस्ते विद्युत केन्द्रों से ऊर्जा पूर्णतः उपयोग की जाती है तथा महंगे ख्रोतों से विद्युत खरीदी को टाला जाता है। पावर खरीदी लागत में कमी या अधिक दर पर बिक्री की जाती है, जो भी स्थिति हो, के परिणाम स्वरूप लाभ को अंततः उपभोक्ताओं के हिस्से में जोड़ा जाता है।
- 5.4.4 निम्न तालिका ऐसे स्टेशनों को दर्शाती है, जिनसे वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में आंशिक तौर पर पावर बेक डाउन किया गया है।

तालिका 29: ब्रेक डाउन आफ पावर – पावर स्टेशन

विवरण	मानक उपलब्धता			कुल उपलब्धता			ब्रेक डाउन पावर		
	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
एनटीपीसी कोरबा	3,685			3,487	-	-	197		
एनटीपीसी कोरबा III	644			620	-	-	24		
एनटीपीसी विंध्याचल I	3,354			1,932	-	-	1,422		
एनटीपीसी विंध्याचल II	2,312			1,866	-	-	446		
एनटीपीसी विंध्याचल III	1,956			1,622	-	-	334		
एनटीपीसी विंध्याचल IV	2,314			1,717	-	-	597		
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	1,078			887	-	-	190		
एनटीपीसी सीपत I	2,650			2,629	-	-	21		
एनटीपीसी सीपत II	1,519			1,508	-	-	11		
एनटीपीसी मौदा I	1,473	1,384	1,361	136	433	563	1,337	952	798
एनटीपीसी मौदा II Unit 1	151	666	788	27	-	132	124	666	656
एनटीपीसी मौदा II Unit 2	-	390	788	-	-	132	-	390	656
एनटीपीसी कवास GPP	1,162			216	-	-	946		
एनटीपीसी गंधार GPP	919			243	-	-	676		
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1		191	370		-	153		191	217

विवरण	मानक उपलब्धता			कुल उपलब्धता			ब्रेक डाउन पावर		
	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2			255		-	140			115
एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1			1,910		-	1,049			861
एनटीपीसी लारा यूनिट 1			305		-	68			237
एनटीपीसी कहलगांव 2	568	490		238	327	-	330	163	
अमरकंटक टीपीएस फेस-III	1,446			1,344	-	-	103		
सतपुडा फेस-II & III	5,638	4,338	4,006	1,116	-	670	4,522	4,338	3,337
सतपुडा फेस-IV	3,399	3,176		2,118	3,131	-	1,281	45	
संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -I & II	5,061	3,863	3,347	2,838	2,276	3,063	2,223	1,586	284
संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -III	3,857	3,193		3,446	2,611	-	411	581	
श्री सिंगाजी फेस-I	8,782	8,289	6,585	2,331	5,015	5,467	6,451	3,275	1,119
श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1			1,634		-	1,634			
श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2			813		-	813			
डी.व्ही.सी. (मेजिया एवं चन्द्रपुर)	2,966	2,326		1,662	2,092	-	1,304	235	
डी.व्ही.सी. (दुर्गापुर) यूनिट-1 एवं 2	761	103		195	35	-	566	68	
टोरेंट पावर	632	275	173	0	-	-	631	275	173
बी.एल.ए.पावर	100	63	65	15	-	27	85	63	38

विवरण	मानक उपलब्धता			कुल उपलब्धता			ब्रेक डाउन पावर		
	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
जेपी बीना पावर	2,267	2,046	2,120	162	-	180	2,105	2,046	1,940
लैंको अमरकंटक यनिट 1	2,248			1,904	-	-	344		
रिलायंस पावर (सासन)	10,608			10,425	-	-	183		
एस्सार पावर	-	20	20	-	-	8	-	20	12
जय प्रकाश निगरी	3,304			3,302	-	-	2		
मोजर वियर पावर	1,526			869	-	-	657		
केप्टिव पावर		20			20	-		-	
झाबुआ पावर	879	1,022	745	24	-	-	855	1,022	745
कुल	77,258	31,857	25,287	48,879	15,939	14,098	28,379	15,918	11,189

5.3 राज्य की सीमा पर आवंटन स्टेटमेन्ट

म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 21.03.2016 को म.प्र.शासन के राजपत्र में जारी अधिसूचना के आधार पर सभी पावर स्टेशन एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. को आवंटित किये गये हैं। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को आवंटित पावर क्र्य लागत समान रखते हुए तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को उनकी मासिक आवश्यकता के आधार पर म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. द्वारा आवंटन किया गया है।

विद्युत वितरण कंपनियों को कुल उपलब्धता एवं लागत के आवंटन हेतु म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वितरण कंपनियों की सीमा पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि हेतु माहवार ऊर्जा आवश्यकता को आधार माना है, जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-
तालिका 30: राज्य की सीमा पर आवंटन स्टेटमेन्ट

Discom	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total
FY 2016-17 (Provisional) - MUs excluding UI adjustment													
MP State	5,085	4,831	4,624	4,175	4,059	4,471	4,802	5,642	5,940	5,677	5,251	5,050	59,607
East	1,648	1,511	1,439	1,254	1,256	1,391	1,413	1,498	1,657	1,629	1,540	1,573	17,809
Central	1,590	1,582	1,521	1,487	1,450	1,645	1,640	1,857	1,918	1,827	1,701	1,597	19,814
West	1,846	1,738	1,664	1,434	1,353	1,435	1,749	2,287	2,366	2,221	2,010	1,880	21,983
FY 2017-18 (Re-Estimate)- MUs													
MP State	4,650	4,775	4,223	3,997	4,102	4,254	4,869	5,763	6,056	5,474	4,988	4,666	57,819
East	1,546	1,566	1,318	1,241	1,402	1,399	1,497	1,581	1,782	1,652	1,512	1,461	17,956
Central	1,244	1,339	1,254	1,234	1,252	1,347	1,491	1,699	1,725	1,549	1,393	1,339	16,865
West	1,860	1,871	1,651	1,522	1,448	1,508	1,881	2,483	2,550	2,273	2,084	1,866	22,998
FY 2018-19 (Projected)- MUs													
MP State	5,070	5,269	4,708	4,510	4,472	4,950	5,663	6,683	7,027	6,360	5,797	5,430	65,941
East	1,682	1,784	1,556	1,503	1,535	1,661	1,780	1,879	2,117	1,966	1,799	1,739	21,000
Central	1,408	1,524	1,380	1,378	1,408	1,583	1,755	1,998	2,029	1,824	1,641	1,578	19,505
West	1,980	1,962	1,772	1,629	1,530	1,706	2,129	2,807	2,881	2,571	2,358	2,112	25,436
FY 2016-17 (Provisional)- %													
MP State	100%												
East	32%	31%	31%	30%	31%	31%	29%	27%	28%	29%	29%	31%	30%
Central	31%	33%	33%	36%	36%	37%	34%	33%	32%	32%	32%	32%	33%
West	36%	36%	36%	34%	33%	32%	36%	41%	40%	39%	38%	37%	37%
FY 2017-18 (Re-Estimate)- %													
MP State	100%												
East	33%	33%	31%	31%	34%	33%	31%	27%	29%	30%	30%	31%	31%
Central	27%	28%	30%	31%	31%	32%	31%	29%	28%	28%	28%	29%	29%
West	40%	39%	39%	38%	35%	35%	39%	43%	42%	42%	42%	40%	40%
FY 2018-19 (Projected)-%													
MP State	100%												
East	33%	34%	33%	33%	34%	34%	31%	28%	30%	31%	31%	32%	32%
Central	28%	29%	29%	31%	31%	32%	31%	30%	29%	29%	28%	29%	30%
West	39%	37%	38%	36%	34%	34%	38%	42%	41%	40%	41%	39%	39%

5.4 अधिक उपलब्ध विद्युत का प्रबंधन

विद्युत उपलब्धता की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संबंधित वर्ष के अधिकांश महिनों में प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत की उम्मीद है। वर्तमान में एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट क.लि. अतिरिक्त विद्युत को पावर एक्सचेंज (IEX) के माध्यम से प्रचलित दरों पर विक्रय करती है। म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी, अतिरिक्त पावर को उस समय पर प्रचलित बाजार दर पर विक्रय करने का प्रयास करती है।

पिछले 36 माहों (सितम्बर-2014 से अगस्त-2017) में पावर एक्सचेंज (IEX) की दर पै. 260.10 प्रति यूनिट देखी गयी है। अतिरिक्त पावर से राजस्व गणना करने हेतु (IEX) की दर पै. 260.10 प्रति यूनिट वर्ष 2018-19 के लिए ली गयी है। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए अतिरिक्त विक्रय के लिये यूनिट की गणना हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (अगस्त 2017 तक) का प्रावधानिक डाटा का उपयोग किया है।

वितरण कंपनियों की अतिरिक्त विद्युत जैसे सकल विद्युत उपलब्धता तथा विद्युत की आवश्यकता साथ ही साथ विद्युत की विक्री से प्राप्त राजस्व की जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है। वितरण कंपनियों की कुल पावर खरीदी लागत की गणना करते समय म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी को आवंटित केन्द्रों की परिवर्तनीय विद्युत खरीदी लागत में से इस राजस्व को घटाया गया है।

तालिका 31: अधिक उपलब्ध विद्युत का प्रबंधन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अनंतिम)	वि.वर्ष 2017-18 (पुनः अनुमानित)	वि.वर्ष 2018-19 (अनुमानित)
एक्स-बस विद्युत की उपलब्धता	92,431	87,801	86,433
बेक डाउन पावर	28,379	15,918	11,189
बेक डाउन के पश्चात उपलब्धता	64,052	71,883	75,244
विद्युत वितरण कंपनियों की एक्स बस विद्युत की उपलब्धता	61,382	59,307	67,449
पूर्व क्षेत्र	18,343	18,419	21,481
मध्य क्षेत्र	20,407	17,299	19,952
पश्चिम क्षेत्र	22,632	23,590	26,016
यू.आई. समायोजन पश्चात विद्युत वितरण कंपनियों की एक्स बस विद्युत की आवश्यकता	61,049	59,307	67,449
विक्रय हेतु आधिकारिक उपलब्ध विद्युत	3,003	12,576	7,795
आर.पी.ओ.वचन वध्यता के कारण अधिक उपलब्ध विद्युत	226	-	148
विक्रय हेतु कुल अधिक उपलब्ध विद्युत	3,229	12,576	7,943
आई.ई.एक्स की दर (पैसा / प्रति यूनिट)	250	265	260
विक्रय से प्राप्त राशि (रु. करोड़ में)	807	3,332	2,066

A6: विद्युत क्रय की लागत

6.1 उत्पादन केन्द्रों की दरों की विस्तृत जानकारी

सभी उत्पादन केन्द्रों हेतु नियत प्रभार)रु. करोड़ में (एवं परिवर्तनीय दर)पैसे प्रति यूनिट(निम्न कार्य प्रणाली अनुसार ली गयी है :-

तालिका 32: वर्ष 2018-19 हेतु विद्युत क्रय लागत की कार्यप्रणाली

स.क्र.	विवरण	FY 2018-19 (Projected)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय दर	टिप्पणी
1	केन्द्रीय सेक्टर			
a	एनटीपीसी कोरबा	246	93	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
b	एनटीपीसी कोरबा III	80	108	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
c	एनटीपीसी विंध्याचल I	260	163	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
d	एनटीपीसी विंध्याचल II	159	154	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
e	एनटीपीसी विंध्याचल III	187	153	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
f	एनटीपीसी विंध्याचल IV	326	154	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
g	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	162	155	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
h	एनटीपीसी सीपत I	340	122	सितम्बर 16 से अगस्त-17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर नियत प्रभार तथा सितम्बर-17 से नवम्बर-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर परिवर्तनीय दर की गणना की गयी
i	एनटीपीसी सीपत II	182	143	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
j	एनटीपीसी मौदा I	242	261	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
k	एनटीपीसी मौदा II Unit 1	76	272	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
l	एनटीपीसी मौदा II Unit 2	76	272	मौदा 2 के यूनिट 1 के अनुपातिक
m	एनटीपीसी कवास GPP	90	206	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
n	एनटीपीसी गंधार GPP	92	192	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
o	एनटीपीसी कहलगांव 2	57	220	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
p	एनटीपीसी काकरापार	-	241	सितम्बर-15 से अगस्त-16 के वास्तविक बिल के आधार पर)
q	एनटीपीसी तारापुर	-	295	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर

स.क्र.	विवरण	FY 2018-19 (Projected)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय दर	टिप्पणी
r	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	87	265	सितम्बर एवं अक्टूबर-17 के बिल के आधार पर
s	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	60	265	सितम्बर एवं अक्टूबर-17 के बिल के आधार पर
t	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	184	272	मौदा 2 के यूनिट 1 के सितम्बर 16 से अगस्त-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर
u	एनटीपीसी लारा यूनिट-1	29	272	मौदा 2 के यूनिट 1 के सितम्बर 16 से अगस्त-17 के वास्तविक बिलों के आधार पर
2	म.प्र.जनरेटिंग कंपनी			
a	अमरकंटक टीपीएस फेस-III	229	184	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
b	सतपुडा फेस-II & III	378	276	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
c	सतपुडा फेस-IV	695	209	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
d	संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस -I & II	387	236	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
e	संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस -III	377	218	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
f	श्री सिंगाजी फेस-I	1,313	256	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
g	श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	376	256	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस-1 के अनुपातिक
h	श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	125	256	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस-1 के अनुपातिक
i	रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी	8	51	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
j	बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	60	72	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
k	बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	5	65	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
l	बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	9	108	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
m	बाणसागर जल विद्युत (दिन्हा)	9	118	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
n	विरसिंहपुर जल विद्युत	3	157	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
o	मणीखेड़ा जल विद्युत	17	139	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
p	राजधाट जल विद्युत	1	128	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
q	गांधीसागर जल विद्युत	3	68	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
r	राणा प्रताप सागर एवं जबाहर सागर जल विद्युत	-	151	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
s	पेंच जल विद्युत	9	43	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
3	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत			
a	एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	619	45	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
b	एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	428	42	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
c	सरदार सरोवर जल विद्युत	178	82	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
d	रिंहद जल विद्युत	-	40	सितम्बर-15 से अगस्त-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
e	माताटीला जल विद्युत	-	40	सितम्बर-15 से अगस्त-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
4	डी.व्ही.सी.			

स.क्र.	विवरण	FY 2018-19 (Projected)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय दर	टिप्पणी
a	डी.व्ही.सी. (मैजिया और चन्द्रपुर)	-	-	
b	डी.व्ही.सी. (दुर्गापुर)	-	-	
5	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक			
a	टोरेंट पावर	67	492	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
b	बीएलए पावर	10	270	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
c	जैपी बीना पावर	458	278	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
d	लेंको अमरकंटक पावर	281	113	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
e	रिलायंस पावर (सासन)	168	139	नियत प्रभार सितम्बर-16 से अगस्त'-17 के आधार पर तथा ऊर्जा प्रभार सितम्बर-17 से नवम्बर-17 तीन माह के आधार पर
f	एस्सार पावर	-	266	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
g	जय प्रकाश पावर निगरी	586	77	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
h	मोजर वियर पावर	303	192	नियत प्रभार सितम्बर-16 से अगस्त'-17 के आधार पर तथा ऊर्जा प्रभार MPERC द्वारा अनुमोदित वि.वर्ष 18 के दर आदेशानुसार सितम्बर-17 से नवम्बर-17 तीन माह के आधार पर
i	झाबुआ पावर यूनिट-1	42	278	नियत प्रभार सितम्बर-16 से अगस्त'-17 के आधार पर तथा ऊर्जा प्रभार अनुमानित
j	कैप्टिव पावर	-	229	वि.वर्ष 18 के दर आदेशानुसार
6	नवकरणीय ऊर्जा			
a	सौर ऊर्जा	-	595	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
b	अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	-	381	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर
c	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	-	538	सितम्बर 16 से अगस्त 17 तक के वास्तविक बिलों के आधार पर

6.2 मैरिट आर्डर डिस्पैच

जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया गया है कि सभी संयंत्र एम.पी.पी.एम.सी.एल. को आवंटित माने गये हैं एवं उपर दिये विवरण अनुसार चुनिंदा संयंत्रों के बैक डाउन के पश्चात सभी संयंत्रों में संयुक्त एम.ओ.डी. लगायी गयी है हालांकि, समझने की सुविधा के लिए एम.पी.पी.एम.सी.एल. एवं वितरण कंपनियों को आवंटित प्रत्येक छोट की लागतें पृथक – पृथक दर्शायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू किया गया एम.ओ.डी. नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :-

तालिका 33: वर्ष 2018-19 हेतु मैरिट आर्डर डिस्पैच

वर्ष 2018-19 हेतु मैरिट आर्डर डिस्पैच			
स.क्र.	विवरण	पैसा / यूनिट	उपलब्धता (मि.यू)
1	काकरापार	241	347
2	तारापोर	295	1,411
3	सौर	595	1,636
4	अन्य लघु सूक्ष्म	381	35

वर्ष 2018-19 हेतु मैरिट आर्डर डिस्पैच

स.क्र.	विवरण	पैसा / यूनिट	उपलब्धता (मि.यू)
5	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	538	4,309
6	रिहंद जल विद्युत	40	78
7	माताटीला जल विद्युत	40	22
8	एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	42	1,021
9	पेंच जल विद्युत	43	252
10	एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	45	2,221
11	रानी अवंती बाई बरगी जल विद्युत	51	466
12	बाणसागर सिलपारा जल विद्युत	65	107
13	गांधीसागर जल विद्युत	68	168
14	बाणसागर टोंस जल विद्युत	72	1,166
15	जय प्रकाश पावर निगरी	77	3,211
16	सरदार सरोवर जल विद्युत	82	1,303
17	एनटीपीसी कोरबा	93	3,615
18	बाणसागर, देवलोंद जल विद्युत	108	114
19	एनटीपीसी कोरबा-3	108	611
20	लेंको अमरकंटक यूनिट-1	113	2,105
21	बाण सागर झिन्ना	118	97
22	एनटीपीसी सीपत 1	122	2,576
23	राजघाट जल विद्युत	128	30
24	रिलायंस पावर सासन	139	10,840
25	मडीखेड़ा जल विद्युत	139	111
26	एनटीपीसी सीपत-2	143	1,492
27	राणाप्रताप एवं जवाहर सागर जल विद्युत	151	370
28	एनटीपीसी विंध्याचल III	153	1,894
29	एनटीपीसी विंध्याचल IV	154	2,171
30	एनटीपीसी विंध्याचल II	154	2,308
31	एनटीपीसी विंध्याचल V Unit 1	155	1,069
32	बिरसिहपुर जल विद्युत	157	36
33	एनटीपीसी विंध्याचल I	163	3,243
34	अमरकंटक पावर हाऊस Ph-III	184	1,550
35	गांधार जीपीपी	192	250
36	मोजर बियर पावर STPS	192	2,148

वर्ष 2018-19 हेतु मैरिट आर्डर डिस्पैच			
स.क्र.	विवरण	पैसा / यूनिट	उपलब्धता (मि.यू)
37	कवास GPP	206	299
38	सतपुडा TPS Ph-IV	209	2,561
39	संजय गांधी ताप विद्युत गृह Ph-III	218	3,303
40	एनटीपीसी कहलगांव 2	220	565
41	केटिव	229	34
42	संजय गांधी ताप विद्युत गृह Ph-I & II	236	3,347
43	श्रीसिंगा जी एसटीपीएस , Ph-I	256	6,585
44	श्रीसिंगा जी एसटीपीएस -2, Unit-1	256	1,634
45	श्रीसिंगा जी एसटीपीएस -2, Unit-2	256	813
46	एनटीपीसी मौदा I	261	1,361
47	एनटीपीसी सोलापुर STPS, Unit-1	265	370
48	एनटीपीसी सोलापुर STPS, Unit-2	265	255
49	एस्सार पावर STPS	266	20
50	बीएलए पावर	270	65
51	एनटीपीसी गाडरवारा STPS, Unit-1	272	1,910
52	एनटीपीसी लारा STPS, Raigarh, Unit I	272	305
53	एनटीपीसी मौदा II Unit 1	272	788
54	एनटीपीसी मौदा II Unit 2	272	788
55	सतपुडा ताप विद्युत गृह Ph-II & III	276	4,006
56	जैपी बीना पावर	278	2,120
57	झावुआ पावर STPS, Unit-1	278	745
58	टोरेंट पावर	492	173
59	कुल	-	86,433

6.3 म.प्र.के लिये विद्युत क्रय लागत

म.प्र.राज्य तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों की लागत (नियत प्रभार एवं परिवर्तनीय दर) म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. के खर्च तथा अतिशेष विद्युत की बिक्री से प्राप्त राशि को छोड़कर, निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका 34: म.प्र. के लिये विद्युत क्रय लागत

स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
A	केन्द्रीय सेक्टर	2,484	3,537	6,020	2,552	3,605	6,156	2,936	3,936	6,871
1	एनटीपीसी कोरबा	271	536	807	243	534	777	246	337	583
2	एनटीपीसी कोरबा III	83	89	171	78	72	150	80	66	146
3	एनटीपीसी विंध्याचल I	270	416	686	254	510	764	260	529	788
4	एनटीपीसी विंध्याचल II	156	376	532	156	366	522	159	355	514
5	एनटीपीसी विंध्याचल III	217	318	535	190	316	505	187	289	476
6	एनटीपीसी विंध्याचल IV	308	339	648	317	344	661	326	334	661
7	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	145	169	314	164	176	340	162	166	328
8	एनटीपीसी सीपत I	353	375	729	334	348	683	340	314	654
9	एनटीपीसी सीपत II	213	220	433	179	207	387	182	213	395
10	एनटीपीसी मौदा I	209	35	244	236	161	397	242	147	389
11	एनटीपीसी मौदा II Unit 1	18	6	24	70	10	80	76	36	112
12	एनटीपीसी मौदा II Unit 2	-	-	-	44	-	44	76	36	112
13	एनटीपीसी कवास GPP	105	48	152	87	69	157	90	62	151
14	एनटीपीसी गंधार GPP	78	47	125	90	70	160	92	48	140

म.प्र.के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
15	एनटीपीसी कहलगांव 2	59	50	109	57	72	129	57	125	182
16	एनटीपीसी काकरापार	-	2	2	-	-	-	-	84	84
17	एनटीपीसी तारापुर	-	509	509	-	351	351	-	416	416
18	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	-	-	-	51	-	51	87	41	128
19	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	60	37	97
20	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	184	286	470
21	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	एनटीपीसी लारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	29	18	48
23	एनटीपीसी लारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	म.प्र.जेनको (ताप एवं जल विद्युत गृह)	3,651	3,430	7,081	3,396	2,822	6,218	4,004	4,717	8,722
1	अमरकंटक टीपीएस फेस-III	272	270	541	223	284	506	229	285	514
2	सतपुडा फेस-II & III	339	307	646	381	55	436	378	185	563
3	सतपुडा फेस-IV	715	462	1,177	681	612	1,293	695	534	1,229
4	संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस -I & II	410	711	1,121	367	808	1,175	387	724	1,111
5	संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस -III	444	775	1,220	353	674	1,027	377	722	1,099
6	श्री सिंगाजी फेस-I	1,357	662	2,019	1,274	199	1,473	1,313	1,400	2,713
7	श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	-	-	-	-	-	-	376	418	794
8	श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	-	-	-	-	-	-	125	208	333
9	रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी	(0)	18	18	7	24	31	8	24	32
10	बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	51	88	139	55	75	130	60	84	144
11	बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	1	6	7	5	6	11	5	7	12

म.प्र.के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
12	बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	9	9	18	10	12	22	9	12	21
13	बाणसागर जल विद्युत (झिन्ना)	12	11	23	9	9	18	9	11	20
14	बिरसिंहपुर जल विद्युत	5	5	10	3	7	11	3	6	9
15	मणीखेड़ा जल विद्युत	32	25	56	16	7	22	17	15	32
16	राजधाट जल विद्युत	4	4	8	1	3	3	1	4	5
17	गांधीसागर जल विद्युत	(9)	9	0	3	12	15	3	11	14
18	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	-	56	56	-	27	27	-	56	56
19	पेंच जल विद्युत	10	11	21	9	8	17	9	11	20
C	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	1,468	627	2,095	1,171	226	1,397	1,225	254	1,479
1	एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	818	374	1,192	579	68	648	619	101	719
2	एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	472	107	579	414	30	444	428	42	471
3	सरदार सरोवर जल विद्युत	178	146	324	178	128	305	178	107	285
4	रिंहद जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	3	3
5	माताटीला जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	1	1
D	डी.ब्ही.सी.	520	392	911	380	405	785	-	-	-
1	डी.ब्ही.सी. (मैजिया और चन्द्रपुर)	403	348	752	364	391	755	-	-	-
2	डी.ब्ही.सी. (दुर्गापुर)	116	43	160	16	14	30	-	-	-
E	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	1,962	2,600	4,562	1,909	2,723	4,632	1,916	2,441	4,357
1	टोरेंट पावर	68	0	68	67	0	67	67	-	67
2	बीएलए पावर	19	4	23	6	-	6	10	7	18
3	जैपी बीना पावर	485	48	533	442	72	514	458	50	509

म.प्र.के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
4	लेंको अमरकंटक पावर	283	300	583	279	231	510	281	238	519
5	रिलायंस पावर (सासन)	172	1,778	1,950	167	1,828	1,995	168	1,511	1,679
6	एस्पार पावर	-	-	-	-	5	5	-	2	2
7	जय प्रकाश पावर निगरी	569	294	862	583	257	840	586	247	833
8	मोजर बियर पावर	252	169	421	341	325	666	303	377	681
9	झावुआ पावर यूनिट-1	116	6	122	24	-	24	42	-	42
10	कैप्टिव पावर	-	-	-	-	5	5	-	8	8
F	नवकरणीय ऊर्जा	0	2,473	2,473	-	3,099	3,099	-	3,306	3,306
1	सौर ऊर्जा	-	649	649	-	820	820	-	973	973
2	अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	-	4	4	-	4	4	-	13	13
3	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	0	1,820	1,820	-	2,275	2,275	-	2,319	2,319
G	कुल योग	10,084	13,058	23,143	9,407	12,880	22,288	10,081	14,655	24,736

तालिका 35: पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत

पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
A	केन्द्रीय सेक्टर	744	1,058	1,802	796	1,123	1,919	942	1,252	2,194
1	एनटीपीसी कोरबा	81	161	242	76	167	243	79	108	187
2	एनटीपीसी कोरबा III	25	27	51	25	23	47	26	21	47

स.क्र.	विवरण	पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
3	एनटीपीसी विंध्याचल I	81	124	205	79	159	238	83	170	253
4	एनटीपीसी विंध्याचल II	46	112	159	49	114	163	51	114	165
5	एनटीपीसी विंध्याचल III	65	95	160	59	99	158	60	93	153
6	एनटीपीसी विंध्याचल IV	92	101	194	99	107	206	105	107	212
7	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	43	51	94	51	55	106	52	53	105
8	एनटीपीसी सीपत I	106	113	219	104	109	213	109	101	210
9	एनटीपीसी सीपत II	64	66	130	56	65	121	58	68	127
10	एनटीपीसी मौदा I	62	11	73	74	49	123	78	45	122
11	एनटीपीसी मौदा II Unit 1	5	2	7	22	3	25	24	10	35
12	एनटीपीसी मौदा II Unit 2	-	-	-	13	-	13	24	10	35
13	एनटीपीसी कवास GPP	31	14	45	27	22	49	29	20	48
14	एनटीपीसी गंधार GPP	23	14	37	28	22	50	30	15	45
15	एनटीपीसी कहलगांव 2	18	15	33	18	22	40	18	40	58
16	एनटीपीसी काकरापार	-	1	1	-	-	-	-	27	27
17	एनटीपीसी तारापुर	-	153	153	-	109	109	-	133	133
18	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	-	-	-	15	-	15	28	12	40
19	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	19	11	31
20	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	59	87	146
21	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	एनटीपीसी लारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	9	5	15
23	एनटीपीसी लारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

स.क्र.	विवरण	पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
B	म.प्र.जेनको (ताप एवं जल विद्युत गृह)	1,094	1,019	2,113	1,059	884	1,943	1,156	1,364	2,520
1	अमरकंटक टीपीएस फेस-III	81	81	162	69	89	158	74	91	165
2	सतपुड़ा फेस-II & III	102	93	194	119	19	138	121	54	175
3	सतपुड़ा फेस-IV	215	137	352	212	191	403	223	171	394
4	संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -I & II	123	213	336	114	252	366	124	231	356
5	संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -III	133	233	366	110	210	320	121	232	353
6	श्री सिंगाजी फेस-I	407	191	598	397	65	462	328	350	678
7	श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	-	-	-	-	-	-	94	105	199
8	श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	-	-	-	-	-	-	31	52	83
9	रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी	(0)	5	5	2	7	10	3	8	10
10	बाणसागर जल विद्युत (टॉस)	15	26	41	17	23	40	19	27	46
11	बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	0	2	2	2	2	3	2	2	4
12	बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	3	3	5	3	4	7	3	4	7
13	बाणसागर जल विद्युत (झिन्ना)	4	3	7	3	3	6	3	4	7
14	विरसिंहपुर जल विद्युत	2	1	3	1	2	3	1	2	3
15	मणीखेड़ा जल विद्युत	9	8	17	5	2	7	5	5	10
16	राजधाट जल विद्युत	1	1	2	0	1	1	0	1	2
17	गांधीसागर जल विद्युत	(3)	3	0	1	4	5	1	4	5
18	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	-	16	16	-	8	8	-	18	18
19	पेंच जल विद्युत	3	3	6	3	3	5	3	4	7
C	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	439	189	628	365	70	435	393	82	475

स.क्र.	विवरण	पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
1	एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	245	112	357	180	21	201	198	32	231
2	एनएचडीसी ओकारेश्वर जल विद्युत	141	32	174	129	9	138	137	14	151
3	सरदार सरोवर जल विद्युत	53	44	98	56	39	95	57	34	91
4	रिंहद जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	माटाटीला जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	0	0
D	डी.व्ही.सी.	155	117	272	119	127	245	-	-	-
1	डी.व्ही.सी. (मैजिया और चन्द्रपुर)	120	104	225	114	122	236	-	-	-
2	डी.व्ही.सी. (दुर्गापुर)	35	13	48	5	5	10	-	-	-
E	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	589	778	1,367	596	851	1,447	615	781	1,396
1	टोरेंट पावर	20	0	20	21	0	21	22	-	22
2	बीएलए पावर	6	1	7	2	-	2	3	2	6
3	जैपी बीना पावर	145	14	159	138	24	162	147	15	162
4	लेंको अमरकंटक पावर	85	90	175	87	73	160	90	77	167
5	रिलायंस पावर (सासन)	52	532	583	52	570	622	54	485	539
6	एस्सार पावर	-	-	-	-	2	2	-	1	1
7	जय प्रकाश पावर निगरी	170	88	259	182	80	262	188	79	267
8	मोजर वियर पावर	76	50	126	107	102	208	97	120	218
9	झाबुआ पावर यूनिट-1	36	2	37	7	-	7	13	-	13
10	कैप्टिव पावर	-	-	-	-	1	1	-	3	3
F	नवकरणीय ऊर्जा	0	751	751	-	955	955	-	1,061	1,061
1	सौर ऊर्जा	-	195	195	-	253	253	-	312	312

पूर्व क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
2	अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	-	1	1	-	1	1	-	4	4
3	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	0	555	555	-	701	701	-	744	744
G	कुल योग	3,022	3,912	6,933	2,934	4,010	6,944	3,106	4,540	7,646

तालिका 36: मध्य क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत

मध्य क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
A	केन्द्रीय सेक्टर	827	1,175	2,002	747	1,052	1,799	871	1,164	2,034
1	एनटीपीसी कोरबा	90	179	268	71	156	227	73	100	173
2	एनटीपीसी कोरबा III	28	30	57	23	21	44	24	20	43
3	एनटीपीसी विंध्याचल I	90	137	227	74	149	223	77	157	234
4	एनटीपीसी विंध्याचल II	52	124	176	46	107	152	47	105	152
5	एनटीपीसी विंध्याचल III	72	106	178	55	92	148	56	86	141
6	एनटीपीसी विंध्याचल IV	103	113	215	93	101	194	97	99	196
7	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	49	56	105	48	51	99	48	49	97
8	एनटीपीसी सीपत I	118	125	243	98	102	200	101	93	194
9	एनटीपीसी सीपत II	71	73	144	53	61	113	54	63	117
10	एनटीपीसी मौदा I	70	12	81	69	46	116	72	43	114
11	एनटीपीसी मौदा II Unit 1	6	2	8	21	3	24	23	11	33
12	एनटीपीसी मौदा II Unit 2	-	-	-	13	-	13	23	11	33

स.क्र.	विवरण	मध्य क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
13	एनटीपीसी कवास GPP	35	15	50	26	20	46	27	18	45
14	एनटीपीसी गंधार GPP	26	15	41	26	20	47	27	14	42
15	एनटीपीसी कहलगांव 2	20	16	36	17	21	38	17	37	54
16	एनटीपीसी काकरापार	-	1	1	-	-	-	-	25	25
17	एनटीपीसी तारापुर	-	170	170	-	102	102	-	123	123
18	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	-	-	-	15	-	15	26	12	38
19	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	18	11	29
20	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	55	83	137
21	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	एनटीपीसी लारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	9	5	14
23	एनटीपीसी लारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	म.प्र.जेनको (ताप एवं जल विद्युत गृह)	1,218	1,131	2,349	992	825	1,817	1,067	1,264	2,331
1	अमरकंटक टीपीएस फेस-III	90	89	179	65	83	148	68	84	153
2	सतपुड़ा फेस-II & III	113	100	213	111	16	128	112	54	166
3	सतपुड़ा फेस-IV	239	151	390	199	178	378	206	158	365
4	संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -I & II	136	233	369	107	236	343	115	214	329
5	संजय गांधी थर्मल पावर हाउस फेस -III	148	259	407	103	196	299	112	214	326
6	श्री सिंगाजी फेस-I	453	217	670	372	59	431	302	322	624
7	श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	-	-	-	-	-	-	86	96	183
8	श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	-	-	-	-	-	-	29	48	77
9	रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह वरगी	(0)	6	6	2	7	9	2	7	9

मध्य क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
10	बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	17	30	47	16	22	38	18	25	43
11	बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	0	2	2	1	2	3	1	2	4
12	बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	3	3	6	3	4	6	3	4	6
13	बाणसागर जल विद्युत (झिन्ना)	4	4	8	2	3	5	3	3	6
14	बिरसिंहपुर जल विद्युत	2	2	3	1	2	3	1	2	3
15	मणीखेड़ा जल विद्युत	11	9	19	5	2	7	5	5	10
16	राजघाट जल विद्युत	1	1	3	0	1	1	0	1	1
17	गांधीसागर जल विद्युत	(3)	3	(0)	1	4	4	1	3	4
18	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	-	19	19	-	8	8	-	17	17
19	पेंच जल विद्युत	3	4	7	3	2	5	3	3	6
C	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	491	215	706	342	67	409	363	75	439
1	एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	274	127	401	169	20	189	183	30	213
2	एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	158	37	195	121	9	130	127	13	140
3	सरदार सरोवर जल विद्युत	59	51	110	52	38	90	53	32	84
4	रिंहद जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	माताटीला जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	0	0
D	डी.ब्ही.सी.	174	128	302	111	118	229	-	-	-
1	डी.ब्ही.सी. (मैजिया और चन्द्रपुर)	135	114	249	107	115	221	-	-	-
2	डी.ब्ही.सी. (दुर्गापुर)	39	14	53	4	4	8	-	-	-
E	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	657	862	1,519	559	795	1,354	568	723	1,291
1	टोरेंट पावर	23	0	23	20	0	20	20	-	20

मध्य क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
2	बीएलए पावर	6	1	8	2	-	2	3	2	5
3	जैपी बीना पावर	162	16	178	129	21	150	136	14	150
4	लेंको अमरकंटक पावर	94	99	194	82	67	149	83	71	154
5	रिलायंस पावर (सासन)	57	590	647	49	534	583	50	448	498
6	एस्सार पावर	-	-	-	-	2	2	-	1	1
7	जय प्रकाश पावर निगरी	190	98	289	170	75	245	174	73	247
8	मोजर वियर पावर	84	56	140	100	96	196	90	111	201
9	झावुआ पावर यूनिट-1	40	2	42	7	-	7	12	-	12
10	कैप्टिव पावर	-	-	-	-	1	1	-	2	2
F	नवकरणीय ऊर्जा	0	832	832	-	900	900	-	981	981
1	सौर ऊर्जा	-	215	215	-	239	239	-	289	289
2	अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	-	1	1	-	1	1	-	4	4
3	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	0	615	615	-	660	660	-	688	688
G	कुल योग	3,367	4,342	7,709	2,751	3,756	6,507	2,869	4,207	7,076

तालिका 37: पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत

पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
A	केन्द्रीय सेक्टर	913	1,304	2,217	1,009	1,429	2,438	1,123	1,520	2,643
1	एनटीपीसी कोरबा	100	196	297	96	211	307	94	129	223

पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
2	एनटीपीसी कोरवा III	30	32	63	31	28	59	30	25	56
3	एनटीपीसी विंध्याचल I	100	154	255	100	202	302	99	202	302
4	एनटीपीसी विंध्याचल II	58	140	197	62	145	206	61	136	197
5	एनटीपीसी विंध्याचल III	79	117	197	75	125	200	72	111	182
6	एनटीपीसी विंध्याचल IV	113	125	239	126	137	262	125	128	253
7	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	53	62	115	65	70	134	62	63	125
8	एनटीपीसी सीपत I	130	138	267	132	138	270	130	120	250
9	एनटीपीसी सीपत II	78	81	159	71	82	153	70	81	151
10	एनटीपीसी मौदा I	77	13	90	93	65	159	93	60	152
11	एनटीपीसी मौदा II Unit 1	7	2	9	28	4	31	29	15	44
12	एनटीपीसी मौदा II Unit 2	-	-	-	18	-	18	29	15	44
13	एनटीपीसी कवास GPP	38	18	57	35	27	62	34	24	58
14	एनटीपीसी गंधार GPP	29	18	46	36	27	63	35	18	54
15	एनटीपीसी कहलगांव 2	22	19	40	23	28	51	22	48	69
16	एनटीपीसी काकरापार	-	1	1	-	-	-	-	32	32
17	एनटीपीसी तारापुर	-	187	187	-	140	140	-	159	159
18	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-1	-	-	-	20	-	20	33	16	50
19	एनटीपीसी सोलापुर यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	23	15	38
20	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	70	116	186
21	एनटीपीसी गाडरवारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	एनटीपीसी लारा यूनिट-1	-	-	-	-	-	-	11	8	19

पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
23	एनटीपीसी लारा यूनिट-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	म.प्र.जेनको (ताप एवं जल विद्युत गृह)	1,339	1,280	2,619	1,345	1,113	2,458	1,781	2,089	3,871
1	अमरकंटक टीपीएस फेस-III	100	100	200	88	112	200	88	109	197
2	सतपुड़ा फेस-II & III	124	114	238	151	20	170	144	77	221
3	सतपुड़ा फेस-IV	262	174	436	270	243	513	266	204	470
4	संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस -I & II	151	264	416	146	320	465	148	278	426
5	संजय गांधी थर्मल पावर हाऊस फेस -III	163	283	446	140	268	408	144	276	420
6	श्री सिंगाजी फेस-I	497	255	752	505	75	580	683	728	1,411
7	श्री सिंगाजी फेस-2 यूनिट1	-	-	-	-	-	-	195	218	413
8	श्रीसिंगाजी फेस-2 यूनिट2	-	-	-	-	-	-	65	108	173
9	रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी	(0)	7	6	3	9	12	3	9	12
10	बाणसागर जल विद्युत (टोंस)	19	32	51	22	30	51	23	32	55
11	बाण सागर जल विद्युत (सिलपारा)	0	2	3	2	2	4	2	3	5
12	बाणसागर जल विद्युत (देवलोंद)	3	3	6	4	5	9	3	5	8
13	बाणसागर जल विद्युत (झिन्ना)	5	4	9	3	4	7	3	4	8
14	बिरसिंहपुर जल विद्युत	2	2	4	1	3	4	1	2	3
15	मणीखेड़ा जल विद्युत	12	9	20	6	3	9	6	6	12
16	राजघाट जल विद्युत	1	2	3	0	1	1	0	1	2
17	गांधीसागर जल विद्युत	(3)	3	0	1	5	6	1	4	5
18	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जल विद्युत	-	21	21	-	11	11	-	21	21
19	पेंच जल विद्युत	4	4	8	4	3	7	4	4	8

पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
C	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	537	224	761	464	90	554	469	97	566
1	एनएचडीसी इंदिरा सागर जल विद्युत	300	134	434	230	27	257	237	39	275
2	एनएचडीसी ओंकारेश्वर जल विद्युत	173	38	211	164	12	176	164	16	180
3	सरदार सरोवर जल विद्युत	65	51	116	70	51	121	68	41	109
4	रिंहद जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	माताटीला जल विद्युत	-	-	-	-	-	-	-	0	0
D	डी.व्ही.सी.	191	147	337	150	160	310	-	-	-
1	डी.व्ही.सी. (मैजिया और चन्दपुर)	148	130	278	144	154	298	-	-	-
2	डी.व्ही.सी. (दुर्गापुर)	43	16	59	6	6	12	-	-	-
E	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	716	960	1,676	754	1,077	1,831	733	937	1,670
1	टोरेंट पावर	25	0	25	26	0	26	26	-	26
2	बीएलए पावर	7	1	8	2	-	2	4	3	7
3	जैपी बीना पावर	178	18	196	175	28	203	175	21	196
4	लेंको अमरकंटक पावर	104	111	214	110	92	202	107	91	199
5	रिलायंस पावर (सासन)	63	657	720	66	724	790	64	578	642
6	एस्सार पावर	-	-	-	-	2	2	-	1	1
7	जय प्रकाश पावर निगरी	208	107	315	230	102	332	224	94	319
8	मोजर वियर पावर	92	63	156	134	128	262	116	146	262
9	झाबुआ पावर यूनिट-1	40	2	42	10	-	10	16	-	16
10	कैप्टिव पावर	-	-	-	-	2	2	-	3	3
F	नवकरणीय ऊर्जा	0	890	890	-	1,245	1,245	-	1,265	1,265

पश्चिम क्षेत्र के लिये विद्युत क्रय लागत (रूपये करोड़)										
स.क्र.	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
1	सौर ऊर्जा	-	239	239	-	329	329	-	372	372
2	अन्य लघु एवं सूक्ष्म केन्द्र	-	2	2	-	2	2	-	5	5
3	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	0	650	650	-	914	914	-	887	887
G	कुल योग	3,696	4,805	8,501	3,722	5,114	8,836	4,106	5,908	10,014

The above costs after being adjusted for Surplus and MPPMCL cost are again distributed among the three Discoms according to the monthly energy requirement at state boundary for individual Discoms as shown below:

तालिका 38: म लिये के.प्र.कुल विद्युत क्रय लागत

विवरण	म.प्र.राज्य								
	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	
कुल विद्युत क्रय लागत	10,084	13,058	23,143	9,407	12,880	22,288	10,081	14,655	24,736
जोड़ना + आर.पी.ओ.दायित्व पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय लागत	-	130	130	-	-	-	-	79	79
घटाना- अतिशेष विद्युत से प्राप्त आय	-	807	807	-	3,332	3,332	-	2,066	2,066
जोड़ना+ म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. की लागत	(117)	-	(117)	(344)	-	(344)	(398)	-	(398)
कुल विद्युत क्रय लागत	9,968	12,381	22,349	9,063	9,548	18,612	9,683	12,668	22,351

तालिका 39: पूर्व क्षेत्र के लिये कुल विद्युत क्रय लागत

विवरण	पूर्व क्षेत्र								
	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग		
कुल विद्युत क्रय लागत	3,022	3,912	6,933	2,934	4,010	6,944	3,106	4,540	7,646
जोड़ना + आर.पी.ओ.दायित्व पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय लागत	-	40	40	-	-	-	-	26	26
घटाना- अतिशेष विद्युत से प्राप्त आय	-	246	246	-	1,040	1,040	-	675	675
जोड़ना+ म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. की लागत	(35)	-	(35)	(107)	-	(107)	(127)	-	(127)
कुल विद्युत क्रय लागत	2,987	3,705	6,692	2,827	2,971	5,798	2,979	3,890	6,869

तालिका 40: मध्य क्षेत्र के लिये कुल विद्युत क्रय लागत

विवरण	मध्य क्षेत्र								
	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग		नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग		
कुल विद्युत क्रय लागत	3,367	4,342	7,709	2,751	3,756	6,507	2,869	4,207	7,076
जोड़ना + आर.पी.ओ.दायित्व पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय लागत	-	44	44	-	-	-	-	24	24
घटाना- अतिशेष विद्युत से प्राप्त आय	-	272	272	-	987	987	-	617	617
जोड़ना+ म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. की लागत	(39)	-	(39)	(100)	-	(100)	(118)	-	(118)
कुल विद्युत क्रय लागत	3,328	4,114	7,441	2,651	2,769	5,420	2,751	3,613	6,365

तालिका 41: पश्चिम क्षेत्र के लिये कुल विद्युत क्रय लागत

विवरण	पश्चिम क्षेत्र								
	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)			वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)			वि.व. 2018-19 (आंकलित)		
	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग	नियत प्रभार	परिवर्तनीय प्रभार	योग
कुल विद्युत क्रय लागत	3,696	4,805	8,501	3,722	5,114	8,836	4,106	5,908	10,014
जोड़ना + आर.पी.ओ.दायित्व पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय लागत	-	46	46	-	-	-	-	30	30
घटाना- अतिशेष विद्युत से प्राप्त आय	-	288	288	-	1,305	1,305	-	774	774
जोड़ना+ म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. की लागत	(43)	-	(43)	(137)	-	(137)	(154)	-	(154)
कुल विद्युत क्रय लागत	3,653	4,562	8,215	3,585	3,809	7,394	3,952	5,165	9,117

6.4 विद्युत क्रय लागतों का आंकलन

6.4.1 अन्तर राज्यीय पारेषण लागतें

6.4.1.1 अन्तर राज्यीय पारेषण प्रभार में म.प्र. द्वारा पश्चिम क्षेत्र एवं पूर्व क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अन्तर राज्यीय पारेषण लागत विद्युत क्रय स्टेटमेन्ट में दिये गये प्रावधानिक आंकड़ों से लिया गया है, तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के दर आदेश (पी.ओ.सी.शुल्क का निर्धारण) तथा रेग्युलेशन 17 (2) के तहत अक्टूबर-17 से दिसम्बर-17 के पारेषण हानियों के आधार पर (अन्तर राज्यीय पारेषण दर एवं हानियां) विनियमन 2010 एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधन दिनांक 31.10.2017 लिये गये हैं।

6.4.1.2 वर्ष 2016-17 हेतु अन्तर राज्यीय पारेषण लागत प्रावधानिक तौर पर 1411.48 करोड़ लिये गये हैं तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिये 1813.49 करोड़ एवं 2236.80 करोड़ क्रमशः लिये गये हैं, जो निम्नानुसार है :-

तालिका 42: अन्तर राज्यीय पारेषण शुल्क (रु. करोड़ में)

वितरण कंपनी	वि.व. 17	वि.व. '18	वि.व. '19
पूर्व क्षेत्र	422.08	567.70	717.46
मध्य क्षेत्र	468.17	530.47	667.63
पश्चिम क्षेत्र	521.23	715.32	851.72
मध्य प्रदेश राज्य	1,411.48	1,813.49	2,236.80

6.4.1.3 उपरोक्त राशि को वितरण कंपनियों की सीमा पर ऊर्जा उपलब्धता के आधार पर वितरण कंपनीवार विभाजित किया गया है।

6.4.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लागतें एवं अनुबंधी लाभ को शामिल कर अन्तः राज्यीय पारेषण लागतें :

6.4.2.1 याचिकाकर्ताओं ने अन्तः राज्यीय पारेषण लागतें, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लागतों को शामिल करते हुए माननीय नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 70/2016 एवं 69/2016 दि. 26.04.2017 के विरुद्ध जारी दर आदेश के तहत वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक के लिये क्रमशः रूपये 2501.16 करोड़ एवं 2716.59 करोड़ लिये गये हैं। अन्तः राज्यीय पारेषण लागतें राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लागतों को शामिल करते हुए वितरण कंपनियों द्वारा किये गये प्रावधानिक व्यय के आधार पर रु. 3000.14 करोड़ लिये गये हैं।

6.4.2.2 नियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य टर्मिनल लाभ, बोर्ड और उसके उत्तराधिकारी संस्थाओं के पेंशन भोगियों और कर्मियों के प्रति सभी पेंशनर को भुगतान के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नगदी बहिर्वाह (कैश फ्लो) में नियमन 3 के प्रावधान (आठ) के अन्तर्गत शामिल होंगे। नियमों के अनुसार उपरोक्त वर्णित बहिर्वाह (कैश फ्लो) तीन भागों में है :-

(अ) कर्मचारियों के लिए जो 1.6.2005 तक सेवा निवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने 1.6.2005 तक सेवाएं दी है।

- (ब) कर्मचारी जो कि दिनांक 01.06.2005 के बाद सेवा निवृत्त होंगे, उनकी 1.6.2005 तक की सेवाओं पर
- (स) कर्मचारी जो कि दिनांक 01.06.2005 के बाद सेवा देंगे और जो कि 01.06.2005 के पश्चात सेवा निवृत्त होंगे।

6.4.2.3 वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 86 (1) (ए) के अन्तर्गत बहुवर्षीय ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए प्रस्तुत की गई याचिका में माननीय आयोग द्वारा निम्नानुसार कथन किया गया है :-

"The Commission has considered the current terminal benefits and pension expenses of Rs 1047.09 Crore, Rs 1177.90 Crore and Rs 1282.38 Crore for FY 2016-17 to FY 2018-19 respectively in this order on provisional basis and on 'pay as you go' principle as claimed by MPPTCL in the subject petition subject to true-up in each year on availability of the actual figures"

तालिका 43: अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क राज्य भार प्रेषण तथा अनुषंगी लाभों को शामिल करते हुए (रु. करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)	वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)	वि.व. 2018-19 (आंकलित)
संचा-संधा व्यय	407.66	446.58	495.49
लायसेंसी के वेतन भुगतान का व्यय	37.80	37.80	37.80
मूल्य हास	320.14	324.22	345.84
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	121.33	131.26	143.12
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	61.63	67.33	73.40
पूंजी पर प्रति लाभ	340.19	364.33	388.46
नियामक आयोग का शुल्क एवं कर	1.22	1.33	1.47
घटायें - अन्य आय	(19.00)	(20.00)	(21.00)
नियामक आयोग द्वारा अनुमोदन पावर ट्रांसमिशन कंपनी की नियत लागत (अनुषंगी लाभों को छोड़कर)	1,270.97	1,352.85	1,464.58
अनुषंगी लाभ	1,047.09	1,177.90	1,282.38
याचिका क्रमांक 02/2016 के तहत अनुमोदित पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रभार ए.के.व्ही.एन. को शामिल करते हुए	2,318.06	2,530.75	2,746.96
वर्ष 2016-17 के लिए प्रावधानिक एमपीपीटीसीएल के प्रभार तथा याचिका क्रमांक 69/2016 तथा 70/2016 में तीनों वितरण कंपनियों हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए अनुमोदित प्रभार	2,281.50	2,491.57	2,707.00
म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी का शुल्क	2,991.90	2,491.57	2,707.00
राज्य भार प्रेषण केन्द्र	8.23	9.59	9.59
कुल अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क एसएलडीसी के प्रभार को जोड़कर	3,000.14	2,501.16	2,716.59

विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)	वि.व. 2017-18 (पुनरीक्षित)	वि.व. 2018-19 (आंकलित)
पूर्व क्षेत्र	905.06	747.33	811.71
मध्य क्षेत्र	945.49	796.12	864.69
पश्चिम क्षेत्र	1,149.59	957.70	1,040.18

The same is allocated to Discoms based on energy availability at State Boundary.

6.5 म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी की लागत

तालिका 44: म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी की लागतें और वितरण कंपनीवार आवंटन

विवरण	FY 17	FY 18	FY 19
अन्य स्रोतों से विद्युत क्रय की लागत	193	-2	-2
बैंकिंग प्रभार	27	29	32
मूल्य हास लागत	4	6	9
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	62	51	39
मरम्मत एवं रख-रखाव	2	2	3
कर्मचारी लागतें	60	69	71
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	35	38	42
अन्य व्यय	3	4	4
व्यय	385	198	197
अन्य आय	502	542	596
लाभ / हानि	-117	-344	-398
विवरण			
पूर्व क्षेत्र	-35	-107	-127
मध्य क्षेत्र	-39	-100	-118
पश्चिम क्षेत्र	-43	-137	-154
योग	-117	-344	-398

6.6 सकल विद्युत क्रय लागत

उपरोक्त वर्णित विभिन्न लागत के घटकों के अनुसार प्रदेश में सकल विद्युत क्रय लागत एवं म.प्र. की प्रत्येक वितरण कंपनियों की लागत निम्नानुसार है :-

तालिका- 45: कुल बिजली खरीद की लागत- म.प्र. राज्य

बिजली खरीद की लागत- म.प्र. राज्य					
	विवरण	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	61,382	59,308	67,449	
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	10,084	9,407	10,081	
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	12,381	9,548	12,668	
D	म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(117)	(344)	(398)	
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	22,349	18,612	22,351	
F= (E/A)*10	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वॉ)	3.64	3.14	3.31	
G	बाह्य हानियां मि.यू.	1,775	1,489	1,508	
H	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	1,411	1,813	2,237	
I = (A - G)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	59,607	57,819	65,941	
J = (E + H)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	23,760	20,425	24,588	
K=(J/I)*10	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.99	3.53	3.73	
L	पारेषण हानि मि.यू.	1,615	1,567	1,787	
M	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत – एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	3,000	2,501	2,717	
N = I-L	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	57,992	56,252	64,154	
O = J+M	वितरण कंपनी की सीमा पर कुल क्रय लागत (रु. करोड़ में)	26,760	22,926	27,304	
P=(O/N)*10	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति यूनिट)	4.61	4.08	4.26	

बिजली खरीद की लागत- पूर्व क्षेत्र

	विवरण	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	18,343	18,419	21,481
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	3,022	2,934	3,106
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	3,705	2,971	3,890
D	म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(35)	(107)	(127)
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	6,692	5,798	6,869
F= (E/A)*10	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वॉ)	3.65	3.15	3.20

बिजली खरीद की लागत- म.प्र. राज्य				
	विवरण	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
G	बाह्य हानियां मि.यू.	534	463	481
H	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	422	565	716
I = (A - G)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	17,809	17,956	21,000
J = (E + H)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	7,114	6,363	7,585
K=(J/I)*10	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.99	3.54	3.61
L	पारेषण हानि मि.यू.	483	487	569
M	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत - एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	905	747	812
N = I-L	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	17,327	17,469	20,431
O = J+M	वितरण कंपनी की सीमा पर कुल क्रय लागत (रु. करोड़ में)	8,019	7,111	8,397
P=(O/N)*10	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति यूनिट)	4.63	4.07	4.11

बिजली खरीद की लागत- मध्य क्षेत्र				
	विवरण	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	20,407	17,299	19,952
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	3,367	2,751	2,869
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	4,114	2,769	3,613
D	म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(39)	(100)	(118)
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत - एक्स बस (रु. करोड़ में)	7,441	5,420	6,365
F= (E/A)*10	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वॉ)	3.65	3.13	3.19
G	बाह्य हानियां मि.यू.	594	434	446
H	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	468	529	663
I = (A - G)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	19,814	16,865	19,505
J = (E + H)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	7,910	5,948	7,028
K=(J/I)*10	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.99	3.53	3.60
L	पारेषण हानि मि.यू.	-	-	-
M	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत - एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं	537	457	529

बिजली खरीद की लागत- म.प्र. राज्य					
	विवरण	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	
	एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)				
N = I-L	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	19,277	16,408	18,977	
O = J+M	वितरण कंपनी की सीमा पर कुल क्रय लागत (रु. करोड़ में)	8,855	6,744	7,892	
P=(O/N)*10	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति यूनिट)	4.59	4.11	4.16	
बिजली खरीद की लागत- पश्चिम क्षेत्र					
Sr. no.	Particulars	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	22,632	23,590	26,016	
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	3,696	3,722	4,106	
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	4,562	3,809	5,165	
D	म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(43)	(137)	(154)	
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	8,215	7,394	9,117	
F= (E/A)*10	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वॉ)	3.63	3.13	3.50	
G	बाह्य हानियां मि.यू.	648	592	581	
H	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	521	719	858	
I = (A - G)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	21,984	22,998	25,436	
J = (E + H)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	8,737	8,114	9,975	
K=(J/I)*10	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.97	3.53	3.92	
L	पारेषण हानि मि.यू.	596	623	689	
M	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत – एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	1,150	958	1,040	
N = I-L	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	21,388	22,374	24,746	
O = J+M	वितरण कंपनी की सीमा पर कुल क्रय लागत (रु. करोड़ में)	9,886	9,071	11,015	
P=(O/N)*10	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति यूनिट)	4.62	4.05	4.45	

6.7 ऊर्जा खरीद लागत में बढ़ोतरी

म.प्र. राज्य में ऊर्जा खरीदी लागत, कुल सकल राजस्व आवश्यकता का 80 प्रतिशत से ज्यादा होती है। ऊर्जा खरीदी लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं की विद्युत दरों पर पड़ता है।

तालिका-46: ख्रोतवार औसत ऊर्जा खरीद लागत का विवरण:- वित्तीय वर्ष 2016-17

विद्युत क्रय लागत वित्तीय वर्ष 2016-17				
स.क्र. .	विवरण	मात्रा (MUs)	कुल लागत (रु. करोड में)	औसत दर (Paisa/kWh)
1	केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र	18,814	6,020	320
2	म.प्र.जेनको ताप एवं जल विद्युत	16,140	7,081	439
3	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत	6,464	2,099	325
4	डी.बी.सी.	1,857	911	491
5	स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक	16,702	4,562	273
6	नवकरणीय	4,074	2,469	606
7	पीजीसीआईएल	64,052	1,411	22
8	म.प्र.पारेषण एसएलडीसी सहित	64,052	3,000	47
9	कुल	64,052	27,555	430

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के अधिनियम – RG-38 of 2012 के अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान दायित्व, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी की लागत में शामिल होता है। उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी राशि पेंशन भुगतान दायित्व को छोड़कर है।

भविष्य में नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों के जुड़ने से ऊर्जा खरीद लागत में वृद्धि होती है। विगत 5 वर्षों में औसत विद्युत खरीदी लागत में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लागत वर्ष 2011-12 में रु. 2.60 से वर्ष 2016-17 में रु. 4.30 प्रति यूनिट हो गयी। वर्षवार औसत ऊर्जा खरीदी लागत निम्न तालिका में दी गई है :-

तालिका 47: पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में बिजली खरीद लागत का रुक्णान

विद्युत खरीद लागत रुक्णान				
स.क्र. .	वित्तीय वर्ष	खरीदी गई ऊर्जा (मि.यू.)	ऊर्जा खरीद लागत Cost (Rs. Cr.)	औसत ऊर्जा खरीद लागत (रु. प्रति यूनिट)
1	FY 2011-12	44,030	11,442	260
2	FY 2012-13	49,037	14,693	300
3	FY 2013-14	53,714	18,500	344
4	FY 2014-15	57,977	19,365	334
5	FY 2015-16	64,932	23,510	362
6	FY 2016-17	64,052	27,555	430

औसत विद्युत खरीद लागत में वृद्धि के कारण :-

- जिस प्रकार से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई उसी अनुपात में मांग में वृद्धि नहीं हुई है।
- अधिकतर विद्युत खरीदी के अनुबंध लागत आधार के हैं। किसी भी प्रकार की ईधन, परिवहन तथा कर आदि में बढ़ोतरी होने पर इसका असर सीधा खरीदार पर होता है।
- अधिक अतिरिक्त विद्युत होने के कारण तथा उन उत्पादन केन्द्रों से कम दिनों के लिए थोड़ी महंगी दरों की बिजली खरीदना होती है, लेकिन पूरे संभावित उत्पादन के लिए नियम लागत का भुगतान करना होता है।
- पुर्णनवकणीय ऊर्जा के रिन्यूएबल परचेज आब्लीगेशन लक्ष्य को पूर्ण करने के कारण

विद्युत खरीद लागत में कमी में बाधाएं :-

कुछ ऐसे कारण जो, विद्युत खरीदी लागत में कमी करने हेतु म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण में नहीं होते हैं, नीचे दिये गये हैं :-

- अतिरिक्त क्षमता के बेक डाउन करने पर नियत प्रभार का भुगतान :- यह उल्लेखित करना आवश्यक है कुछ उत्पादन केन्द्रों की क्षमता का बेकडाउन किया गया है, तो उनके विद्युत खरीदी अनुबंध के अनुसार नियत प्रभार का भुगतान करना होता है। वर्ष 2015-16 में 17130 मि.यूनिट ऊर्जा का बेकडाउन किया गया था जिसके एवज में लगभग राशि रु. 2158 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 28379 मि.यू. के विरुद्ध नियत प्रभार 3598 करोड़ का भुगतान किया गया।
- नवकरणीय क्षमता में वृद्धि :- पिछले वर्ष की तुलना में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में इस वर्ष लगभग दोगुनी हुई है। नव करणीय ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत पैसे 606 है जो औसत ऊर्जा खरीद लागत से बहुत अधिक है। इस प्रकार यह ऊर्जा खरीदी लागत को बढ़ाने में एक कारक है।
- सासन पावर लिमिटेड एवं अन्य ताप विद्युत उत्पादकों को आकस्मिक दायित्व का भुगतान
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, के द्वारा एक्साइस ड्यूटी, क्लीन एनर्जी सेस, कोयले की रायल्टी के चार्जेस, आदि के भुगतान के एवज में रु. 523 करोड़ का बिल भुगतान हेतु प्राप्त हुआ।
- एप्टेल के आदेश दिनांक 31.03.2016 के अनुसार दि. 16.08.2013 की जगह दि. 31.03.2013 को सी.ओ.डी. को मान्य किये जाने के कारण राशि रु. 430 करोड़ के भुगतान हेतु कहा गया है। यद्यपि यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। मात्र 29 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- कोयले पर लगने वाली ड्यूटी, सेस, रायल्टी आदि में बढ़ोतरी होने के कारण ताप विद्युत केन्द्रों की लागत बढ़ी है।

A7: म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी के आय एवं व्यय

म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी के व्यय जो मुख्यतः प्रशासन, दायित्व तथा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं आदि के कारण होता है, तीनों वितरण कंपनियों को बहुवर्षीय टैरिफ के लिए आवंटित किया गया है। यह व्यय तीनों वितरण कंपनियों को उनकी सीमा पर विद्युत आवश्यकता के आधार पर आवंटित किया जाता है।

म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 2260-एफ-3-24-2009-xiii दिनांक 19 मार्च 2013 के आइटम क्रमांक 8 (ii) के अनुसार म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को म.प्र. नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/ अनुमोदित दरों पर विद्युत की आपूर्ति करेगी एवं अपने व्यय को वास्तविक आधार पर संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा ली गई ऊर्जा के अनुसार वसूल करेगी।

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर कार्य करेगी। अतः अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को प्राप्त समस्त क्रेडिट्स, एम.पी.पी.एम.सी.एल. का आय का भाग बनी है (फार्म एस-1 में अन्य आय में दर्शित), को संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा आहरित की गई ऊर्जा के अनुपात में वितरण कंपनियों की ऊर्जा क्रय लागत के रूप में दिया जा रहा है। एमपीपीएमसीएल की सकल राजस्व की आवश्यकता के मूल्य हिस्से इस भाग में विस्तार से बताया है।

तालिका 48: म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं. की लागत (रु. करोड़ में)

स.क्र .	विवरण	वि.व. 2016-17 (प्रावधानिक)	FY 2017-18 पुनरीक्षित	FY 2018-19 आंकलित
1	राजस्व	502	542	596
a	राजस्व अनुदान सहित आपरेशन से प्राप्त राजस्व	162	-	-
b	अन्य आय	340	542	596
2	व्यय	385	198	197
a	अन्य स्रोत से ऊर्जा खरीदी की लागत	193	(2)	(2)
b	बैंकिंग	27	29	32
c	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	4	6	9
d	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	62	51	39
e	मरम्मत एवं रख रखाव	2	2	3
f	कर्मचारी लागत	60	69	71
g	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	35	38	42
h	अन्य व्यय	3	4	4
3	अवधि के लिए लाभ / हानि	(117)	(344)	(398)

7.1 म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी की आय

7.1.1 संचालन से प्राप्त राजस्व (राजस्व अनुदान सहित)

ऊर्जा क्रय से प्राप्त राजस्व वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में लिया गया था इसलिए यह म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं. के सकल राजस्व आवश्यकता में नहीं लिया गया है। हालांकि, श्रेय के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्थान को रूपये 150.89 करोड़ की आवश्यक बिक्री तथा अन्य को अतिशेष पावर की बिक्री का 10.93 करोड़ वितरण कंपनियों के मासिक बिलों के जरिए पास नहीं किया जा सका। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से यह माना गया है कि इस राशि को वितरण कंपनियों को नियमित मासिक बिलों के जरिए पास किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालन से आय शून्य है।

7.1.2 अन्य आय

वित्तीय वर्ष 2016-17 में एम.पी.पी.एम.सी.एल. की अन्य आय 340.20 करोड़ रूपये है। अन्य आय के प्रमुख हिस्सों में मुख्य रूप से दीर्घ अवधि के बिजली आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समय पर किए गए भुगतान के विरुद्ध दी गई छूट एवं लघु अवधि ओपन एक्सेस लेखा में पीजीसीआईएल से प्राप्त क्रेडिट है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में एम.पी.पी.एल द्वारा प्राप्त अन्य आय का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

तालिका 49: अन्य आय (रु. करोड़)

स.क्र.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
(i)	लंबी अवधि के पारेषण पर सेवा प्रदाताओं के खुली पहुंच हिस्सेदारी के खाते पर छूट (पीजीसीआईएल)	147.76	162.54	178.79
(ii)	समय पर शीघ्र भुगतान प्राप्त होने पर छूट	129.29	340.00	374.00
(iii)	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	26.90	29.59	32.55
(iv)	ब्याज प्राप्ति (प्रतिबद्धता अग्रिमों पर ब्याज जोड़कर)	2.06	2.27	2.49
(v)	आम व्यय वसूली	27.66	-	-
(vi)	अन्य	6.53	7.18	7.90
	योग	340.20	541.58	595.73

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-17 में आम व्यय वसूली में रु. 27.66 करोड़ जोड़ा गया है, जो न्यायालय के आदेश के तहत कंपनियों के पक्ष में उसे वापिस किया गया है और यह केवल एक बार प्राप्त होने वाली आय है।

सितम्बर-2017 से कंपनी ने अपनी नगद ऋण सुविधाओं को वर्ष 2017 में बढ़ाकर विद्युत क्रय बिलों में ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त करना प्रारम्भ किया है। परिणाम स्वरूप त्वरित भुगतान से प्राप्त छूट वर्ष 2016-17 के रु. 129.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में लगभग रु. 340.00 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्ष 2017-18 की अन्य आय के सभी अंगों की वर्ष 2016-17 की अन्य आय के सभी अंगों में 10% की वृद्धि कर गणना की गयी है। आगे वर्ष 2018-19 की अन्य आय वर्ष 2017-18 की आय में 10 % वृद्धि मानते हुए गणना की गयी है।

7.2 म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी के खर्चे

- 7.3 विद्युत वितरण कंपनीवार वार्षिक राजस्व आवश्यकता में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार केन्द्रवार विद्युत क्रय लागत एवं अपने संचालन-संधारण खर्च, अवमूल्यन ऋण प्रभार इत्यादि लिए गये हैं।

यद्यपि विद्युत क्रय संबंधित कुछ लागतें (नीचे दिये गये विवरण अनुसार) जो कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उनके नियंत्रण में न होने के कारण नहीं ली गई हैं। इसलिए ऐसी विद्युत क्रय लागतों को वितरण कंपनियों द्वारा एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की विशिष्ट लागतों के रूप में लिया गया है एवं सकल राजस्व आवश्यकता में विचार हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

7.2.1 ऊर्जा की खरीद

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इसमें सम्मिलित हैं :-

- अ- विद्युत क्रय का बिल रु 201.52 करोड़।
ब - ऊर्जा बैंकिंग के लिए देयता रु .(8.52) करोड़
स - अन्य लागत रु. 0.04 करोड़

7.2.1.1 विद्युत क्रय के बिल

वित्तीय वर्ष 2016-17 वितरण कंपनियों के मासिक बिलों में समाहित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 बिलों को वितरण कंपनियों द्वारा माहवारी बिलों में पारित किया जायेगा अतएव उन्हें भी वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता में शामिल किया जाएगा ।

7.2.1.2 बैंकिंग के लिए देयता

वित्तीय वर्ष 2007-2008 से म.प्र.पा.में.कं.लि ने अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के दौरान राज्य के बाहर तीसरे पक्षों के साथ ऊर्जा के आदान प्रदान / बैंकिंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। ऊर्जा की कमी वाले पक्षों को विद्युत ऊर्जा प्रदाय की जाती है तथा राज्य में विद्युत की कमी की स्थिति में कंपनी द्वारा बैंकिंग की गई ऊर्जा वापस ली जाती है। बैंकिंग और लेन देन में किसी प्रकार की राशि का भुगतान या प्राप्तिया शामिल नहीं हैं, केवल उन संबंधित संस्थाओं को देय ओपिन एक्सेस एवं ट्रेडिंग मार्जिन की राशि जिनके द्वारा उक्त सुविधा का लाभ लिया जा रहा है।

7.2.1.3 ऊर्जा की बैंकिंग के लिए देयता (8.52) करोड़

कंपनी पर वर्ष 2016-17 के दौरान की 461.91 मिलियन यूनिट बैंक की गई ऊर्जा की देयता है, जो वर्ष 2015-16 में बैंकिंग को छोड़कर कुल ऊर्जा क्रय लागत के आधार पर वर्ष 2016-17 की औसत विद्युत क्रय लागत रु. 3.85 प्रति यूनिट को विचारण में लेते हुए वित्तीय बाध्यता रु.

186.56 करोड़ में परिवर्तित होती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा वर्ष 2015-16 में बैंकिंग के प्राप्त 517.94 मिलीनियन यूनिट वापिस की गई। इसकी वित्तीय बाधता रु. 186.55 करोड़ हुई जो वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत क्रय की औसत लागत रु. 3.60 प्रति यूनिट के आधार पर थी। इसलिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नेट बैंकिंग देयता रु. (8.52) करोड़ रखी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंकिंग की देयता की गणना निम्नानुसार की गई है :-

तालिका 50: अन्य आय (रु करोड़)

विवरण	रु. करोड़
वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक लौटाने हेतु आवश्यक मि.यू	461.96
वि.व. 2017-18 के अन्त तक लौटाने हेतु आवश्यक मि.यू (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 10% की दर से घटाते हुए)	415.76
वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रय की औसत कीमत	3.85
वित्तीय वर्ष 2017-18 की क्रय की औसत कीमत (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 10% की दर से बढ़ाते हुए)	4.24
बैंकिंग दायित्व का कुल दायित्व वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु (रु)करोड़(०	176.08
वित्तीय वर्ष 2016-17 में वितरण कंपनियों को 3.85 पै. प्रति यूनिट की दर से 461.96 मि.यू. का क्रेडिट	178.03
वित्तीय वर्ष 2017-18 में वितरण कंपनियों को देय कुल दायित्व	-1.95
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये (वित्तीय वर्ष 2017-18 से 10% की दर से घटाते हुए)	-2.15

7.2.1.4 अन्य विद्युत क्रय लागत

वर्ष 2017-18 एवं आगे क्रय लागत वर्ष 2016-17 की लागत को 10 % बढ़ाकर लिया गया है।

7.2.3 बैंकिंग के लिये चक्रण प्रभार :

26.73 करोड़ बैंकिंग प्रभार खुली पहुंच चार्जेस के शामिल किये गये हैं। वर्ष 2017-18 एवं आगे क्रय लागत वर्ष 2016-17 की लागत को 10 % प्रति वर्ष बढ़ाकर लिया गया है।

7.2.4 अन्तः राज्य पारेषण प्रभार :

यह प्रभार इस स्टेटमेन्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता में जुड़ा हुआ रहता है।

7.2.5 विद्युत क्रय व्यवस्था प्रभार :-

आर ई ए / एस ई ए के अनुसार सीधे रूप से क्रय की गई विद्युत के अलावा जैसे कि बैंकिंग आफ एनर्जी, ओपन एक्सेस चार्जेज बैंकिंग में ट्रेडिंग मार्जिन, अल्पकालीन विद्युत क्रय को इसमें शामिल किया गया है।

मांग और आपूर्ति में अन्तर को प्रतिदिन के आधार पर लघु अवधि ऊर्जा क्रय से प्रबंधन किया जाता है और अधिक ऊर्जा की स्थिति में इसे विक्रय किया जाता है। इसलिए राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए लघु अवधि का ऊर्जा विक्रय एवं लघु अवधि का ऊर्जा क्रय महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। इसी प्रकार राज्य में मानसून के मौसम तथा रबी अवधि में ऊर्जा की अस्थिर मांग को पूरा करने के लिए एम.पी.पी.एम.सी.एल. द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न संस्थाओं से ऊर्जा बैंकिंग की व्यवस्था की जाती है। ऊर्जा की बैंकिंग बिना राशि के लेन-देन की व्यवस्था है जिसमें बैंकिंग व्यवस्था के भागीदारों के मध्य ऊर्जा यूनिटों का आदान-प्रदान बिना किसी वित्तीय लेन-देन के होता है। यद्यपि कुछ क्रियात्मक व्यय जैसे ट्रेडिंग मार्जिन, ओपन एक्सेस प्रभार, आर.एल.डी.सी. / एस.एल.डी.सी. अनुमति प्रभार होते हैं। ऊर्जा की बैंकिंग के लिए लगने वाले प्रभार आगामी वर्ष में ऊर्जा वापिस करने की कुल देयता की काल्पनिक लागत दर्शाते हैं और यह संबंधित वित्तीय वर्ष की औसत विद्युत क्रय लागत पर आधारित होता है।

ऊर्जा की व्यवस्था तथा ऊर्जा को डिस्पोज हेतु, ऐसी सभी सूक्ष्म अवधि के लिये व्यवस्था में ओपन एक्सेस प्रभार वितरण बिंदु तक की लागत को देना होता है।

ऊपर वर्णित सभी लागतें आइटम् क्रमांक 5 के शीर्ष “अन्य स्रोतों से विद्युत की खरीद तथा अन्तर राज्यीय पारेषण लागतें” के प्रपत्र एस-1 में सम्मिलित की गयी हैं, जो कि यहां दर्शित सभी नगों के बारे में म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रासंगिक प्रदर्शित टीप में निहित है।

7.2.6 अवमूल्यन

अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार है :-

तालिका 51: अवमूल्यन

विवरण	वि.व.17	वि.व.18	वि.व. 19
स्थायी सम्पत्तियां			
(i) मूर्त सम्पत्तियां			
सकल खंड	89.99	102.65	104.65
अवमूल्यन *	3.26	4.26	5.26
(ii) अमूर्त सम्पत्तियां			
सकल खंड	2.15	22.05	22.05
अवमूल्यन **	0.32	1.81	3.31
कुल अवमूल्यन (i + ii)	3.58	6.07	8.56

*वि.व.2017-18 में मूर्त संपत्ति के मामले में ईआरपी हार्डवेयर के खाते में रु. 10.66 करोड़ अतिरिक्त लिये गये हैं।
इसके अलावा वि.व. 2017-18 व उसके बाद के लिए rupay 2 crore मूल हास 10 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

विवरण	वि.व.17	वि.व.18	वि.व. 19
।			
** वि.व. 2017-18 में अमूर्त संपत्ति के मामले में ईआरपी विस्तार के खाते में 19.90 करोड़ रु. अतिरिक्त लिये गये हैं। वि.व. 2018-19 और उसके बाद के लिये कोई अतिरिक्त राशि नहीं मानी गयी है।			

7.2.7 विद्युत क्रय के लिए ब्याज और वित्त प्रभार :-

विद्यमान विद्युत क्रय अनुबंधों के अनुसार विद्युत विक्रेताओं को लेटर आफ क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा का विस्तार करने के विरुद्ध बैंक द्वारा एल सी एवं अन्य बैंक प्रभार वसूल किया जाते हैं जिसे फार्म एस-1 में ऋण एवं वित्तीय प्रभार में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त विद्युत क्रय देयकों में किश्तों की सुविधा के लिए वित्तीय लागतें, विद्युत दरों में परिवर्तन के स्वरूप लगने वाला ब्याज, बैंक प्रभार, गारंटी प्रभार, प्रतिबद्धता प्रभार, स्टाम्प शुल्क, प्रसंस्करण प्रभार इत्यादि को भी वित्तीय एवं बैंकिंग प्रभार में शामिल किया गया है। वर्ष 2015-16 लिए इनकी राशि रूपये 61.67 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में एन एच डी सी को रूपये 45.14 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 और आगे के लिये वित्तीय अनुबंध के अनुसार एन एच डी सी को ब्याज के रूप में देय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 रु. 32.72 करोड़

वित्तीय वर्ष 2018-19 रु. 18.97 करोड़

वर्ष 2016-17 के लिए अन्य ब्याज एवं वित्तीय प्रभार (एन.एच.डी.सी. के ब्याज के अलावा) रु. 16.53 करोड़ (61.67 करोड़ - 45.14 करोड़) है। वर्ष 2017-18 एवं आगे ब्याज एवं वित्तीय प्रभार वर्ष 2016-17 के प्रभार को 10 % प्रति वर्ष बढ़ाकर लिया गया है।

7.2.8 मरम्मत एवं रखरखाव

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मरम्मत एवं रख-रखाव का व्यय रु. 2.08 करोड़ लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 और आगे के वर्षों हेतु इसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के खर्चों से 10.00 % बढ़ाकर लिया गया है।

7.2.9 कर्मचारी खर्चः

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कर्मचारी लागत 60.05 करोड़ है। वर्ष 2017-18 हेतु सातवां वेतन आयोग लागू होने के कारण कर्मचारी व्यय वर्ष 2016-17 के व्ययों को 15 % बढ़ाकर लिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी व्यय 3 प्रतिशत बढ़ाकर लिया गया है।

7.2.10 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

इस व्यय में विद्युत विक्रय के व्यय शामिल हैं अर्थात् जैसा कि तीसरे पक्ष को लघु अवधि विद्युत का विक्रय करने पर म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं.लि द्वारा :-

- (i) अनुबंध के अनुसार प्रदाय करने के बिन्दु पर ओपन एक्सेस चार्ज
- (ii) पी.पी.ए. अनुसार शीघ्र भुगतान पर खरीदी में छूट

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कुल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय रूपये 34.55 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और आगे के लिये प्रशासनिक व्यय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्यय से 10.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि से लिया गया है।

A8: विद्युत वितरण कम्पनियों का संचालन एवं संधारण व्यय:-

विनियम के प्रावधानों पर आधारित संचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार है:

8.1 कर्मचारी लागत

विनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी लगतों की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 52: कर्मचारी लागत (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
कर्मचारी लागत एरियर ,महंगाई भत्ता, अनुषंगी लाभ एवं अन्य हित लाभ एवं एरियर को छोड़कर	385	396	1,049	359	370	979	403	415	1,100
महंगाई भत्ता	505	550	94	471	514	88	529	577	99
अवकाश नगदीकरण	(0)	(0)	(0)	51	55	59	39	41	44
कंपनी का एन.पी.एस.अंश	0	0	0	5	5	2	8	9	10
पीएफ एवं /सीएफए जीटीआईएस// //एन्यूटी	75	80	85	6	6	7	7	7	8
प्रोत्साहन राशि	-	-	-	0	0	0	5	5	6
सातवां वेतन का एरियर्स	-	-	35	-	-	32	-	-	34
पूंजीकृत खर्च	31	-	-	(30)	-	-	27		
योग	934	1,026	1,263	922	951	1,167	964	1,055	1,301

तीनों वितरण कंपनी की कर्मचारी लागत की गणना में मुख्य मान्यताएँ निम्नानुसार हैं:-

- (अ) एरियर्स को छोड़कर कर्मचारी लागत, महंगाई भत्ता, अनुषंगी लाभ एवं प्रोत्साहन की गणना म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के रेग्यूलेशन में दी गई मूल वेतन को 2.57 से गुणा कर वित्तीय वर्ष 2019 हेतु सातवें वेतन आयोग के प्रभाव की गणना की गयी है।

महंगाई भत्ते की गणना वर्ष 2017-18 के लिए 6 वेतन आयोग के आधार पर की गयी है तथा वर्ष 2018-19 हेतु सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना के आधार पर अर्द्धवार्षिकी महंगाई भत्ते तीनों वितरण कंपनियों हेतु गणना में शामिल किया गया है। (प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह में) उपरोक्त के आधार पर मूल वेतन का महंगाई भत्ते की गणना निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 53: मान्य महंगाई भत्ता (%)

विवरण (As per 6 th Pay)	FY '17	FY '18	FY '19
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून	125%	136%	

महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही जुलाई से दिसम्बर	132%	139%	
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च	136%	142%	
विवरण (As per 7th Pay)	FY '17	FY '18	FY '19
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून		4%	7%
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही जुलाई से दिसम्बर	2%	5%	9%
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च	4%	7%	11%

(अ) सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के पश्चात वितरण कंपनीवार महंगाई भत्ता लिया गया है। सातवें वेतन आयोग के प्रभाव महंगाई भत्ते की गणना तीनों वितरण कंपनियों द्वारा कुल 494 करोड़ की गई है। कुल एरियर्स को आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 से अगले पांच वर्षों तक समान रूप से विभाजित किया गया है। परिणाम स्वरूप 99 करोड़ प्रति वर्ष एरियर्स का प्रभाव लिया गया है।

(ब) कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन / बोनस राशि पिछले अंकेक्षित खातों की प्रवृत्ति के अनुरूप माने गये हैं।

(स) .अवकाश नगदीकरण एवं पी.एफ./सी.एफ.ए/जी.टी.आई.एस./ एन.पी.एस.

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि म.प्र. पौरेषण कं.लि. द्वारा केवल वितरण कंपनियों को अनुषंगी लाभ जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन एवं कम्युटेशन पेंशन के लिए ही धन उपलब्ध करा रही है।

- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य हित लाभों का भुगतान , वितरण कंपनियों द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि अवकाश नगदीकरण / पी.एफ. / सी.एफ.ए. / जी.टी.आई.एस. / एन.पी.एस.अतः अवकाश नगदीकरण / पी.एफ. / सी.एफ.ए . / जी.टी.आई.एस. / एन.पी.एस पर होने वाले खर्चे को अलग से लिया गया है , सेवांत लाभों की लागतों का, जैसा कि वे वितरण कंपनियों की कुल ऊर्जा क्रय लागतों के अन्तर राज्यीय पारेषण लागतों के रूप में दावा की गई है, के अतिरिक्त पृथक से दावा किया गया है।

(द) तृतीय उच्च वेतनमान की पात्रता से कर्मचारी लागत की बढ़ोतरी इस अवस्था में नहीं मानी जा सकती। अतः इस व्यय को याचिका में शामिल नहीं किया गया है। तथापि इसे पृथक से टु-अप पिटीशन में लिया जाएगा।

8.2 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

विनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 54: प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विनियम के अनुसार (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामक आयोग की फीस एवं टैक्स को छोड़कर)	168	179	192	96	103	110	129	138	147
राज्य शासन को देय कर	4	4	4	-	-	-	14	15	16
नियामक आयोग की फीस	0.52	0.36	0.41	0.58	0.33	0.39	0.64	0.45	0.50
योग	172	184	197	97	103	110	144	154	164

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना हेतु मुख्य अनुमान निम्नानुसार है :-

- अ - विनियम की कंडिका 34.1 के अनुसार प्रशासनिक एवं अन्य व्यय में नियामक आयोग की फीस एवं शासन का शुल्क शामिल नहीं किया गया है।
- ब - उपरोक्त के अनुसार नियामक आयोग की फीस एवं सरकार को देय अन्य शुल्कों को विनियम के अनुसार अलग से लिया गया है।

8.3 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

विनियम 2015 के 34.6 (a) के प्रावधानों के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 55: मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, रेग्युलेशन के अनुसार (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
वित्तीय वर्ष की प्रारम्भिक सकल स्थाई परिस्थितियां	4,143	4,856	5,594	5,915	6,634	7,372	5,494	5,912	6,374
सकल स्थाई परिस्थितियों का 2.3 प्र.श. मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	95	112	129	136	153	170	126	136	147

8.4 संचालन एवं संधारण व्ययों का सारांश

विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार संचालन एवं संधारण की गणना का सारांश निम्नानुसार है:-

तालिका 56: संचालन एवं संधारण के व्ययों का सारांश विनियमन के अनुसार निम्नानुसार है :-

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
कर्मचारी लागत (एरियर्स, डी.ए. एवं अन्य को जोड़कर)	934	1,026	1,263	922	951	1,167	964	1,055	1,301
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	172	184	197	97	103	110	144	154	164
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	95	112	129	136	153	170	126	136	147
योग संचा-संधा व्यय	1,201	1,322	1,589	1,154	1,207	1,447	1,234	1,345	1,611

A9: वितरण कम्पनियों की निवेश योजना

9.1 पूंजी निवेश योजना

प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए, सभी तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां, आगामी वर्षों में, विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने जा रही हैं। इसमें मुख्यतः नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण, अधिक भार वाले 33 के.व्ही. फीडरों का विभक्तिकरण तथा 11 के.व्ही.स्तर पर कृषि फीडरों का फीडर विभक्तिकरण, अतिरिक्त / नये पावर ट्रांसफार्मर तथा वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, निम्नदाब खुले तार लाइनों का ए-बी केबल्स में परिवर्तन एवं सर्विस लाइनों के प्रतिस्थापन पर ध्यान केन्द्रित है।

प्रणाली में कुल वितरण हानि, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का योग है। तकनीकी हानियां मुख्य रूप से प्रणाली की मांग के अपेक्षा अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण होती है जिसके सुदृढ़ीकरण, लाईनों, उपकेन्द्रों एवं संबद्ध अधोसंरचना के नवीनीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता रहती है। वाणिज्यिक हानियां मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्राचल जैसे विद्युत की छुटपुट चोरी, प्रणाली में प्रमुखता से बंद एवं खराब मीटरों का होना, अपर्याप्त मीटर वाचन तंत्र का होना इत्यादि के कारण होती है, जिसे वितरण प्रणाली की पुनःअभियांत्रिकरण के द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता है जिसके लिए पूंजी निवेश एवं स्पष्ट प्रयासों की आवश्यकता है इन दोनों मुद्दों पर वितरण कंपनियां नियमित रूप से कार्य कर रही हैं जिससे वितरण हानियों में विगत वर्षों में उल्लेखनीय कमी भी आई है परन्तु यह वितरण हानियां में यह कमी मानक हानि स्तर, जो कि ज्यादा ही सख्त है, तक नहीं आ पाई है।

वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 के लिये योजनावार पूंजीगत व्यय निम्न तालिका में प्रस्तुत है :-

तालिका 57: योजनावार पूंजीगत व्यय (रु. करोड़ में)

योजना का नाम	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी			
उप पारेषण एवं वितरण [एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)]	92	155	225
फीडर (संभारक) विभक्तिकरण योजना	138	190	250
नवीन कृषि पंप	0	0	0
33 / 11KV उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं डीटीआर मीटरीकरण	0	20	20
आरएपीडीआरपी	0	0	20
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY)	92	125	220
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	138	190	180
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) फेस-2	0	0	0
इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हल्पमेंट स्कीम (IPDS)	129	178	252
अस्थाई संयोजन से स्थाई संयोजन में परिवर्तन (TC to PC)	332	422	568
विफलता के विरुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की खरीदी	0	0	0

योजना का नाम	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
स्मार्ट मीटरों की खरीदी	0	0	0
शेष शहरी घरेलू संयोजन (147509 no) जो कहीं लिये नहीं गये हैं	0	0	0
योग	921	1,280	1,735
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी			
प्रणाली सुदृढिकरण	-	-	-
फीडर (संभारक) विभक्तिकरण योजना	99	209	53
नवीन कृषि पंप	99	288	312
एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक (एडीबी)-II	-	5	-
एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक (एडीबी)-III	-	-	-
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY)	199	182	213
आरएपीडीआरपी भाग-1 (RAPDRP-1)	-	-	-
आरएपीडीआरपी भाग-2 (RAPDRP-2)	-	4	-
हुड्को (HUDCO)	-	-	-
इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम (IPDS)	149	184	67
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	199	463	175
उप पारेषण एवं वितरण [एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)]	50	143	138
33 / 11KV उप-केन्द्रों और डीटीआर मीटरिंग (नई योजना) के नवीनीकरण ईएपी के रूप में पेश किया जाना है)	99	99	109
विफलता के विरुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉसफार्मरों की खरीदी	50	66	86
स्मार्ट मीटरों की खरीदी	50	21	23
योग	995	1,666	1,176
पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी			
एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक (एडीबी)	61	70	30
टीएसपी एवं एससीएसपी (TSP and SCSP)	77	79	122
मध्य प्रदेश शासन की योजना	92	105	162
एफएसपी – एडीबी ऋण	-	-	-
अनुदान योजना (शासन का अंशदान)	-	-	-
नवीन कृषि पंप	-	-	-
मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप संयोजन योजना	268	1,031	833
अस्थाई संयोजन से स्थाई संयोजन में परिवर्तन (शासन का अंशदान)	-	-	-
ट्रॉसफार्मर विफलता में कमी लाने की योजना	23	36	53
स्मार्ट मीटरों की खरीदी	15	28	61
आरएपीडीआरपी (भारत शासन)	-	-	-
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी)	-	-	-
अन्य (नये ईएपी)	-	-	-
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY)	77	161	117

योजना का नाम	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम (IPDS)	100	123	175
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY)	54	189	277
केंद्र सरकार सहायता (एफएस)	-	-	-
आरईसी (विभागीय कार्य)	-	-	-
नेपा लिमिटेड, नेपानगर के लिए इंड्रिय	-	-	-
योग	766	1,822	1,830

9.2 योजनावार पूंजीकरण

विद्युत वितरण कंपनियों के प्रस्तावित योजनावार पूंजीकरण निम्नानुसार है :-

तालिका 58: योजनावार पूंजीकरण (रु करोड़)

योजना का नाम	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी			
उप पारेषण एवं वितरण [एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)]	71	85	88
फीडर (संभारक) विभक्तिकरण योजना	128	124	129
नवीन कृषि पंप	-	-	-
33 / 11KV उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं डीटीआर मीटरीकरण	36	27	28
आरएपीडीआरपी	21	16	16
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY)	86	101	105
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY)	128	128	133
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) फेस-2	-	-	-
इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम (IPDS)	100	124	129
अस्थाई संयोजन से स्थाई संयोजन में परिवर्तन (TC to PC)	143	132	137
विफलता के विरुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन ट्राँसफार्मरों की खरीदी	-	-	-
स्मार्ट मीटरों की खरीदी	-	-	-
शेष शहरी घरेलू संयोजन (147509 no) जो कहीं लिये नहीं गये हैं	-	-	-
Total	713	738	764
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी			
प्रणाली सुदृढिकरण	108	111	114
फीडर (संभारक) विभक्तिकरण योजना	72	74	76
नवीन कृषि पंप (मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप संयोजन योजना)	108	111	114
एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक (एडीबी)-II	-	-	-
एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक (एडीबी)-III	-	-	-
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY)	86	88	91
आरएपीडीआरपी भाग-अ (RAPDRP-1)	-	-	-
आरएपीडीआरपी भाग-ब (RAPDRP-2)	-	-	-

योजना का नाम	वि.वर्ष-17	वि.वर्ष-18	वि.वर्ष-19
हुड्को (HUDCO)	-	-	-
इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम (IPDS)	72	74	76
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY)	144	147	151
अन्य	-	-	-
उप पारेषण एवं वितरण [एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)]	65	66	68
33 / 11KV उप-केन्द्रों और डीटीआर मीटरिंग (नई योजना) के नवीनीकरण ईएपी के रूप में पेश किया जाना है)	29	29	30
विफलता के विरुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉफार्मरों की खरीदी	29	29	30
स्मार्ट मीटरों की खरीदी	7	7	8
Total	719	737	757
पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी			
एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक (एडीबी)	13	14	14
टीएसपी एवं एससीएसपी (TSP and SCSP)	18	18	19
मध्य प्रदेश शासन की योजना	22	23	24
एफएसपी – एडीबी ऋण	-	-	-
अनुदान योजना (शासन का अंशदान)	-	-	-
नवीन कृषि पंप	-	-	-
मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप संयोजन योजना (शासकीय अंशदान)	233	240	245
अस्थाई संयोजन से स्थाई संयोजन में परिवर्तन (शासन का अंशदान)	-	-	-
ट्रॉफार्मर विफलता में कमी लाने की योजना	4	5	5
स्मार्ट मीटरों की खरीदी	9	9	9
आरएपीडीआरपी (भारत शासन)	-	-	-
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी)	-	-	-
अन्य (नये ईएपी)	-	-	-
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGVVY)	40	42	42
इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम (IPDS)	36	37	38
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY)	72	74	76
केंद्र सरकार सहायता (एफएस)	-	-	-
आरईसी (विभागीय कार्य)	-	-	-
नेपा लिमिटेड, नेपालगढ़ के लिए इक्विटी	-	-	-
पूंजीगत कार्य प्रगति में के आरंभ का पूंजीकरण	-	-	-
योग	449	462	472

9.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्लू आई पी)

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का पूंजीगत कार्य प्रगति पर का वर्षवार विभक्तिकरण निम्नानुसार दर्शाया गया है।

तालिका 59: वितरण कंपनीवार पूंजीगत कार्य प्रगति पर (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष- 18	वि.वर्ष- 19	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष- 18	वि.वर्ष- 19	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष- 18	वि.वर्ष- 19
पूंजीगत कार्य प्रगति पर का प्रारम्भिक शेष	1,249	1,457	1,999	322	597	1,525	2,035	2,353	3,713
वर्ष के दौरान नवीन निवेश	921	1,280	1,735	995	1,666	1,176	766	1,822	1,830
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	713	738	764	719	737	757	449	462	472
पूंजीगत कार्य प्रगति पर का अंतिम शेष	1,457	1,999	2,970	597	1,525	1,944	2,353	3,713	5,072

9.4 स्थाई परिसम्पत्तियों का संयोजन

वर्षवार स्थाई परिसम्पत्तियों का संयोजन निम्नानुसार है:-

तालिका 60: स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन (रु करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष- 18	वि.वर्ष- 19	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष- 18	वि.वर्ष- 19	वि.वर्ष- 17	वि.वर्ष- 18	वि.वर्ष- 19
भूमि एवं भूमि अधिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भवन	1	1	1	2	2	2	1	1	2
दृव्य संबंधी चलित कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य सिविल कार्य	1	1	1	0	0	0	1	1	1
संयंत्र एवं मशीनरी	254	267	275	128	134	137	146	157	161
लाइन, केबिल, नेटवर्क	387	398	414	264	269	282	169	173	176
वाहन	2	2	2	0	0	0	1	1	1
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	0	0	0	0	0	0	1	1	1
कार्यालय उपकरण	68	69	71	14	14	14	7	7	7
RGGVY	0	0	0	262	267	270	112	111	113
अमूर्त संपत्तियाँ							9	9	10
पर्यावरण अस्तियाँ				32	33	33			
पूंजिगत भंडार एवं कलपुर्जे				18	18	18			
योग	713	738	764	719	737	757	449	462	472

याचिकाकर्ता एतद द्वारा माननीय आयोग से प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्तानुसार दर्शाये गये पूंजीगत खर्चे एवं स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन को अनुज्ञेय करें।

A10: विद्युत वितरण कंपनियों के - अन्य आय / व्यय

10.1 मूल्यहास

टैरिफ विनियमन, 2015 धारा 32 के अनुसार, आयोग द्वारा अनुसार पूँजीगत लागत के मूल्य आधार पर मूल्यहास की गणना की जानी चाहिए। परिसंपत्तियों के बचत मूल्य को पूँजीगत लागत और मूल्यहास के 10% के रूप में माना जाना चाहिए। परिसंपत्ति की पूँजीगत लागत का अधिकतम 90% तक की अनुमति होगी। लागू मानदंडों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने टैरिफ विनियमन, 2015 के अनुलग्नक -2 में माननीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट दरों के आधार पर विस्तृत मूल्यहास मॉडल तैयार किया है।

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वित्त वर्ष के दौरान मूल्यहास नीचे दिखाया गया है:

तालिका 61: विनियम के अनुसार अवमूल्यन (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19
लीज की भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भवन	2	2	2	2	2	2	3	3	3
दृव्य संबंधी चलित कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य सिविल कार्य	0	0	0	95	48	72	0	0	0
संयंत्र एवं मशीनरी	139	98	99	0	0	0	78	94	99
लाइन, केबिल, नेटवर्क	135	193	197	118	120	126	92	105	110
वाहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कार्यालय उपकरण	14	5	5	8	8	8	7	3	3
आरजीजीव्हीव्हाय	0	0	0	20	19	19	44	30	30
अमूर्त संपत्तियां							5	3	3
पर्यवेक्षण संपत्तियां				12	12	12			
भंडार एवं औजार पूँजी				14	14	14	13	0	0
योग	291	298	303	271	223	254	242	238	247

10.2 ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

10.2.1 परियोजना ऋणों पर ब्याज

टैरिफ विनियम के अनुसार, 2015 की धारा 31 ब्याज की गणना और ऋण पूँजी पर वित्त प्रभार प्रदान करता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऋण की अदायगी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अनुमति के रूप में मूल्यहास के बराबर होना चाहिए। ब्याज दर, ब्याज दर की भारित औसत दर होगी, जो कि परियोजना के

लिए लागू प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर की जाएगी। परियोजना ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभारों को प्रदर्शित करने के लिए मानदंड आयोग द्वारा ब्याज और वित्त शुल्क के लिए परियोजना शुल्क पर वित्त वर्ष 2017-18 में ऋण लेने के लिए अपनाया जाने वाला एक ही तरीका अपनाया गया है।

विवरण निम्नलिखित तालिका में विस्तारित किया गया है:

**तालिका 62: विनियमन के अनुसार परियोजना ऋण पर ब्याज- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी :-
(रु. करोड़)**

विवरण	वहुवर्षीय 2016-17 से 2018-19		
	2016-17	2017-18	2018-19
वि.वर्ष- 14			
1अप्रैल 2013 को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए टूअप आर्डर के अनुसार जी.एफ.ए के साथ ऋण	1,052	1,052	1,052
विशुद्ध जी.एफ के अलावा 70 प्रतिशत उपभोक्ता अंशदान के ऋण के माध्यम से वित्त पोषित माना जाता है	555	555	555
ऋण आदयगी)वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए टेरिफ आर्डर के अवमूल्यन के बराबर	157	157	157
31 मार्च 2014 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	1,450	1,450	1,450
वित्तीय वर्ष 15			
एक अप्रैल 2014 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	1,450	1,450	1,450
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	397	397	397
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	204	204	204
31 मार्च 2015 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	1,643	1,643	1,643
वित्तीय वर्ष 16			
एक अप्रैल 2015 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	1,643	1,643	1,643
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	62	62	62
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	265	265	265
31 मार्च 2016 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	1,440	1,440	1,440
वित्तीय वर्ष 17			
एक अप्रैल 2017 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	1,440	1,440	1,440
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	332	332	332
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	291	291	291
31 मार्च 2017 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	1,481	1,481	1,481
वित्तीय वर्ष 18			
एक अप्रैल 2017 में जी.एफ.ए के साथ ऋण		1,481	1,481
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%		411	411

विवरण	वहुवर्षीय 2016-17 से 2018-19		
	2016-17	2017-18	2018-19
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)		298	298
31 मार्च 2018 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण		1,594	1,594
वित्तीय वर्ष 19			-
एक अप्रैल 2018 में जी.एफ.ए के साथ ऋण			1,594
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%			424
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)			303
31 मार्च 2019 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण			1,714
लोन बैलेंस की औसत			
भारित औसत ब्याज दर (परियोजना ऋण पर ब्याज के अनुसार) (%)	1,460	1,537	1,654
ए-परियोजना और ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभार	8%	7%	7%
बी-वित्तपोषण की लागत	118	103	108
कुल	15	17	18
वि.वर्ष- 14	133	119	126

**तालिका 63: विनियमन के अनुसार परियोजना ऋण पर ब्याज- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी :-
(रु. करोड़)**

Particulars	MYT 2016-17 to 2018-19		
	2016-17	2017-18	2018-19
करोड़ रुपए में			
.1वर्ष के दौरान जीएफए में वृद्धि	719	737	757
.2वर्ष के दौरान उपभोक्ता योगदान	31	17	24
.3वर्ष के दौरान जीएफए का शुद्ध अतिरिक्त (2-1)	688	720	733
4. शुद्ध जीएफए के अलावा %30इक्विटी के माध्यम से वित्त (%30 * 3 = 4) पोषित माना जाता है	206	216	220
.5ऋण के माध्यम से वित्त पोषित वर्ष के दौरान शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त शेष राशि (4-3 = 5)	482	504	513
.6वर्ष के दौरान देय ऋण चुकौती (बराबर अवमूल्यन दावों के)	271	223	254
7. टैरिफ ऑर्डर के अनुसार जीएफए के साथ जुड़े ऋण, वित्त वर्ष मार्च 31) 15-14 को 1634.34 करोड़ रुपये 2014, + जीएफए में ऋण ऋण अदायगी के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था और अगले वर्ष के लिए अनुमानित वित्त वर्ष 13 के (14-गया टैरिफ आदेश में अपनाया	1,919	2,200	2,460
.8सभी ऋणों पर ब्याजकी भारित औसत दर %	11%	7%	7%
परियोजना ऋण पर (8 * 7 = 9) ब्याज ब्याज 9	210	164	180

Particulars	MYT 2016-17 to 2018-19		
.10वित्त प्रभार	18	20	22
कुल	228	183	202

तालिका 64: विनियमन के अनुसार परियोजना ऋण पर ब्याज- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी :-(रु. करोड़)

विवरण	वहवर्षीय 2016-17 से 2018-19		
	2016-17	2017-18	2018-19
FY 15			
वित्तीय वर्ष 15	685	685	685
एक अप्रैल 2014 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	222	222	222
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	191	191	191
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	716	716	716
31 मार्च 2015 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	-	-	-
वित्तीय वर्ष 16	716	716	716
एक अप्रैल 2015 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	103	103	103
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	220	220	220
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	599	599	599
31 मार्च 2016 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	-	-	-
वित्तीय वर्ष 17	599	599	599
एक अप्रैल 2017 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	240	240	240
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	243	243	243
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	596	596	596
31 मार्च 2017 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	-	-	-
वित्तीय वर्ष 18	-	596	596
एक अप्रैल 2017 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	-	150	150
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	-	238	238
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	-	509	509
31 मार्च 2018 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	-	-	-
वित्तीय वर्ष 19	-	-	509
एक अप्रैल 2018 में जी.एफ.ए के साथ ऋण	-	-	191
उपभोक्ता योगदान के ऋण नेट के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में शुद्ध जीएफए के अतिरिक्त 70%	-	-	247
ऋण आदयगी (अवमूल्यन के बराबर)	-	-	452
31 मार्च 2019 की स्थिति में जी.एफ.ए से जुड़े के कुल ऋण	-	-	-

विवरण	वदुवर्षीय 2016-17 से 2018-19		
	2016-17	2017-18	2018-19
लोन बैलेंस की औसत	598	552	480
भारित औसत ब्याज दर (परियोजना ऋण पर ब्याज के अनुसार) (%)	12%	6%	7%
ए-परियोजना और ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभार	69	36	33
बी-वित्तपोषण की लागत	8	9	10
कुल	78	44	43

10.2.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

टैरिफ विनियम 2015 की धारा-36 के अनुसार, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना की विधि प्रदान करता है, जिसमें कुल कार्यशील पूंजी में आपूर्ति गतिविधियों और व्हीलिंग गतिविधि के लिए कार्यशील पूंजी के प्रति व्यय शामिल होगा। व्हीलिंग और सप्लाई गतिविधि के लिए कार्यशील पूंजी की गणना के लिए मानदंडों को भी निर्दिष्ट किया गया है। कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर प्रासंगिक वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार स्टेट बैंक अग्रिम दर के बराबर होगी।

तालिका 65: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़) पूर्व क्षेत्र

Sl. No.	विवरण	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
I	चक्रण			
A	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6) चक्रण	7	8	9
B	संचालन एवं संधारण व्यय			
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	95	112	129
	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	172	184	197
	कर्मचारी व्यय	934	1026	1263
B(i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1201	1322	1589
B(ii)	योग का बारहवां (1/12)	100	110	132
C	प्राप्तियां			
C(i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	0	0	0
C(ii)	चक्रण प्रभारों दो माह की औसत विलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0	0	0
D	योग कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C ii)	107	118	141
E	ब्याज दर *	14.05%	13.85%	13.75%
F	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	15	16	13
II	खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु			
A	विवरण	0	0	0
B	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)			

Sl. No.	विवरण	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
B(i)	प्राप्तियां	9,908	9,142	10,765
B(ii)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	1,651	1,524	1,794
C	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	6,727	5,905	6,996
C(i)	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	561	492	583
D	विद्युत क्रय व्ययों का 12 वाँ भाग	646	508	532
E	उपभोक्ता प्रतिभूति निषेध	445	524	679
F	कुल कार्यकारी पूँजी (A+B ii) - C i) - D)	14.05%	13.85%	13.75%
G	ब्याज दर *	63	73	93
	कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	78	89	107

तालिका 66: कार्यशील पूँजी पर ब्याज (रु. करोड़) मध्यक्षेत्र

Sl. No.	Particulars	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
I	चक्रण			
A	A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6) चक्रण	7	8	9
B	B) संचालन एवं संधारण व्यय			
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	136	153	170
	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	97	103	110
	कर्मचारी व्यय	922	951	1,167
B(i)	i) संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,154	1,207	1,447
B(ii)	ii) योग का बारहवां (1/12)	96	101	121
C	C) प्राप्तियां			
C (i)	i) चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	4	0	1
C(ii)	ii) चक्रण प्रभारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	1	0	0
D	D) योग कुल कार्यकारी पूँजी (A+B ii) - C ii)	104	108	130
E	E) ब्याज दर *	14.05%	13.85%	13.75%
F	F) कार्यशील पूँजी पर ब्याज	15	15	18
II	खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु			
A	विवरण	2	2	2
B	A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)			
B(i)	B) प्राप्तियां	10,743	8,605	10,098
B(ii)	i) टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	1,791	1,434	1,683
C	ii) दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	7,480	5,520	6,483
C(i)	C) विद्युत क्रय संबंधी व्यय	623	460	540

Sl. No.	Particulars	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
D	i) विद्युत क्रय व्ययों का 12 वाँ भाग	774	850	926
E	D) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	395	126	219
F	E) कुल कार्यकारी पूँजी (A+B ii) - C i) - D)	14.05%	13.85%	13.75%
G	F) ब्याज दर *	56	17	30
III	G) कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	70	32	48

तालिका 67: कार्यशील पूँजी पर ब्याज (रु. करोड़) पश्चिम क्षेत्र

Sl. No.	Particulars	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
I	चक्रण			
A	A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6) चक्रण	7	8	8
B	B) संचालन एवं संधारण व्यय	-	-	-
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	126	136	147
	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	121	154	164
	कर्मचारी व्यय	964	1,055	1,301
B(i)	i) संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,211	1,345	1,611
B(ii)	ii) योग का बारहवां (1/12)	101	112	134
C	C) प्राप्तियां	-	-	-
C(i)	i) चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	3	1	1
C(ii)	ii) चक्रण प्रभारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	1	0	0
D	D) योग कुल कार्यकारी पूँजी (A+B ii) - C ii)	109	120	143
E	E) ब्याज दर *	14.05%	13.85%	13.75%
F	F) कार्यशील पूँजी पर ब्याज	15	17	20
II	खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु			
A	विवरण	2	2	2
B	A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)			
B(i)	B) प्राप्तियां	11,711	10,971	13,229
B(ii)	i) टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	1,952	1,829	2,205
C	ii) दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	8,259	7,531	9,270
C(i)	C) विद्युत क्रय संबंधी व्यय	688	628	773
D	i) विद्युत क्रय व्ययों का 12 वाँ भाग	915	1,016	1,117
	D) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	915	1,016	1,117
E	E) कुल कार्यकारी पूँजी (A+B ii) - C i) - D)	351	187	318

Sl. No.	Particulars	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
I	चक्रण			
F	F) ब्याज दर *	14.05%	13.85%	13.75%
G	G) कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	49	26	44
	योग चक्रण एवं खुदरा गतिविधियों से कार्यशील पूँजी पर कुल ब्याज			
1	सारांश	15	17	20
2	चक्रण हेतु	49	26	44
III	खुदरा विक्रिय हेतु	65	43	63

10.2.3 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान माननीय आयोग के प्रतिभूति निक्षेप के विनियमन के अनुसार ही किया जाता है। अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता जमा प्रतिभूति निक्षेप की गणना आर.बी.आई. के बैंक दर के अनुसार वर्तमान 6.25 प्रतिशत लिया है तथा इसके अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 18-19 हेतु गणना की गई है जो कि निम्न तालिका में दर्शित है :-

तालिका 68: विनियम के अनुसार वितरण कंपनी वार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (रु. करोड. में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	40	32	33	55	53	58	57	63	70

10.2.4 अंश पूँजी पर प्रतिलाभ

दर विनियम 2015 के खण्ड के कंडिका-36 के अनुसार दी गई गणना की पद्धति जिसमें की यह बताया गया है कि अंश पूँजी पर प्रतिलाभ की गणना 16 प्रतिशत प्री टैक्स के आधार पर करना है। इस याचिका में ऋण व वित्तीय प्रभार के अनुच्छेद में पूर्ण संपत्ति से संबंधित देड और एक्वटि की पहचान हेतु प्रक्रिया को बतलाता है। इस प्रक्रिया से यह निकलकर आता है कि वित्त वर्ष 2018-19 के आखरी तक कुल जी.एफ.ए. में एक्वटि की पहचानी गई। अंश पूँजी पर प्रतिलाभ की गणना दिये गये दर, चिन्हित कुल एक्वटि जो कि जी.एफ.ए. में आवंटित भाग का 16 प्रतिशत के अनुसार की गई है।

तालिका 69: विनियम के अनुसार पूर्व क्षेत्र के अंश पूंजी पर प्रतिलाभ (रु करोड़ में)

विवरण	एमवाईटी 2016-17 to 2018-19		
	वि.वर्ष 17	वि.वर्ष 18	वि.वर्ष 19
वि.वर्ष 2013-14			
1 अप्रैल 2013 को जी.एफ.ए. के साथ एक्टिव (वि.वर्ष 2012-13 के दू-अप आदेश के अनुसार)	930	930	930
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्विटी के माध्यम से फंड किया गया है।	142	142	142
31 मार्च 2014 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्टिव	1,072	1,072	1,072
वि.वर्ष 2014-15			
1 अप्रैल 2014 को जी.एफ.ए. के साथ एक्टिव	1,072	1,072	1,072
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्विटी के माध्यम से फंड किया गया है।	170	170	170
31 मार्च 2015 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्टिव	1,242	1,242	1,242
वि.वर्ष 2015-16			
1 अप्रैल 2015 को जी.एफ.ए. के साथ एक्टिव	1,242	1,242	1,242
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्विटी के माध्यम से फंड किया गया है।	26	26	26
31 मार्च 2016 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्टिव	1,268	1,268	1,268
वि.वर्ष 2016-17			
1 अप्रैल 2016 को जी.एफ.ए. के साथ एक्टिव	1,268	1,268	1,268
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्विटी के माध्यम से फंड किया गया है।	142	142	142
31 मार्च 2017 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्टिव	1,410	1,410	1,410
वि.वर्ष 2017-18			
1 अप्रैल 2017 को जी.एफ.ए. के साथ एक्टिव		1,410	1,410
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्विटी के माध्यम से फंड किया गया है।		176	176
31 मार्च 2018 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्टिव		1,587	1,587
वि.वर्ष 2018-19			
1 अप्रैल 2018 को जी.एफ.ए. के साथ एक्टिव			1,587
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्विटी के माध्यम से फंड किया गया है।			182
31 मार्च 2019 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्टिव			1,768
औसत एक्टिव	1,339	1,499	1,678
लौटाने की दर	16%	16%	16%
एक्टिव पर वापसी	214	240	279

तालिका 70: इक्किटी पर विनियमन के अनुसार वापसी मध्य क्षेत्र रिटर्न - (करोड़ रूपए)

Sl.No	विवरण	MYT 2016-17 to 2018-19		
		FY17	FY18	FY19
A	वर्ष की शुरुआत में सकल फिक्स्ड एसेट्स (उपभोक्ता योगदान का नेट)	5,915	6,634	7,372
A1	इक्किटी के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में जीएफए की शुरुआत राशि	1,386	1,602	1,823
A2	ऋण के माध्यम से वित्त पोषित के रूप में जीएफए की शुरुआत राशि	-1	-	5,160
B	निवेश योजना के अनुसार संपत्ति का प्रस्तावित पूँजीकरण (उपभोक्ता अंशदान का शुद्ध)	719	737	757
B1	पूँजीकृत परिसंपत्तियों का अनुपात इक्किटी, आंतरिक रिजर्व से बाहर निकलता है	860	597	366
B2	बैलेंस प्रॉपर्टी लोन से वित्त पोषित पूँजीकृत परिसंपत्तियों का अनुपात	-141	140	391
C1	सामान्य अतिरिक्त इक्किटी	216	221	227
C2	सामान्य अतिरिक्त ऋण	503	516	530
D1	मानक के अतिरिक्त अतिरिक्त इक्किटी का अतिरिक्त / कमी	645	376	139
D2	अतिरिक्त ऋण पर अतिरिक्त ऋण की अतिरिक्त / कमी	-645	-376	-139
E	वापसी के लिए योग्य इक्किटी, जो भी कम है	1,494	1,712	1,936
	इक्किटी पर वापसी (16%)	239	274	310

तालिका 71: इक्किटी पर विनियमन के अनुसार वापसी पश्चिम क्षेत्र - (करोड़ रूपए)

विवरण	वि.वर्ष17	वि.वर्ष 18	वि.वर्ष 19
वि.वर्ष 2014-15			
1 अप्रैल 2014 को जी.एफ.ए. के साथ एक्कटि	930	930	930
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्किटी के माध्यम से फंड किया गया है।	95	95	95
31 मार्च 2015 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्कटि	1,025	1,025	1,025
वि.वर्ष 2015-16	-	-	-
1 अप्रैल 2015 को जी.एफ.ए. के साथ एक्कटि	1,025	1,025	1,025
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्किटी के माध्यम से फंड किया गया है।	44	44	44
31 मार्च 2016 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्कटि	1,069	1,069	1,069
वि.वर्ष 2016-17	-	-	-
1 अप्रैल 2016 को जी.एफ.ए. के साथ एक्कटि	1,069	1,069	1,069
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इक्किटी के माध्यम से फंड किया गया है।	103	103	103
31 मार्च 2017 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्कटि	1,172	1,172	1,172
वि.वर्ष 2017-18	-	-	-
1 अप्रैल 2017 को जी.एफ.ए. के साथ एक्कटि	-	1,172	1,172

विवरण	वि.वर्ष 17	वि.वर्ष 18	वि.वर्ष 19
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इंक्रिटी के माध्यम से फंड किया गया है।	-	64	64
31 मार्च 2018 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्स्ट्राटि	-	1,236	1,236
वि.वर्ष 2018-19	-	-	-
1 अप्रैल 2018 को जी.एफ.ए. के साथ एक्स्ट्राटि	-	-	1,236
शुद्ध जीएफए में 30% अतिरिक्त को माना गया है जो कि आधे वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की नेट इंक्रिटी के माध्यम से फंड किया गया है।	-	-	82
31 मार्च 2019 तक जी.एफ.ए. के साथ जुड़ी हुई कुल एक्स्ट्राटि	-	-	1,318
औसत एक्स्ट्राटि	1,120	1,204	1,277
लौटाने की दर	16%	16%	16%
एक्स्ट्राटि पर वापसी	179	193	204

10.3 डूबंत एवं संदिग्ध ऋण

आयोग द्वारा जारी टैरिफ विनियम 2015 की धारा- 35 के अनुसार विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का एक प्रतिशत की सीमा तक डूबत एवं संदिग्ध ऋण की अनुमति दी गई है। विगत वर्षों के बहुवर्षीय दर विनियमों में भी यही प्रावधान था। जबकि आयोग को यह देखना होगा कि वितरण कंपनियों ने वास्तव में राजस्व के निर्धारित 1 प्रतिशत से अधिक राशि का डूबंत एवं संदिग्ध ऋण माफ किया है। वितरण कंपनियों द्वारा विगत वर्षों में वास्तविक माफ किये गये डूबंत ऋण को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों हेतु प्रक्षेपण किया है।

तालिका 72: विनियम के अनुसार डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	FY '17	FY '18	FY '19	FY '17	FY '18	FY '19	FY '17	FY '18	FY '19
डूबंत एवं संदिग्ध ऋण	74	88	103	73	85	97	103	115	126

10.4 अन्य आय एवं गैर टैरिफ आय

टैरिफ विनियम, 2015 के अनुसार गैर-टैरिफ आय के मुख्य घटक मीटर किराया, व्हीलिंग प्रभार, पर्यवेक्षण शुल्क, स्कैप की बिक्री और उपभोक्ताओं से विविध शुल्क MPERC के तहत विविध और सामान्य प्रभारों की अनुसूची के अनुसार है। लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी द्वारा टैरिफ निर्धारण और आवेदन करने के तरीके के लिए देय शुल्क) विनियम, 2004 और उसमें जारी संशोधनों। मीटर किराया और विविध शुल्क टैरिफ आय का प्रतिशत के रूप में अनुमानित किया गया है। याचिकाकर्ताओं वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 18-19 के लिए ने पिछले वित्तीय वर्षों (पश्चिम डिस्कॉम को छोड़कर) के दौरान प्राप्त औसत आय के आधार पर अनुमान लिया गया है जिसमें यह लाइन वार व्यय दृष्टिकोण पर आधारित माना गया है। (उदय के प्रभाव को छोड़कर), जैसा कि वित्त वर्ष 2016-17 में भारत-एएस के तहत तैयार किए गए अस्थायी खाते

सत्यापित किया जा सकता है, गैर-टैरिफ आय में विचार के रूप में उदय का असर वास्तव में वित्तीय आय / राजस्व का स्रोत नहीं है, लेकिन एक देनदारी के साथ एक समय पर लेखांकन समायोजन लिखना बंद है। टैरिफ विनियम, 2015 और अन्य लागू विनियमों के तहत निर्धारित विनियामक आवश्यकता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के अनुमान लगाए हैं।

अन्य आय एवं गैर टैरिफ आय को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

तालिका 73: अन्य आय (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	FY '17	FY '18	FY '19	FY '17	FY '18	FY '19	FY '17	FY '18	FY '19
निवेश से आय, स्थिर और कॉल जमा	11	12	13	40	42	44	31	27	27
ऋण पर ब्याज और स्टाफ के लिए अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों के लिए अग्रिम पर ब्याज	12	13	14	0	0	0	0	5	5
कर्मचारी कल्याण गतिविधियों के खिलाफ आय / शुल्क / संग्रह	0	0	0	0	0	0			
विविध प्राप्तियां	9	10	11	0	0	0	13	14	16
विविध शुल्क जैसे मीटर किराया आदि	44	48	53	42	47	51	62	68	75
डेफर्ड आय (उपभोक्ताओं का योगदान)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चक्रण प्रभार	0	0	0	4	0	1	3	1	1
विद्युत के अलावा ट्रेडिंग से आय (जैसे स्क्रेप, टेंडर, फार्म की विक्री)							10	10	10
पर्यवेक्षण शुल्क							14	16	18
चोरी से वसूली	7	8	9	0	0	0	0	0	0
अन्य	59	65	71	115	108	113			
योग	143	157	172	201	198	210	133	141	151

A11: वार्षिक राजस्व आवश्यकता

11.1 म.प्र. पावर मैनेजमेंट लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

निम्न दर्शाई गई तालिका में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण दिया गया है। कुल व्यय को विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत में शामिल किया गया है।

तालिका 74: एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड़ में)

विवरण	वि.व 17	वि.व 18	वि.व 19
अन्य श्रोतों से विजली क्रय	193	(2)	(2)
विजली की बैंकिंग हेतु चकरण प्रभात	27	29	32
मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति व्यय	4	6	9
ऋण एवं वित्तीय प्रभार	62	51	39
मरम्मत एवं रख-रखाव	2	2	3
कर्मचारी व्यय	60	69	71
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	35	38	42
अन्य व्यय	3	4	4
व्यय	385	198	197
अन्य व्यय से राजस्व	502	542	596
वर्ष के लिये लाभ/ (हानि)	(117)	(344)	(398)

11.2 विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

विनियम के प्रावधानों के आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता, बिजली की खरीद से राजस्व, राजस्व में कमी एवं अधिकता की गणना का सारांश, पारेषण कंपनी की टुअप वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं म.प्र. जेनको कंपनी की टुअप वित्तीय वर्ष 2015-16 से पड़ने वाले प्रभाव भी को सम्मिलित करते हुए निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 75: विनियम के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड़ में)

विवरण	यूनिट	वि.वर्ष 17				वि.वर्ष 18				वि.वर्ष 19			
		म.प्र.राज्य	पूर्व	मध्य	पश्चिम	म.प्र.राज्य	पूर्व	मध्य	पश्चिम	म.प्र.राज्य	पूर्व	मध्य	पश्चिम
राजस्व													
वर्तमान दर पर बिजली खरीद से राजस्व	रु. करोड़	24,990	7,397	7,325	10,268	28,808	8,842	8,478	11,488	32,704	10,326	9,739	12,639
व्यय													
बिजली का क्रय	रु. करोड़	22,465	6,727	7,480	8,259	18,956	5,905	5,520	7,531	22,749	6,996	6,483	9,270
एमपीएमसीएल की लागत	रु. करोड़	(117)	(35)	(39)	(43)	(344)	(107)	(100)	(137)	(398)	(127)	(118)	(154)
अन्तर्राजीय पारेषण प्रभार	रु. करोड़	1,411	422	468	521	1,813	565	529	719	2,237	716	663	858
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार एवं एसएलडीसी प्रभार	रु. करोड़	3,000	905	945	1,150	2,501	747	796	958	2,717	812	865	1,040
मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय	रु. करोड़	358	95	136	126	400	112	153	136	445	129	170	147
कर्मचारी व्यय सातवें वेतन आयोग एवं एरियर्स सहित	रु. करोड़	2,819	934	922	964	3,032	1,026	951	1,055	3,731	1,263	1,167	1,301
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	रु. करोड़	413	172	97	144	441	184	103	154	471	197	110	164
मूल्यहास एवं संबंधित डेविट	रु. करोड़	803	291	271	242	760	298	223	238	804	303	254	247
ऋण एवं वित्तीय प्रभार	रु. करोड़	803	251	353	199	659	240	269	150	750	266	308	176
अन्य डेविट, राइटआफ (पूर्व के वर्ष एवं बेड डेट)	रु. करोड़	250	74	73	103	288	88	85	115	327	103	97	126

विवरण	यूनिट	वि.वर्ष 17				वि.वर्ष 18				वि.वर्ष 19			
		म.प्र.राज्य	पूर्व	मध्य	पश्चिम	म.प्र.राज्य	पूर्व	मध्य	पश्चिम	म.प्र.राज्य	पूर्व	मध्य	पश्चिम
कुल व्यय	रु. करोड़	32,207	9,836	10,70 6	11,66 5	28,506	9,059	8,528	10,91 9	33,833	10,65 8	9,999	13,17 6
अंशदान पूंजी पर लाभ	रु. करोड़	633	214	239	179	706	240	274	193	793	279	310	204
कुल व्यय अंशदान पूंजी पर लाभ सहित	रु. करोड़	32,839	10,05 0	10,94 5	11,84 4	29,213	9,298	8,802	11,11 2	34,626	10,93 7	10,30 8	13,38 0
अन्य आय	रु. करोड़	477	143	201	133	495	157	198	141	534	172	210	151
कुल सकल राजस्व आवश्यकता	रु. करोड़	32,363	9,908	10,74 3	11,71 1	28,717	9,142	8,605	10,97 1	34,092	10,76 5	10,09 8	13,22 9
राजस्व में अन्तर	रु. करोड़	7,372	2,511	3,418	1,443	(91)	300	126	(517)	1,388	438	360	590
वि.वर्ष 2015-16 हेतु एमपी ट्रांसको के दूअप का प्रभाव	रु. करोड़									330	99	105	126
वि.वर्ष 2015-16 हेतु एमपी जेनको के दूअप का प्रभाव	रु. करोड़									(412)	(135)	(108)	(169)
कुल राजस्व में अन्तर(दू-अप सहित)	रु. करोड़									1,306	402	357	546
कुल सकल राजस्व आवश्यकता दू-अप सहित	रु. करोड़	32,363	9,908	10,74 3	11,71 1	28,717	9,142	8,605	10,97 1	34,010	10,72 9	10,09 6	13,18 5
विद्युत प्रदाय की औसत लागत(दू-अप के बिना)	रु. प्रति यूनिट	7.48	7.39	8.73	6.67	6.14	6.30	6.40	5.84	6.33	6.26	6.42	6.32
विद्युत प्रदाय की औसत लागत दू-अप सहित	रु. प्रति यूनिट	7.48	7.39	8.73	6.67	6.14	6.30	6.40	5.84	6.31	6.24	6.42	6.30

A12: वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दर प्रस्ताव

12.1 वर्तमान और प्रस्तावित टैरिफों पर राजस्व

12.1.1 माननीय नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में म.प्र. राज्य में विद्युत दरों में कोई भी प्रचुर वृद्धि न होने के कारण विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक प्रभावित हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 में, माननीय आयोग ने 9.83 प्रतिशत, 8.40 प्रतिशत एवं 9.48 प्रतिशत विद्युत दर वृद्धि अनुमोदित की थी तथापि बढ़ती महंगाई के दबाव से व्ययों में हो रही मूलभूत वृद्धियों, महत्वाकांक्षी मानक ऊर्जा हानियों का प्रक्षेपण, माननीय आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं राज्य तथा केन्द्रीय शासन की नीतिगत बाध्यताओं और पावर तथा ऊर्जा की मांग में हो रही संगत वृद्धियों के कारण वितरण कंपनियों को वर्तमान टैरिफ पर अपनी गतिविधियों को निरंतर रखना अत्यंत कठिन हो गया है।

12.1.2 मध्य प्रदेश राज्य की कुल स्थापित क्षमता 30 सितम्बर 2017 तक 18655 मे.वा. हो गई है, तथा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 24×7 ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टी से तथा मांग में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुये, राज्य ने पूर्व में ही अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई है। हालांकि, मांग में वृद्धि विभिन्न कारणोवश नहीं हो पाया है, जैसे की ओपन एक्सेस, रेल्वे अपने डीम्ड अनुज्ञासिधारी की स्थिति का इस्तेमाल किया है, औद्योगिक विकास की धीमी गति जिसका कारण सभी जानते हैं, आदि, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्य, (विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में) जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल हैं की अधिशेष क्षमता है, जो उपयोग नहीं हो पा रही है।

12.1.3 इस स्थिति के कारण, इसे उजागर करना आवश्यक है कि राज्य में मौजूदा उपलब्ध क्षमता के अनुसार ताप विद्युत गृहों से 80 प्रतिशत शेड्यूल होती है। आगे, एमपीपीएमसीएल माननीय आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट आर्डर डिस्पेच को मानता है। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अक्षय ऊर्जा, परमाणु तथा पनविजली का मुख्य हिस्से को मस्टरन का स्टेटस प्राप्त है, इसलिये ताप विद्युत गृहों का बैक डाउन करना पड़ता है। अधिशेष स्थिति के कारण उपलब्ध क्षमता को बैक डाउन करना पड़ा चूंकि एक्सचेंज के दाम भी आकर्षक नहीं है तथा अन्तर क्षेत्रीय पॉवर हस्तांतरण में क्षमता बाधा भी एक कारण है। हालांकि जनरेटरों से किये गये पी.पी.ए. के कारण नियत प्रभार का भुगतान करना पड़ता है। पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि भारी मात्रा में पॉवर को बैक डाउन करना पड़ा। तथा याचिकाकर्ताओं को इस पॉवर जिसे नहीं लिया गया के लिए जनरेटरों को

नियत लागत देना पड़ा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा जनरेटरों के साथ किये गये करार का सम्मान करना पड़ा। निरपेक्ष संख्या से देखें तो :-

- (1) वित्तीय वर्ष 2014-15 में 7099 मि.यू. की मात्रा का बैक डाऊन करना पड़ा जिसकी नियत लागत करीब रूपये 870 करोड़ है और
- (2) वित्तीय वर्ष 2015-16 में 17130 मि.यू. की मात्रा का बैक डाऊन करना पड़ा जिसकी नियत लागत रूपये 2158 करोड़ के करीब है, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में बढ़कर 28,379 मि.सू. की मात्रा का बैक डाऊन करना पड़ा जिसकी नियत लागत रूपये 3598 करोड़ के करीब है।

12.1.4 मौजूदा प्राप्ति औसत बिजली प्राप्ति की खरीद, लागत की तुलना में अल्पसंख्यक बिक्री कम होने से हुई है। इस अतिरिक्त बिजली से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत है। अतिरिक्त बिजली के प्रबंधन के लिए पहला कदम है, वितरण कंपनियों द्वारा डी.व्ही.सी. की 400 मेघावाट इकाई डी.व्ही.सी.(एमटीपीएस एवं सीटीपीएस) एवं 100 मेघावाट इकाई डीटीपीएस, 01 मार्च 2018 तथा 15 मई 2017 क्रमशः से पीपीए समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। आगे एनटीपीसी मौदा स्टेज 1, एटीपीएस चचाई - फेज 1 और फेज 2, एनटीपीसी कवास और एनटीपीसी गांधार में एम.पी. के शेयर को सरेंडर करने का प्रस्ताव चालू है। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका तथा जब तक इस क्षमता को किसी राज्य या (यूटीलिटी) को आवंटित नहीं होता तब तक मध्य प्रदेश राज्य को नियत लागत को बहन करना पड़ेगा। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लगभग 15 राज्यों ने भी ऊर्जा मंत्रालय से उपरोक्त उपकेन्द्रों से उनके हिस्से को निरस्त करने हेतु प्रार्थना की है।

12.1.5 इसके अलावा बिक्री आधार बढ़ाने हेतु तथा नये उपभोक्ताओं को अपने दायरे में लाने के लिए, केप्टिव तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से कई बार चर्चा हो चुकी है। बिजली की कीमत, दोनों निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टी से इस उद्योग की प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी केप्टिव तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि प्रतिस्पर्धा बनाये रखने में ऊर्जा वितरण कंपनी के अलावा अन्य स्त्रोतों से लेते हैं। यदि वितरण कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकें हैं, तो वे उनकी मांग वितरण कंपनियों की तरफ मुड़ सकती हैं। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक है कि बिक्री को भी बढ़ाया जाये। इसलिए मौजूदा याचिका में केप्टिव तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई छूट प्रस्तावित की गई हैं, जिससे उनकी मांग को वितरण कंपनी की ओर मोड़ा जा सके। एमपीपीएमसीएल कल्पना करता है कि अगर ये रियायतें दी जाये तो उनकी मांग वितरण कंपनियों की तरफ मुड़ने का आशय है। यहा यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि उपरोक्त आधार

में वृद्धि का असर पूरे वितरण कंपनियों के पूरे उपभोक्ता आधार पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि लागत विभाजित हो जाती है तथा वितरण कंपनियों का राजस्व बढ़ जाता है।

12.1.6 इसके अलावा वितरण कंपनियों में रेलवे को वापस लाने के लिए विचार विमर्श किया गया है। तदानुसार मौजूदा याचिका में रेलवे को छूट का प्रस्ताव किया गया है, अगर वे वितरण कंपनियों से विजली खुदरा रखते हैं तो।

12.1.7 उपरोक्त प्रस्तुति को देखते हुये, याचिकाकर्ता रेलवे, केस्टीव तथा ओपर एक्सेस उपभोक्ताओं को रियायत देने का प्रस्ताव करती है। यह माना जाता है कि, बिना बिक्री का बढ़ाये यह मुमकिन नहीं है कि वितरण कंपनियों द्वारा परिचालन व्यवहारिकता बनाये रखें तथा इस याचिका के माध्यम से उचित खुदरा दर मांगते हैं।

12.1.8 इसलिए अनुज्ञातीधारियों के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा दर में उपयुक्त मानक तक बढ़ोतरी की जाये, जैसा कि इस याचिका में प्रस्तुत है। माननीय आयोग को यह प्रस्तुत किया जाता है कि, याचिका कर्ताओं ने अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री आईईएक्स के प्रचलित दर पर करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान दर देश में चल रही मांग और आपूर्ति के परिदृश्य को प्रतिबिंबित करता है, हालांकि, अगर इन दरों में आगामी वर्षों में सुधार आता है तो, याचिकाकर्ता अवसर का लाभ उठाने के लिये बेहतर दरों में और वृद्धि की बिक्री से अतिरिक्त बिजली के बिक्री से अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिये करेगा। याचिकाकर्ता हमेंशा अपनी लागत को कम करने का प्रयास करते हैं कि जिससे वे अपने लाइसेंसी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर सके। वित्तीय वर्ष 2018 -19 हेतु प्रस्तावित टैरिफ याचिका में जो लागत दर्शाई गई है वहां पहले से ही नीचे की ओर है तथा मानक हानी के स्तर पर आधारित है जैसा कि माननीय आयोग की दर विनियम 2015 में निर्देशित है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि वास्तविक नुकसान का स्तर अपने वितरण नेटवर्क में अनुभव और बाहरी नेटवर्क वास्तविक लागत बहुत अधिक है।

12.1.9 उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के दृष्टिगत याचिकाकर्ता 3.99 प्रतशत की दर वृद्धि प्रस्तावित कर रहे हैं। वितरण कंपनियों के लिए इस याचिका के माध्यम से खुदरा वितरण दर हेतु चाही गयी आवश्यक वृद्धि के बिना अपनी क्रियात्मक व्यवहारिता बनाये रखना संभव नहीं हो सकेगा।

12.1.10 प्रस्तावित दर वृद्धि एवं अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का संक्षेप में विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 76: वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दर प्रस्ताव का सारांश :-

	विवरण	म.प्र.रा ज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
A	टू-अप को छोड़कर कुल सकल राजस्व आवश्यकता	34,092	10,765	10,098	13,229
B	टू-अप का प्रभाव	(82)	(36)	(3)	(44)

	विवरण	म.प्र.रा ज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
C=A+B	टु-अप को जोड़कर कुल सकल राजस्व आवश्यकता	34,010	10,729	10,096	13,185
D	मौजूदा दर से राजस्व	32,704	10,326	9,739	12,639
E=C-D	अन्तर की वसूली	1,306	402	357	546
F	औसत विद्युत दर	6.31	6.24	6.42	6.30
G	प्रस्तावित दर से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व	1,306	402	357	546
H=G+D	प्रस्तावित दर से प्राप्त कुल राजस्व	34,010	10,729	10,096	13,185
I=H-C	शेष राजस्व अन्तर	-	-	-	-

12.1.11 माननीय विद्युत नियामक आयोग से वितरण कंपनियों का अनुरोध है कि लागतों की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित विद्युत दरों को आगामी वर्ष में प्रदेश में लागू करने की अनुमति प्रदान करें।

विस्तृत श्रेणीवार विद्युत दरों का प्रस्ताव एवं दरों के शेड्यूल याचिका में प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्तावित टैरिफ के कारण राजस्व में श्रेणीवार असर निम्नांकित है :-

तालिका 77: वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित टैरिफ से वितरण कंपनियों की श्रेणीवार राजस्व

विक्रय की श्रेणी	मध्य प्रदेश राज्य		पूर्व क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		पश्चिम क्षेत्र	
	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व
निम्नदाब श्रेणी								
LV-1: घरेलू	8,782	8,985	3,239	3,311	2,914	2,984	2,629	2,691
LV-2: गैर - घरेलू	2,729	2,769	896	912	851	861	982	996
LV 3.1: सार्वजनिक जल प्रदाय एवं पथ प्रकाश	864	929	320	344	223	240	320	344
LV 4: निम्नदाब औद्योगिक	1,185	1,134	392	381	267	248	526	506
LV 5.1: कृषि	11,573	12,489	3,342	3,603	2,991	3,232	5,239	5,655
LV 5.3: कृषि संबंधित अन्य उपयोग	9	9	5	5	3	3	1	1
योग निम्नदाब	25,141	26,315	8,193	8,556	7,251	7,567	9,698	10,193
उच्चदाब श्रेणी								
HV1: रेल्वे कर्पण								
HV 2: कोयला खदान	22	22	11	11	11	11	-	-
HV 3.1: उच्चदाब औद्योगिक	370	379	351	358	20	21	-	-
HV 3.2: गैर औद्योगिक	4,663	4,724	1,223	1,244	1,676	1,699	1,763	1,780
HV 3.3.: शॉपिंग मॉल	913	919	219	220	358	360	336	339
HV 3.4: पॉवर इंटेसिव औद्योगिक	77	80	6	7	22	23	48	50
HV 4 मौसमी एवं गैर मौसमी	708	752	57	62	138	148	512	542
HV 5.1 : जल प्रदाय के कार्य	22	22	7	7	2	2	12	12
HV 5.2 : अन्य कृषि	453	453	68	68	149	149	236	236
HV 6: थोक रहवासी उपयोग	23	23	10	10	6	6	7	7
HV 7: आरईसी / स्टार्टअप / ग्रडि से जुड़े हुए उत्पादन केन्द्र	307	316	181	186	106	109	20	21
योग उच्चदाब	6	6	0	0	0	0	5	5

विक्रय की श्रेणी	मध्य प्रदेश राज्य		पूर्व क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		पश्चिम क्षेत्र	
	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व
योग (निम्नदाब एवं उच्चदाब)	7,563	7,695	2,134	2,173	2,488	2,529	2,942	2,993
निम्नदाब श्रेणी	32,704	34,010	10,326	10,729	9,739	10,096	12,639	13,185

12.2 दर प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं

अनुज्ञासिधारियों द्वारा निम्नदाव एवं उच्चदाव विद्युत दर में सामान्य नियम एवं शर्तों के तहत आवश्यक परिवर्तनों के साथ वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वित्तीय वर्ष 18-19 के खुदरा दर प्रस्ताव की अनुसूची याचिका के साथ संलग्न है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के भाग निम्न प्रकार है :-

12.2.1 एल.व्ही. 1 एवं एल.व्ही. 2 श्रेणी प्रीपेड संयोजन हेतु छूट में बढ़ोत्तरी

प्रस्तावित परिवर्तन का कारण: घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं में प्रीपेड संयोजनों को ढावा देने हेतु रियायत में 5 पैसे की वृद्धि का प्रस्ताव किया है प्रस्तावित छूट को 20 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे की गई है।

12.2.2 शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला (सम्बद्ध भार एक किलोवाट तक) हेतु नई श्रेणी एल.व्ही. 2.3 का प्रस्ताव :-

प्रस्तावित नई श्रेणी का कारण – शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला (सम्बद्ध भार एक किलोवाट तक) को नई श्रेणी एल.व्ही.2.3 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 600 रूपये प्रतिमाह प्रति संयोजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रूपये प्रति माह की दर से देय (फ्लेट रेट) होगें। ऐसी शालाओं को संयोजन देने पर हीटर एवं वेलिंग उपयोग आदि पूर्णतः मनाही होगी। ऐसा इसलिए प्रस्तावित है कि सभी ऐसी शालाओं का एक बिल जारी कर शिक्षा विभाग से फंड का आवंटन कराया जा सकेगा जिससे वितरण कंपनियों को राजस्व शीघ्र प्राप्त हो सकेगा।

12.2.3 एल.व्ही.1 के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- अस्थाई उपयोग हेतु अस्थाई तौर पर विधुत की आवश्यकता होने पर स्थाई मीटर घरेलू संयोजन से स्वीकृत भार के 10 प्रतिशत तक के प्रकाश के उपयोग हेतु तथा वेलिंग एवं ग्राइंडिंग के वास्तविक भार तक के ऊर्जा का उपयोग स्थाई कनेक्शन पर लगने वाली दर के समान होगा। यह प्रस्ताव यह ध्यान में रखते हुए किया गया है कि घरेलू संयोजन आमतौर पर 03 किलो वाट तक के सम्बद्ध भार के अन्तर्गत आता है जबकि वेलिंग एवं ग्राइंडिंग के कार्य हेतु भार 5 किलोवाट तक हो सकता है इसलिए इसको समायोजित करने के लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

12.2.4 एल.व्ही.4 श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट

प्रस्तावित छूट का कारण – एल.व्ही. 4 श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका संविदा मांग 25 एच.पी. तक है उन्हें ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित की गई है। यह छूट उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिनकी अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक नहीं होगी। यह इसलिए प्रस्तावित किया गया है जिससे की ऊर्जा की खपत को बढ़ावा मिल सके। यह इसलिए भी किया गया है कि संविदा मांग को वित्तीय वर्ष 2017-18 के टैरिफ आर्डर से पूर्व प्रकाशित टैरिफ आर्डर के बराबर लाया जा सके।

12.2.5 एल.व्ही. 4 श्रेणी हेतु न्यूनतम खपत

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण – यह प्रस्तावित किया गया है कि एल.व्ही. 4 श्रेणी के उपभोक्ताओं पर न्यूनतम खपत करने का कोई बंधन नहीं होगा। यह इसलिए किया गया है जिससे कि इस श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या को बढ़ाया जा सके तथा राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

12.2.6 वित्तीय वर्ष 2017-18 के टैरिफ आडर्स में दर्शाई गई श्रेणी एल.व्ही. 5.1 एवं 5.2 का विलय

प्रस्तावित विलय का कारण – दोनों उप श्रेणियों की दर संरचना एकसमान तथा दोनों श्रेणियों की दरों में बहुत कम अन्तर होने के कारण उनके विलय का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि दोनों श्रेणियां कृषि से संबंधित हैं इसलिए दर संरचना को आसान बनाने के लिए दोनों श्रेणियों की विलय करने का प्रस्ताव किया गया है।

12.2.7 एल.व्ही. 5.2 में मांग आधारित दर हेतु सम्बद्ध भार में वृद्धि

प्रस्ताव परिवर्तन का कारण :- यह प्रस्ताव किया गया है कि वित्तीय वर्ष के 18-2017^o टैरिफ आडर्स में दर्शाई गई एल.व्ही. 5.3 श्रेणी में सम्बद्ध भार 100 एच.पी. से बढ़ाकर 150 एच.पी. किया गया है। पूर्व के टैरिफ आदेश में दर्शाई गई एल.व्ही. 5.3 श्रेणी इस याचिका में एल.व्ही. 5.2 श्रेणी हो गई है चूंकि ऊपर दर्शाई एल.व्ही. 5.1 एवं 5.2 को विलय कर दिया गया है। याचिकाकर्ता यह प्रस्ताव इसलिए करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के टैरिफ आदेश के पृष्ठ क्रमांक 173 के बिन्दु क्रमांक 8 (ए) नियम व शर्तों में दर्शाई गई सीमा के समानान्तर हो सके।

12.2.8 एल.व्ही. 5.3 श्रेणी हेतु ऊर्जा लेखा एवं लेखांकन के आधार में परिवर्तन

प्रस्ताव परिवर्तन का कारण :- माननीय नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अपने टैरिफ आदेश में स्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु मानक यूनिटों में वृद्धि की गई थी जो कि 1200 यूनिट से बढ़कर 1500 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष की थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 8 घंटे बिजली प्रति दिन आपूर्ति ग्रुप में की जाती थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से फीडरों विभक्तीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप विभक्त संभारकों पर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति प्रति दिन 10 घंटे तथा मिश्रित संभारकों पर 24 घंटे आपूर्ति की गई है। इसके अलावा विभक्त संभारकों पर कई कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 20 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है।

पिछले चार वर्षों में राज्य में कृषि क्षेत्र में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 से 4 फसल उगाई जा रही है जो कि परम्परागत तौर पर दो फसल प्रति वर्ष थी। पानी की अधिक खपत वाली फसलें जैसे धान एवं हरा चना की फसलों में असाधारण वृद्धि होने के कारण, खरीफ फसल के क्षेत्र में भी लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तदानुसार सिंचाई पम्पों द्वारा बिजली की खपत में भी वृद्धि हुई है। इस कारण कुछ जिलों में कृषि भार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथा आगे भूमि जल स्तर में गिरावट के कारण संभाग जैसे कि मालवा में पम्पों की औसत खपत में वृद्धि हुई है जिसके कारण बिजली की खपत में वृद्धि हुई है। यह सभी कारण प्रायः अतिरिक्त खपत का कारण हैं इसलिए

अप्रैल से सितम्बर माह में पम्प संयोजनों की खपत मानक यूनिटों से अधिक हैं जिसके कारण वितरण एवं एटी एण्ड सी हानियों में वृद्धि का कारण है।

इस समस्या के निदान हेतु, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थाई कृषि पम्प संयोजनों हेतु मानक यूनिट क्रमशः 1500 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष तथा 1560 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1680 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष तथा 1740 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष का प्रस्ताव किया गया है। इन यूनिटों का माहवार वितरण का प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

समयावधि (माह)	सिंगल फेस / श्री फेस	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
		वर्तमान यूनिट प्रति अ.श. प्रति माह	प्रस्तावित यूनिट प्रति अ.श. प्रति माह	वर्तमान यूनिट प्रति अ.श. प्रति माह	प्रस्तावित यूनिट प्रति अ.श. प्रति माह
अपैल से सितम्बर	3 फेस	80	110	90	120
अक्टूबर से मार्च	3 फेस	170	170	170	170
अपैल से सितम्बर	1 फेस	90	110	90	120
अक्टूबर से मार्च	1 फेस	180	180	180	180

12.2.9 शहरी क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण – शहरी क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ता जो कि विभक्त कृषि संभारकों के अलावा अन्य संभारकों से जुड़े हुए हैं ऐसे कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग टेरिफ के अनुसार मीटर के माध्यम से होगी। मीटर रहित उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर लगने तक फ्लेट दर से बिलिंग होगी।

12.2.10 आनलाइन बिलों के भुगतान हेतु सभी निम्नदाव उपभोक्ताओं को छूट

इस छूट को लाने का कारण -:यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी निम्न दाव उपभोक्ताओं को उनके कुल बिल की राशि पर 0.5 प्रतिशत (अधिकतम 20/- रूपये तथा न्यूनतम 5/- रूपये) की छूट आनलाइन भुगतान के माध्यम जैसे पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, एम.पी. आनलाइन (केवल एम.पी. आनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम) , एसबीआई कलैक्ट (केवल उच्चदाव उपभोक्ताओं हेतु, स्मार्ट बिजली (मोबाइल एप) तथा अन्य ऐसे आनलाइन पेमेंट के माध्यम जो कि वितरण कंपनी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित से किये जाते हैं पर दी जायेगी। यह व्यवस्था आनलाइन / नगदीरहित लेन देन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित किया गया है जो कि डिजिटल इंडिया कैम्पिंग का भाग भी है।

12.2.11 मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो कि विकसित / अधिसूचित या अनुमोदित किये गये हेतु शहरी दर लगने बाबत।

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण : याचिकाकर्ता प्रस्तावित करते हैं कि औद्योगिक विकास केन्द्रों, औद्योगिक पार्क औद्योगिक समूह अथवा अन्य औद्योगिक क्षेत्र / टाउनशिप जो कि M0P0 शासन या उनकी अन्य एजेंसियों द्वारा विकसित / अधिसूचित / अनुमोदित क्षेत्रों में बसे हुए उपभोक्ताओं की

बिलिंग शहरी दर से की जावेगी । यह इस प्रस्ताव में बदलाव यह सोचकर किया गया है कि चूंकि उपरोक्त सभी संस्थानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है जो कि शहरी श्रेणी हेतु आदर्श परिदृश्य तथा इन्हें शहरी दर के हिसाब से बिलिंग की जानी चाहिये । (वित्त वर्ष 2017-18 के टैरिफ आदेश के पृष्ठ क्रमांक 175 का बिन्दु क्रमांक (एन) ।

12.2.12 नये रेल्वे ट्रैक्शन संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार में छूट :

इस छूट को लाने का कारण :- याचिकाकर्ताओं के लिए रेलवे एक सम्मानित उपभोक्ता हुआ करते थे, चूंकि रेलवे को डीम्ड वितरण अनुज्ञासिधारी का दर्जा मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपने आपूर्ति क्षेत्रों मैं रेलवे के जाने से हानी को देखा हैं । चूंकि रेलवे थोक् (बड़े उपभोक्ता) हैं तथा ऊर्जा का आहरण उच्चदाब स्तर पर करते हैं इसलिये रेलवे विद्युत वितरण कंपनियों के लिये मुख्य उपभोक्ता थे । रेलवे याचिकाकर्ताओं से सालाना लगभग 2300 मि.यू. की खपत करते थे तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा बिजली के बिक्री से कुल राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान (लगभग 700 करोड रूपये) करते थे । यह दुर्भाग्य है कि वर्तमान में रेलवे विद्युत वितरण कंपनियों के उपभोक्ता नहीं हैं, जिससे वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से रेलवे द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा पर छूट देने प्रस्ताव किया है -

- (अ) रेलवे को प्रोत्साहन देने के लिए एक आकर्षक टैरिफ सुनिश्चित करना ।
- (ब) अधिशेष बिजली की स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने तथा राज्य में बिजली की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए ।

राज्य में रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण को गति देने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा नये रेल्वे ट्रैक्शन संयोजनों को ऊर्जा प्रभार में 15 प्रतिशत की छूट उनकी संयोजन की दिनांक से 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी । यह छूट ऐसे नये संयोजनों पर लागू होगी जिनका अनुज्ञासिधारियों से ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया हो ।

12.2.13 1 एच.व्ही. 3.1 में नई उपभोक्ता श्रेणी का संयोजन

इस छूट को लाने का कारण : मध्यप्रदेश राज्य में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा को देखते हुए कई कोल्ड स्टोरेज ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं इसलिए कोल्ड स्टोरेज उद्योग हेतु बिलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इस श्रेणी में इस उद्योग को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है ।

12.2.14 एच.व्ही 3 श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को खपत वृद्धि पर ऊर्जा प्रभार में छूट

प्रस्तावित छूट का कारण : यह प्रस्तावित है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के समान्य माह की तुलना में मासिक खपत में वृद्धि पर HV 3 श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 60 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जायेगी ।

12.2.15 एच.व्ही 3 श्रेणी के के अन्तर्गत नवीन उच्चदाब नवीन संयोजन हेतु छूट

प्रस्तावित छूट का कारण :- यह प्रस्तावित है कि नवीन उच्च दाब उपभोक्ताओं को, की गयी खपत पर ऊर्जा प्रभार में 01 रूपये प्रति यूनिट की छूट दी जावेगी। यह छूट अनुबंध होने की तिथि से पाँच वर्ष तक मान्य रहेगी। ऐसे उपभोक्ता जिनके अनुबंध वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में हुये हों के लिये वर्ष 2021-22 तक मान्य होगी जबकि यह कनेक्शन न्यू प्रोजेक्ट के लिये दिये गये हों। विदामान्य कनेक्शन का मालिकाना हक बदने पर उसे नया कनेक्शन मानकार यह छूट लागू नहीं होगी।

यह लाभ राज्य के आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए प्रदान किया गया है तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिक विजली की खपत कम दाम पर करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

12.2.16 विद्यमान उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा संविदा मांग में वृद्धि पर छूट

प्रस्तावित छूट का कारण :- यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे उच्चदाब उपभोक्ता जिनके द्वारा 31 मार्च 2016 के पश्चात कम से कम 250 के.व्ही. ए. अथवा संविदा मांग का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, भार वृद्धि की गई है उन्हें भार वृद्धि के अनुपातिक माहवार खपत पर ऊर्जा प्रभार में 01 रूपये प्रति यूनिट की छूट लागू होगी बशर्ते यह बड़ी हुई संविदा मांग उस माह के दौरान बनी हुई रहे। उच्चदाब उपभोक्ताओं के द्वारा अधिक खपत को प्रोत्साहन देने हेतु यह योजना लागू की जा रही है। यह छूट इस टेरिफ आदेश की दिनांक से मान्य होगी।

12.2.17 कैप्टिव उपभोक्ताओं हेतु छूट :

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- याचिकाकर्ता प्रस्तावित करते हैं कि कैप्टिव उपभोक्ताओं को 02 रूपये प्रति यूनिट की छूट अनुज्ञासिधारी से अधिक की गई खपत पर लागू होगी बशर्ते उतनी ही यूनिट उपभोक्ता के द्वारा वर्तमान वर्ष में कैप्टिव पावर प्लांट से पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पाद की गई है।

याचिकाकर्ता को यह छूट कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कर रहे हैं जिससे कि वे याचिकाकर्ताओं से विजली की खपत को बढ़ायें। यह छूट इस लिए प्रस्तावित कर रहे हैं जिससे कि इन उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दर से विजली उपलब्ध हो सके तथा वितरण कंपनियों से आकर्षक दर पर ऊर्जा उपलब्ध हो सके जिससे कि वितरण की अधिक खपत को बढ़ावा मिल सके।

12.2.18 ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं एवं ग्रुप कैप्टिव उपभोक्ताओं हेतु छूट :

प्रस्तावित छूट का कारण :- वितरण अनुज्ञासीधारियों से विजली की खपत को बढ़ावा देने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन हेतु ओपन एक्सेस उपभोक्ता एवं ग्रुप कैप्टिव उपभोक्ताओं को 01 रूपये प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया है।

12.2.19 निम्न दाब औद्योगिक / गैर घरेलू संयोजन का उच्चदाब संयोजन में अनुरूप परिवर्तन

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- ऐसे विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता जो उच्चदाब एच.व्ही. 3.1/ एच.व्ही. 3.2 श्रेणी में वर्ष 2018-19 के दौरान परिवर्तित होते हैं तो उन्हें ऊर्जा प्रभार में 01 रूपये

प्रति यूनिट छूट दी जावेगी । यह छूट उच्चदाब अनुबंध लागू होने के पश्चात की गई खपत के लिए लागू होगी ।

12.2.20 एच.व्ही. 7 श्रेणी के नाम में परिवर्तन

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- याचिकाकर्ता एच.व्ही.7 श्रेणी के नाम को परिवर्तन कर “ग्रिड से जुड़े हुए जनरेटरों हेतु विद्युत की आवश्यकता” करना प्रस्तावित करते हैं । याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह दर सूची उन जनरेटरों पर लागू होगी जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं तथा ग्रिड से समकालीन अथवा ब्रेक डाउन अथवा स्टार्टअप अथवा रखरखाव हेतु विद्युत लेना चाहते हैं ।

12.2.21 उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं के हित हेतु उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय पर अधिक मांग हेतु नियत प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की गणना में परिवर्तन का प्रस्ताव करते हैं । यदि वास्तविक अभिलिखित मांग स्वीकृत मांग से अधिक हो तो, आधिक्य में दर्ज की गई मांग को अतिरिक्त मांग माना जायेगा । बिलिंग के उददेश्य से किसी माह में यदि कोई अतिरिक्त मांग हो तो उसे अस्थाई विद्युत दर के सामान्य नियत एवं ऊर्जा प्रभार का 1.5 गुणा की जगह 1.2 गुणा से बिलिंग की जावेगी ।

12.2.22 उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा आनलाइन बिल भुगतान हेतु छूट

प्रस्तावित छूट का कारण :- यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी उच्च दाब उपभोक्ताओं को उनके कुल बिल की राशि पर 0.5 प्रतिशत (अधिकतम 1000/- रूपये) की छूट आनलाइन भुगतान के माध्यम जैसे पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, एम.पी. आनलाइन (केवल एम.पी. आनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम) , एसबीआई कलैक्ट, स्मार्ट विजली (मोबाइल एप) तथा अन्य ऐसे आनलाइन पेमेंट के माध्यम जो कि वितरण कंपनी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित से किये जाते हैं पर दी जायेगी । यह व्यवस्था आनलान / नगदीरहित लेन देन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित किया गया है जो कि डिजिटल इंडिया कैम्पिंग का भाग भी है ।

A13: वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें

13.1 आयोग के निर्देश

माननीय विद्युत नियामक आयोग ने अपने टेरिफ आदेश एवं अपने पत्र क्रमांक एम.पी.ई.आर.सी./आर.ई./2013/2780 दिनांक 25.10.2013 के द्वारा म.प्र. की वितरण कंपनियों को वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें निकालने हेतु निर्देश दिया है। माननीय आयोग ने विद्युत वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें निकालने हेतु विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (अप्टेल) द्वारा अपील क्रमांक 103/2010 एवं आई.ए. क्रमांक 137 एवं 138/2010 में पारित निर्णय का संदर्भ दिया है।

जब तक 100 प्रतिशत डीटीआर मीटरीकरण नहीं हो जाता है तब तक 11 के.व्ही. एवं निम्नदाब हानियों की गणना करना अलग बहुत जटिल कार्य हैं हालांकि यह प्रस्तुत है कि विद्युत वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें निकालने हेतु विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (अप्टेल) द्वारा अपील क्रमांक 103/2010 एवं आई.ए. क्रमांक 137 एवं 138/2010 को कृपया जारी रखें।

अप्टेल के आदेश का सार निम्नानुसार विस्तृत रूप से है :-

Extract of APTEL's order

“32. Ideally, the network costs can be split into the partial costs of the different voltage level and the cost of supply at a particular voltage level is the cost at that voltage level and upstream network. However, in the absence of segregated network costs, it would be prudent to work out the voltage-wise cost of supply taking into account the distribution losses at different voltage levels as a first major step in the right direction. As power purchase cost is a major component of the tariff, apportioning the power purchase cost at different voltage levels taking into account the distribution losses at the relevant voltage level and the upstream system will facilitate determination of voltage wise cost of supply, though not very accurate, but a simple and practical method to reflect the actual cost of supply.

33. The technical distribution system losses in the distribution network can be assessed by carrying out system studies based on the available load data. Some difficulty might be faced in reflecting the entire distribution system at 11 KV and 0.4 KV due to vastness of data. This could be simplified by carrying out field studies with representative feeders of the various consumer mix prevailing in the distribution system. However, the actual distribution losses allowed in the ARR which include the commercial losses will be more than the technical losses determined by the system studies. Therefore, the difference between the losses allowed in the ARR and that determined by the system studies may have to be apportioned to different voltage levels in proportion to the annual gross energy consumption at the respective voltage level. The annual gross energy consumption at a voltage level will be the sum of energy consumption of all consumer categories connected at that voltage plus the technical distribution losses corresponding to that voltage level as worked out by system studies. In this manner, the total losses allowed in the ARR can be apportioned

to different voltage levels including the EHT consumers directly connected to the transmission system of GRIDCO.

The cost of supply of the appellant's category who are connected to the 220/132 KV voltage may have zero technical losses but will have a component of apportioned distribution losses due to difference between the loss level allowed in ARR (which includes commercial losses) and the technical losses determined by the system studies, which they have to bear as consumers of the distribution licensee.

34. Thus Power Purchase Cost which is the major component of tariff can be segregated for different voltage levels taking into account the transmission and distribution losses, both commercial and technical, for the relevant voltage level and upstream system. As segregated network costs are not available, all the other costs such as Return on Equity, Interest on Loan, depreciation, interest on working capital and O&M costs can be pooled and apportioned equitably, on pro-rata basis, to all the voltage levels including the appellant's category to determine the cost of supply. Segregating Power Purchase cost taking into account voltage-wise transmission and distribution losses will be a major step in the right direction for determining the actual cost of supply to various consumer categories. All consumer categories connected to the same voltage will have the same cost of supply. Further, refinements in formulation for cost of supply can be done gradually when more data is available."

सविनय सूचित किया जाता है कि प्रकरण में अप्टेल के उपरोक्त संदर्भित आदेश को प्रकरण में प्रतिवादियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, और प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तथापि माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार वितरण कंपनियां अप्टेल द्वारा बतायी गई रीति के अनुसार वोल्टेज के आधार पर विद्युत प्रदाय की लागत की गणना का विवरण प्रस्तुत कर रही हैं।

13.2 वोल्टेज-वार हानियां

माननीय आयोग ने टैरिफ विनियमन में वितरण लाइसेंस धारियों के मानक नुकसान को मानक तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के संबंध में वोल्टेज स्तरवार अलग नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को वोल्टेज स्तरवार तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में प्रामाणिक नुकसान को अलग करने में कठिनाई है।

वोल्टेज के लिहाज से नुकसान का निर्धारण करने हेतु तीनों वितरण कंपनियों के वितरण प्रणाली के विस्तृत तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी। वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागत की उदाहरणार्थ गणना हेतु, याचिकाकर्ताओं ने वोल्टेज स्तर के अनुसार हानियों को मान लिया है, परन्तु उसमें दिये गये आंकड़े सत्यापित नहीं हैं और इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

13.3 कार्यप्रणाली

वितरण कंपनियों द्वारा वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागत की गणना हेतु 3 श्रेणियों का प्रस्ताव किया गया है:-

- ✓ अति उच्चदाब प्रणाली (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. और 132 के.व्ही.)
- ✓ 33 के.व्ही. प्रणाली
- ✓ 11 के.व्ही. एवं निम्नदाब प्रणाली

वोल्टेज स्तरवार लागत के निर्धारण के लिए प्रस्तावित कार्यप्रणाली में निम्न चरणों को शामिल किया गया :-

- ✓ तीनों वोल्टेज स्तर के लिए वोल्टेज के अनुसार विक्री का निर्धारण।
- ✓ ऐतिहासिक संख्याओं के आधार पर वोल्टेज स्तर अनुसार हानियों का प्रक्षेपण। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हानि स्तर को अनुमानित आधार पर माना गया है और जिसके तकनीकी सत्यापन के लिये वितरण तंत्र के विस्तृत तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी। अन्तर्राज्यीय पी.जी.सी.आई.एल. और राज्य की भीतर एम.पी.पी.टी.सी.एल. की हानियों का आवंटन अति उच्चदाब प्रणाली (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. और 132 के.व्ही.) को किया गया है।
- ✓ यहां यह भी उल्लेखित है कि तीनों वितरण कंपनियों हेतु आवंटित अति उच्चदाब हानियों के प्रतिशत अलग-अलग हैं क्योंकि वास्तविकता में विभिन्न जनरेटिंग स्टेशन विभिन्न कंपनियों को सौंपे गये हैं और प्रत्येक अलग 132 के.व्ही. सब स्टेशन से ऊर्जा लेते हैं।
- ✓ विक्रय और हानियों के आधार पर वोल्टेज स्तरवार ऊर्जा के इनपुट का निर्धारण किया जाये। विक्रयों की संख्या को वर्तमान वोल्टेज स्तर के पारेषण एवं वितरण हानियों के साथ-साथ ही अगले वोल्टेज स्तर के प्रतिशत से बढ़ाया गया है।
- ✓ चूंकि 11 के.व्ही. एवं निम्नदाब प्रणाली हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक हानियों का विवरण अलग-अलग उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वोल्टेज स्तर हेतु 50 प्रतिशत हानि को पूर्ण रूप से तकनीकी और शेष 50 प्रतिशत हानि को व्यवसायिक हानि माना गया है, जिसे विभिन्न वोल्टेज स्तर में उनकी विक्री के अनुपात में भारित किया गया है।
- ✓ प्रत्येक वितरण कंपनी की कुल बिजली खरीद लागत को वोल्टेज स्तरवार ऊर्जा इनपुट के अनुसार तीनों वोल्टेज स्तरों में आवंटित किया गया है। वितरण कंपनी की अन्य सभी लागतें प्रत्येक वोल्टेज स्तर के लिए आवंटित विक्री के आधार पर की गई हैं।
- ✓ गैर टैरिफ आय को 11 के.व्ही. एवं निम्नदाब से तथा 33 के.व्ही. अति उच्चदाब स्तर पर प्राप्त राजस्व का हिस्सा माना गया है।
- ✓ कुल लागतों के योग (गैर टैरिफ आय को कम कर) को शुद्ध ऊर्जा इनपुट से भाग देने पर संबंधित वोल्टेज स्तर हेतु वोल्टेज स्तर के अनुसार ऊर्जा की लागत प्राप्त होती है।

13.4

गणना

म.प्र. राज्य के लिए वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतों की गणना को नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 78: म.प्र.राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना

क्र.	विवरण	यूनिट	सूत्र	अति उच्चदाब (400, 220 & 132 के.व्ही.) प्रणाली	33 के.व्ही. प्रणाली	11 के.व्ही. + निम्नदाब प्रणाली	कुल
	मध्य प्रदेश राज्य						
1	विक्रय	मि.यू.		3,117	6,543	44,198	53,858
2	हानि %	%		4.89%	5.91%	13.14%	20.15%
3	ऊर्जा इनपुट	मि.यू.		3,278	7,312	56,860	67,449
4	ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	4=3-1	160	768	12,662	
5	11 के.व्ही. व निम्नदाब की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.				6,331	
6	विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.		366	769	5,195	
7	नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	7=1+4+6	3,644	8,081	55,724	67,449
8	वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.		1,475	3,271	22,558	27,304
9	वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.		419	880	5,941	7,240
10	घटायें : अन्य आय— वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित	करोड रु.		31	65	438	534
11	कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	11=8+9-10	1,863	4,086	28,061	34,010
12	औसत सप्लाई लागत	रु. / यूनिट	12=11/1*10	5.98	6.24	6.35	6.31

तालिका 79: पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना

क्र.	विवरण	यूनिट	सूत्र	अति उच्चदाब (400, 220 & 132 के.व्ही.) प्रणाली	33 के.व्ही. प्रणाली	11 के.व्ही. + निम्नदाब प्रणाली	कुल
A	पूर्व क्षेत्र						
1	विक्रय	मि.यू.		1,172	1,372	14,656	17,199
2	हानि %	%		4.89%	6.62%	11.74%	19.93%
3	ऊर्जा इनपुट	मि.यू.		1,232	1,545	18,705	21,481
4	ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	4=3-1	60	173	4,049	
5	11 के.व्ही. व निम्नदाब की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.				2,024	
6	विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.		138	161	1,725	
7	नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	7=1+4+6	1,370	1,706	18,405	21,481
8	वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.		535	667	7,194	8,397
9	वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.		171	200	2,134	2,505
10	घटायें : अन्य आय- वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित	करोड रु.		12	14	147	172
11	कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	11=8+9-10	694	853	9,182	10,729
12	औसत सप्लाई लागत	रु. / यूनिट	12=11/1*10	5.93	6.22	6.26	6.24

तालिका 80: मध्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना

क्र.	विवरण	यूनिट	सूत्र	अति उच्चदाब (400, 220 & 132 के.व्ही.) प्रणाली	33 के.व्ही. प्रणाली	11 के.व्ही. + निम्नदाब प्रणाली	कुल
A	मध्य क्षेत्र						
1	विक्रय	मि.यू.		1,214	2,129	12,393	15,735
2	हानि %	%		4.89%	6.09%	14.80%	21.13%
3	ऊर्जा इनपुट	मि.यू.		1,276	2,383	16,292	19,952
4	ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	4=3-1	62	255	3,899	
5	11 के.व्ही. व निम्नदाब की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.				1,950	
6	विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.		150	264	1,536	
7	नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	7=1+4+6	1,427	2,647	15,878	19,952
8	वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.		564	1,047	6,281	7,892
9	वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.		186	326	1,901	2,414
10	घटायें : अन्य आय- वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित	करोड रु.		16	28	165	210
11	कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	11=8+9-10	734	1,345	8,016	10,096
12	औसत सप्लाई लागत	रु. / यूनिट	12=11/1*10	6.05	6.32	6.47	6.42

तालिका 81: मध्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सप्लाई दर की गणना

क्र.	विवरण	यूनिट	सूत्र	अति उच्चदाब (400, 220 & 132 के.व्ही.) प्रणाली	33 के.व्ही. प्रणाली	11 के.व्ही. + निम्नदाब प्रणाली	कुल
A	पश्चिम क्षेत्र						
1	विक्रय	मि.यू.		732	3,043	17,149	20,924
2	हानि %	%		4.88%	5.47%	12.74%	19.57%
3	ऊर्जा इनपुट	मि.यू.		770	3,384	21,863	26,016
4	ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी। हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	4=3-1	38	341	4,714	
5	11 के.व्ही. व निम्नदाब की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.				2,357	
6	विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.		82	343	1,932	
7	नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	7=1+4+6	852	3,727	21,437	26,016
8	वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.		361	1,578	9,077	11,015
9	वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.		81	338	1,903	2,322
10	घटायें : अन्य आय- वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित	करोड रु.		5	22	124	151
11	कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	11=8+9-10	437	1,893	10,855	13,185
12	औसत सप्लाई लागत	रु. / यूनिट	12=11/1*10	5.97	6.22	6.33	6.30

A14: क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना :-

14.1 क्रास सब्सिडी अधिभार:

टैरिफ नीति विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार का विनिश्चय करती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न केन्द्रों से सबसे सस्ती उपलब्ध विद्युत क्रय करने के लिए निर्धारित अनुसूची के लिए मेरिट आर्डर डिस्पेच को लागू किया गया है। जहां पर परिवर्तनीय लागत 260 पै. प्रति यूनिट (विक्रय मार्केट में उपलब्ध औसत दर) से अधिक है वहां याचिकाकर्ताओं ने यूनिट/ स्टेशन के बैक डाउन का भी विचार किया है, ताकि सस्ते ख्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं महंगे ख्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खरीद को टाला जा सके। इसका परिणामी लाभ कुछ उपकेन्द्रों के बैकडाउन के साथ ऊर्जा क्रय की लागत में कमी है जिसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि उपरोक्त लिखित क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना राष्ट्रीय टैरिफ पॉलिसी 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाये।

माननीय आयोग ने पूर्व वर्ष के ऊर्जा क्रय लागत के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औसत दर का निर्धारण किया है। ईंधन लागत में किसी परिवर्तन के प्रभाव को उपभोक्ता तक एफ.सी.ए. के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जो औसत टैरिफ में एफ.सी.ए. राशि के बराबर वृद्धि में परिलक्षित होगा। अतः यह उचित होगा कि किसी विशेष अवधि के भुगतान के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार को एफ.सी.ए. प्रभारों तक बढ़ा दिया जावे।

14.2 अतिरिक्त अधिभार

राष्ट्रीय दर नीति वर्ष 2016 ऐसे उपभोक्ताओं जिन्हें ओपन एक्सेस (खुली पहुँच) के माध्यम से विद्युत क्रय की अनुमति प्रदान की गई है पर अतिरिक्त अधिभार गणना की अनुमति प्रदान करती है।

याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि योग्य उपभोक्ताओं के द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय का विकल्प चयन करने की वजह से वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत चिन्ताजनक हो रही है। विगत कुछ वर्षों से ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की संख्या एवं उनके द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा की प्रमात्रा में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के ओपन एक्सेस में जाने के कारण विद्युत कंपनियों के पास अधिशेष ऊर्जा रहती है एवं जिसके लिए वितरण कंपनियों को अपने सर्व-जन विद्युत प्रदाय दायित्व का निर्वाहन करने के लिये नियत प्रभार के रूप में अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि अन्य राज्यों में भी उपभोक्ताओं के प्रवर्जन को देखते हुए ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित करने वालत संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा एवं प्रस्तुत आंकड़ों की जाँच के उपरान्त पृथक आदेश जारी किये गये हैं।

मप्रराविनिआ (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुँच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 की संबंधित कंडिका 13.1 के अलावा राष्ट्रीय दर नीति की कंडिका 5.8.3, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(4) में निहित प्रावधानों के प्रकाश में याचिकाकर्ताओं ने राज्य के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिये दर नीति 2016 में निहित क्रास सब्सिडी अधिभार के अतिरिक्त, माह सितम्बर 2016 से अगस्त 2017 तक विगत 12 माहों के नवीनतम ऑकड़ों के आधार पर, अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge) का निर्धारण किया है।

याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge) की गणना अभ्यर्पित ऊर्जा के भारित औसत मासिक नियत दर के को ध्यान में रखते हुये की है, जो की अभ्यर्पित ऊर्जा में जेनेरेटिंग स्टेशन के दैनिक भारित नियत दर के आधार पर है। याचिकाकर्ताओं द्वारा गणित किया गया अतिरिक्त प्रभार निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 82: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अतिरिक्त अधिभार

क्रमांक	माह	ऊर्जा पात्रता (करोड़ यूनिट)	अनुसूचित ऊर्जा (करोड़ यूनिट)	अभ्यर्पित ऊर्जा (करोड़ यूनिट)	प्रयुक्त प्रभावी नियत प्रभार	ओपन एक्सेस (खुली पहुँच) यूनिटें (करोड़ यूनिट)	ओपन एक्सेस की वजह से अभ्यर्पित छोड़ी गई ऊर्जा (करोड़ रुपये)
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=(7x6)
1	सितम्बर -16	760.66	510.62	250.03	1.04	8.80	9.13
2	अक्टूबर -16	833.57	548.67	284.90	1.01	8.36	8.44
3	नवम्बर -16	771.72	582.13	189.59	1.14	9.20	10.52
4	दिसम्बर -16	750.53	613.34	137.20	1.00	11.73	11.77
5	जनवरी -17	781.66	596.99	184.68	1.17	11.94	13.98
6	फरवरी -17	723.75	545.14	178.61	1.11	9.43	10.47
7	मार्च -17	763.48	567.14	196.33	0.75	6.02	4.52
8	अप्रैल -17	778.70	578.61	200.09	0.87	4.24	3.67
9	मई -17	603.91	603.91	0.00	0.99	9.08	9.03
10	जून -17	750.91	518.16	232.75	0.90	4.36	3.90
11	जुलाई -17	716.25	497.75	218.50	0.61	5.74	3.50
12	अगस्त -17	794.99	544.96	80.09	1.40	3.72	5.20
कुल योग		9030.13	6707.41	2152.77		92.64	94.13
ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार (रुपये प्रति यूनिट) = (8/7)							1.02

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ताओं ने रुपये 1.02 प्रति यूनिट की दर से ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के द्वारा ली जाने वाली ऊर्जा पर अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण आयोग द्वारा दर आदेश जारी करने अथवा उसकी प्रयोज्यता की दिनांक से किया है। अतिरिक्त अधिभार की विस्तरित गणना अन्य व्यौरों के साथ इस याचिका के परिशिष्ट के रूप में की जा रही है।

A15: सेवान्त प्रसुविधाओं (पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नगदीकरण) का प्रावधान

कर्मचारियों को देय सेवान्त प्रसुविधाओं की गणना 'म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (मंडल तथा उत्तराधिकारी ईकाइयों के कार्मिकों की पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2012 (जी 38 ऑफ 2012)" , जो मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 20 अप्रैल 2012 को प्रकाशित किया गया था। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (मंडल एवं उसकी उत्तरावर्ती कंपनियों के कार्मिकों को देय पेंशन एवं अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2012 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये वितरण कंपनियों के दावों का निष्पादन निर्धारित एकत्रुरी प्रतिवेदन एवं वास्तविक नगद बाह्य प्रवाह के अनुसार किया गया है।

एकत्रुरीयल मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार तीनों विद्युत कंपनियों के लिये 31 मार्च 2009 के दायित्व निर्धारित हुए हैं। इन दायित्वों के अतिरिक्त भविष्य के मूल्यांकन निम्न दर्शाये गए प्रतिशत अंशदान दर (मूल वेतन, ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के प्रतिशत के रूप में) के अनुसार किया जायेगा इन दायित्वों का निर्वाहन भविष्य की सेवाओं हेतु तीनों कंपनियां स्वयं करेंगी।

तालिका 83: एकत्रुरी के अनुसार भविष्य योगदान दायित्व की दर (%)

धारणा	पूर्व क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी-करण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी-करण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी-करण	योग
योगदान दर	21.73%	4.95%	0.77%	27.45%	20.15%	4.56%	0.54%	25.52%	20.28%	4.67%	0.59%	25.54%
झूट दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

ऊपर निर्धारित पद्धति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देयता की गणना की गई है और यह देयता इस तरह के लाभ के लिए लाइसेंसी के सभी पात्र कर्मचारियों से संबंधित है। सेवान्त प्रसुविधा के प्रावधान की गणना नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 84: सेवान्त प्रसुविधाओं की गणना का प्रावधान (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				म.प्र. राज्य			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग
31.03.2016 की स्थिति में प्रावधान	1,401	282	66	1,749	965	204	68	1,238	1,213	199	71	1,483	3,579	685	205	4,470
छूट @7%	98	20	5	122	68	14	5	87	85	14	5	104	251	48	14	313
वर्तमान सेवा लागत	193	44	7	244	189	44	5	238	167	38	4	210	550	125	17	692
वि.व 2017 के लिये कुल प्रावधान	292	64	11	367	257	58	10	325	252	52	9	313	800	173	31	1,005
31.03.2017 की स्थिति में प्रावधान	1,693	346	77	2,116	1,222	262	78	1,562	1,465	251	80	1,796	4,380	859	236	5,475
छूट @7%	118	24	5	148	86	18	5	109	103	18	6	126	307	60	17	383
वर्तमान सेवा लागत	206	47	7	260	201	46	6	253	178	40	5	223	585	133	18	736
वि.व 2018 के लिये कुल प्रावधान	324	71	13	408	287	65	11	363	281	58	10	349	892	194	34	1,120
31.03.2018 की स्थिति में प्रावधान	2,017	417	90	2,524	1,509	327	90	1,925	1,746	309	91	2,145	5,271	1,052	271	6,594
छूट @7%	141	29	6	177	106	23	6	135	122	22	6	150	369	74	19	462
वर्तमान सेवा लागत	248	57	9	314	243	56	7	306	215	49	6	269	707	161	22	889
वि.व 2019 के लिये कुल प्रावधान	390	86	15	490	349	79	13	441	337	70	12	420	1,076	235	41	1,351

वितरण कंपनियों को सेवान्त लाभ के उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट में वार्षिक योगदान करना अनिवार्य किया गया है। वि.व 2017 तक रुपये 4,470 करोड़ की राशि संचित होने की संभावना है। हालांकि वितरण कंपनियां इतनी राशि ट्रस्ट में जमा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि माननीय आयोग ने ट्रस्ट के लिए किसी भी राशि की अनुमति नहीं दी है। नीचे दी गई तालिका से कंपनी की वार्षिक खातों में इस देयता के विरुद्ध वि.व. 2009-10 से वि.व. 2016-17 के लिए किए गए वास्तविक प्रावधानों तथा वि.व. 2017-18 से वि.व. 2018-19 के लिए अनुमानित प्रावधानों को दर्शाया गया है:-

तालिका 85: वितरण कंपनियों के लिए सेवान्त प्रसुविधा दायित्व के प्रावधान (रु करोड़ में)

वित्त वर्ष	पूर्व क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				म.प्र. राज्य			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल देयता	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल देयता	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल देयता	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल देयता
एकत्री द्वारा निर्धारित पूर्व के सेवा काल की देयता (1.6.2005 से 31.3.2009)	362	58	21	441	326	53	21	400	349	52	20	421	1,037	163	62	1,262
2009-10	101	21	4	126	103	17	7	127	102	23	3	128	306	61	14	381
2010-11	119	25	5	149	80	13	5	98	74	17	2	93	273	55	12	340
2011-12	139	30	6	175	78	13	5	96	79	18	2	99	296	61	13	370
2012-13	157	34	6	197	90	15	6	111	83	20	10	113	330	69	22	421
2013-14	185	40	7	232	170	26	11	207	90	23	12	126	445	89	30	565
2014-15	205	44	8	257	190	39	7	236	94	25	11	130	489	108	26	623
2015-16	133	30	9	172	176	23	9	208	96	25	7	128	405	78	25	508
कुल 2017 तक	1,401	282	66	1,749	1,213	199	71	1,483	965	204	68	1,238	3,579	685	205	4,470
2016-17	292	64	11	367	257	58	10	325	252	52	9	313	800	173	31	1,005
2017-18	324	71	13	408	287	65	11	363	281	58	10	349	892	194	34	1,120
2018-19	390	86	15	490	349	79	13	441	337	70	12	420	1,076	235	41	1,351
कुल 2019 तक	2,406	503	105	2,668	1,857	406	103	1,937	2,083	379	103	2,347	6,347	1,287	311	6,952

A16: विद्युत क्रय लागत समायोजन (पीपीसीए) (PPCA)

माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 17 के टैरिफ आदेश केवल उत्पादन केन्द्रों के लिए ईंधन के लागत जैसे कि कोयला, तेल एवं गैस रूपी ईंधन की लागत में वृद्धि अथवा कम के कारण अनियंत्रित लागतों की वसूली / समायोजन के लिए ईंधन प्रभार समायोजन का एक विशेष सूत्र दिया गया है।

माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 18 के दर आदेश में केवल उत्पादन केन्द्रों के लिये कोयला, तेल तथा गैस के प्रकरण में ईंधन की लागत में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के कारण अनियंत्रित लागतों की वसूली/समायोजन हेतु ईंधन प्रभार समायोजन का सूत्र विनिर्दिष्ट किया है।

याचिकाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की याचिका में यह भी प्रस्तुत किया था कि तत्समय विद्यमान ऊर्जा क्रय लागत समायोजन गणना प्रक्रिया से विद्युत क्रय लागत में वृद्धि की वसूली नहीं होती जिसमें टैरिफ आदेश में चिन्हित विद्युत प्रदाय ख्रोतों से विद्युत प्रदाय में कम के कारण वितरण अनुज्ञसिधारी को मांग की पूर्ति हेतु विद्युत बाजार तथा अन्य ख्रोतों से उच्च दरों पर विद्युत क्रय करना भी सम्मिलित है।

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में निहित उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञसिधारी को विद्युत प्रदाय के दायित्व के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की विद्युत मांग को पूरा करना होता है। इसलिए विद्युत क्रय की प्रमात्रा को मानक हानि स्तर के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा पद्धति के किसी भी संचालन स्थिति में, विद्युत प्रदाय एवं ऊर्जा की प्रमात्रा अनियंत्रित परिवर्तनीय चर है। दरों के निर्धारण के उद्देश्य से प्रति यूनिट औसत् विद्युत क्रय लागत को विवेकपूर्ण सुविचारित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि मानक हानियों के आधार पर ऊर्जा प्रमात्रा की प्रति यूनिट लागत पर आधारित औसत क्रय ऊर्जा लागत को उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए और उससे अधिक की कोई भी लागत अनुज्ञसिधारी द्वारा वहन किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऊर्जा क्रय लागत के पूर्ण नियत प्रभार घटक को उपभोक्ता तक विधिसंगत लागत पर पहुंचाया जाना चाहिए। इस कार्यप्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं तथा अनुज्ञसिधारी के मध्य उचित संतुलन बनाया जा सकेगा, क्योंकि यह सकल औसत पद्धति पर आधारित है, ताकि वार्षिक चक्रण में सभी कारकों का असर सम्मिलित हो सके तथा एक समान वितरित हो सके।

तथापि आयोग द्वारा इसका विश्लेषण कर निम्नांकित सूत्र दिया गया है।

$$FCA \text{ for billing quarter } \left(\frac{p}{u} \right) = \frac{IVC \text{ (Rs. in Cr.)} \times 1000}{\text{Normative Sale (MUs)}}$$

जहाँ ,

IVC = [(अ) प्रत्येक गैस अथवा कोयला आधारित जेनरेटर द्वारा बिल की गई वास्तविक प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत एवं दर आदेश में अनुज्ञेय परिवर्तनीय लागत में अंतर, गुणित (ब) पूर्ववर्ती तिमाही में प्रत्येक जेनरेटर से उपयोग की गई यूनिट] का योग। विद्युत क्रय की

परिवर्तनीय लागत में वृद्धि की गणना के उद्देश्य से हाईड्ल जेनरेटिंग स्टेशन की परिवर्तनीय लागतों को मान्य नहीं किया जायेगा।

पूर्ववर्ती तिमाही (Preceding quarter)= बिलिंग तिमाही के ठीक पूर्ववर्ती दो माहों को छोड़कर पूर्ववर्ती तीन माहों की अवधि।

बिलिंग तिमाही (Billing quarter)= तीन माह की अवधि जिसके लिये एफसीए बिल किया जाना है एवं 1 अप्रैल से आरम्भ होकर 30 जून के अंत तक की तिमाही एवं और इसी तरह तिमाही के प्रथम दिवस से अंतिम दिवस तक बिल किया जावेगा।

मानक विक्रय (Normative Sales): पूर्ववर्ती तिमाही में सभी स्रोतों (जेनरेटर + अन्य स्रोत) से कुल एक्स-बस आहरण से मानक पीजीसीआईएल, पारेषण एवं वितरण हानि कम करते हुए दर आदेश में निहित पूर्ववर्ती तिमाही के लिये निकाला गया विक्रय

तथापि याचिकाकर्ता अनुभव करते हैं कि केवल परिवर्तनीय लागतों के स्थान पर औसत विद्युत विक्रय लागत पर विचार किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त प्रावधान की लकीर में वितरण अनुज्ञाप्तिअधारी ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) हेतु माननीय आयोग के कृपा पूर्ण विचारण के लिए निम्नांकित सूत्र पुनः प्रस्तुत करते हैं।

$$PPCA \text{ for billing quarter } \left(\frac{p}{u} \right) = \frac{APPC \text{ (Rs. in Cr.)} \times 1000}{\text{Normative Sale (MUs)}}$$

जहाँ,

“APPC” का अभिप्राय औसत विद्युत क्रय लागत है जो कि [(अ) प्रत्येक जेनरेटर/स्रोत द्वारा बिल की गई प्रति यूनिट औसत लागत एवं दर आदेश में अनुज्ञेय प्रति यूनिट औसत लागत में अंतर, गुणित (ब) पूर्ववर्ती तिमाही में प्रत्येक जेनरेटर से उपयोग की गई यूनिट] का योग।

“पूर्ववर्ती तिमाही (Preceding quarter)” का अभिप्राय बिलिंग तिमाही के ठीक पूर्ववर्ती दो माहों को छोड़कर पूर्ववर्ती तीन माहों की अवधि है।

“बिलिंग तिमाही (Billing quarter)” का अभिप्राय तीन माह की अवधि जिसके लिये एफसीए बिल किया जाना है एवं 1 अप्रैल से आरम्भ होकर 30 जून के अंत तक की तिमाही एवं और इसी तरह तिमाही के प्रथम दिवस से अंतिम दिवस तक बिल किया जावेगा।

“मानक विक्रय (Normative Sales)”: पूर्ववर्ती तिमाही में सभी स्रोतों (जेनरेटर + अन्य स्रोत) से कुल एक्स-बस आहरण से मानक पीजीसीआईएल, पारेषण एवं वितरण हानि कम करते हुए दर आदेश में निहित पूर्ववर्ती तिमाही के लिये निकाला गया विक्रय

ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) प्रभार निकटतम अंक में पूर्णांकित पैसा प्रति यूनिट (केडब्लूएच) रहेगा स्वरूप में रहेगा। इस उद्देश्य के लिए 0.5 से नीचे के अंक की उपेक्षा की जाएगी एवं 0.5 के ऊपर को अगले उच्च अंक तक बढ़ाया जायेगा। इस प्रभार को, जैसा प्रकरण हो, प्रत्येक उपभोक्ता के विद्युत विलों में विद्यमान टैरिफ के अनुसार ऊर्जा प्रभारों में जोड़ा अथवा घटाया जायेगा और इसे ऊर्जा प्रभार का भाग माना जाएगा।

ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) प्रभार राज्य में विद्युत वितरण कम्पनी के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। यह प्रभार सभी श्रेणी के ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं पर भी समान रूप से उनके द्वारा वितरण कम्पनियों ली गई विद्युत प्रमाणा पर लागू होगा।

राष्ट्रीय दर नीति 2016 विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये क्रॉस सब्सिडी अधिभार निर्धारित करने का सूत्र निर्धारित विहित करती है।

“8.5 ओपेन एक्सेस (खुली पहुँच) के लिये क्रॉस सब्सिडी अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार अधिभार सूत्र:

$$S = T - [C / (1-L/100) + D + R]$$

जहाँ,

S अधिभार है

T नवकरणीय क्रय दायित्व परावर्तन को सम्मिलित कर, संबंधित श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा देय दर;

C नवकरणीय क्रय दायित्व का पूरा होने को सम्मिलित करते हुये, लाईसेंसी द्वारा क्रय विद्युत की भरित औसत लागत

D संबंधित वोल्टेज स्तर पर प्रायोज्य पारेषण, वितरण एवं चक्रण प्रभार का सकल

L संबंधित वोल्टेज स्तर पर प्रतिशत के रूप प्रदर्श प्रायोज्य पारेषण, वितरण एवं वाणिज्यिक हानियों का सकल

R नियामक अस्तियों को वहन करने की प्रति यूनिट लागत

चूंकि विद्युत क्रय लागत समायोजन प्रभार (PPCA) ऊर्जा प्रभार का भाग है एवं सभी उपभोक्ता श्रेणियों पर एक समान प्रायोज्य है, अतः औसत दर प्रायोज्य PPCA प्रभार के अनुसार परिवर्तित होगी। अतः प्रति यूनिट PPCA दर को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये क्रॉस सब्सिडी अधिभार निर्धारित किये जाने वाले सूत्र में “T” पद के अंतर्गत जोड़ना उपयुक्त होगा।

म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर एक नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनी है एवं वितरण कम्पनियों के द्वारा उनके एवज में उपभोक्ताओं को खुदरा प्रदाय के लिये विद्युत क्रय करने हेतु अधिकृत किया है। प्रत्येक तिमाही के लिये PPCA की दर की गणना का उत्तरदायित्व म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर का होगा।

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर जनरेटरों से प्राप्त बिलों के आधार पर पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान औसत विद्युत क्रय लागत में परिवर्तन की गणना करेगी। दर आदेश में आयोग द्वारा निर्णित रीति के अनुसार “पूर्ववर्ती तिमाही” के प्रत्येक माह एवं उसके उपरांत तिमाही हेतु संचित कर जानकारी तैयार की जावेगी।

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी “मानक विक्रय” की गणना करेगी। इस उद्देश्य के लिये पूर्ववर्ती तिमाही के माहों के लिये मानक पीजीसीआईएल, पारेषण और वितरण हानि (प्रतिशत/प्रमाणा), जैसा की टैरिफ आदेशों में निहित किया गया है, को पिछले तिमाही के दौरान आहरित कुल एक्स बस ऊर्जा से घटाकर मानक विक्रय निकाला जाएगा।

ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) प्रभार की गणना म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी, जबलपुर द्वारा आयोग के द्वारा सुझाये गये सूत्र के आधार पर की जा सकेगी। राज्य की वितरण कंपनियों को समय-समय पर सलाह दी जाएगी की बिलिंग तिमाही में बिलिंग उद्देश्यों के लिए ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) प्रभार को समाहित करें। यह अभ्यास बिलिंग तिमाही के प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिवस पूर्व पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. सभी गणना के प्रासंगिक तथा अन्य संबंधित विवरणों सहित ऐसे अभ्यास के 07 दिवस पूर्ण होने के अन्दर आयोग को प्रस्तुत करेगी।

यदि आयोग एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. द्वारा प्रस्तुत विवरण की समीक्षा करने के उपरान्त ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) प्रभार में किसी भी प्रकार की अधिक या कम वसूली पाता है तो आयोग म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी जबलपुर एवं राज्य की वितरण कंपनियों को ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (PPCA) प्रभार बिलिंग में, साथ ही उपभोक्ताओं के आगे आने वाले ऐसे समायोजन, जो भी यथोचित समझे, आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार को बिलिंग तिमाही के प्रथम दिन से वसूल करेगीं।

समझाने के उद्देश्य से निम्न उदाहरण दिया जा रहा है:-

यदि “जुलाई से सितम्बर” को “बिलिंग तिमाही” माना जाय तब “पूर्ववर्ती तिमाही” का मतलब “फरवरी से अप्रैल” की अवधि होगी एवं मई एवं जून माह का समय ऊर्जा क्रय लागत समायोजन भार को निश्चित किए जाने हेतु आंकड़े/विवरण एकत्रित किए जाने एवं अंतिम रूप दिये जाने हेतु दी गई अवधि है।

पी जी सी आई एल, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड प्रणाली एवं मानक वितरण हानियों के विवरण को आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में दिया जाएगा।

A17: दिशा-निर्देशों का अनुपालन

माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी खुदरा प्रदाय दर आदेश में आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया निम्नानुसार है:-

17.1 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण

आयोग के दिशा निर्देश:

आयोग ने वितरण कम्पनियों के निवेदन को नोट कर लिया है। पूर्व एवं पश्चिम वितरण कम्पनियों ने अभी तक कृषि वितरण ट्रॉसफार्मरों (डीटीआर) के 100% मीटरीकरण बाबत ठोस समयरेखा नहीं प्रस्तुत की है। आयोग उन्हें कृषि प्रधान वितरण ट्रॉसफार्मरों (डीटीआर) के 100% मीटरीकरण की समयरेखा तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने को निर्देशित करता है। आयोग सभी वितरण कम्पनियों को मीटरीकरण के तिमाही प्रगति पत्रक भेजने को भी निर्देशित करता है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकरणों का अनुपालन:

पूर्व क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि मीटरीकरण का त्रैमासिक प्रगति पत्रक आयोग के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रगति पत्रक की अंततम प्रस्तुति पत्र क्र.डिस्काम/ईजेड/इब्लूएस/2880 दिनांक 20 सितम्बर 2017 को की गई है।

मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि मीटरीकरण का त्रैमासिक प्रगति पत्रक आयोग के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जून17 एवं सितम्बर 17 को अंत होने वाली तिमाही का प्रगति पत्र क्र. 416 एवं 506 के माध्यम से पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

पश्चिम क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: मीटरीकरण का त्रैमासिक प्रगति पत्रक आयोग के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम, वितरण कम्पनी ने पत्र क्र. एमडी/इब्लूजेड/05/कॉम/ट्रेक/17124 दिनांक 25 अगस्त 2017 के माध्यम से कृषि प्रधान वितरण ट्रॉसफार्मरों (डीटीआर) के मीटरीकरण की योजना प्रस्तुत की है।

17.2 नवीन दर के आधार पर जारी प्रथम बिल के साथ टैरिफ कार्ड जारी करना

आयोग के दिशा-निर्देश:

आयोग ने वितरण कम्पनियों के निवेदन को नोट कर लिया है एवं निर्देशित किया है कि टैरिफ कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखी जाये।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालन:

पूर्व क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न श्रेणीयों की दरों से संबंधित जानकारी निम्न दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ़ कार्ड के माध्यम से एवं उच्चदाब उपभोक्ताओं को दर अनुसूची पुस्तिका उपलब्ध करा दी गई है।

मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न श्रेणीयों की दरों से संबंधित जानकारी निम्न दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ़ कार्ड के माध्यम से एवं सभी उच्चदाब उपभोक्ताओं को दर अनुसूची पुस्तिका उपलब्ध करा दी गई है।

पश्चिम क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न श्रेणीयों की दरों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गई थी। अग्रिम, सभी उच्चदाब उपभोक्ताओं को दर अनुसूची पुस्तिका उपलब्ध करा दी गई थी।

17.3 छूट / प्रोत्साहनों / अधिभारों का लेखांकन

आयोग के दिशा-निर्देश:

आयोग ने वितरण कम्पनियों के निम्नदाब तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये छूट / प्रोत्साहनों / अधिभारों पर किये गये निवेदन को नोट कर लिया है एवं वितरण कम्पनियों को एक व्यापक प्रतिवेदन आयोग के समक्ष अगली दर याचिका दायर करने के साथ प्रस्तुत करने को निर्देशित किया है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालन:

पूर्व क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि इस विषय पर एक व्यापक प्रतिवेदन, पहले ही, आयोग को ईमेल दिनांक 18 दिसम्बर 2017 के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि इस विषय पर एक व्यापक प्रतिवेदन, पहले ही, आयोग को दिनांक 14 दिसम्बर 2017 को पत्र क्र. एमडी/सीजेड/कॉम-॥।/1555 के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी का जवाब: याचिकाकर्ता एतदद्वारा निवेदन करता है कि इस विषय पर एक व्यापक प्रतिवेदन, पहले ही, आयोग को दिनांक 12 दिसम्बर 2017 को पत्र क्र. एमडी/इब्लूजेड/05/कॉम/ट्रेक/24011 के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है।

17.4 वोल्टेज-वार विद्युत प्रदाय की लागत अभिनिश्चित करने के लिये वितरण तंत्र का तकनीकि अध्ययनः

आयोग के दिशा-निर्देशः

आयोग ने वितरण कम्पनियों के निवेदन को नोट कर लिया है। आयोग वितरण कम्पनियों को आगामी दर याचिका के साथ विषयाक्ति अध्ययन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को निर्देशित करता है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालनः

पूर्व क्षेत्र/मध्यक्षेत्र/ पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का जवाब :- याचिकाकर्ता एतद् द्वारा निवेदन करता है कि वोल्टेज-वार विद्युत प्रदाय की लागत अभिनिश्चित करने के लिये वितरण तंत्र का तकनीकि अध्ययन तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को पृथक करने के अध्ययन से संबद्ध है। तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का अध्ययन बहुत ही जटिल एवं थकाऊ कार्य है। हालांकि, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को पृथक करने की कार्यप्रणाली अभिनिश्चित करने के लिये कुछ नमूना संभारकों को ले कर एक प्राथमिक अध्ययन किया गया है। अग्रिम, इस संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया जावेगा और इसके पश्चात ही वोल्टेज-वार विद्युत प्रदाय की लागत अभिनिश्चित करने के अध्ययन का प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

17.5 KWh से KVAh बिलिंग प्रणाली पर जाने के प्रभाव का आकलन :

आयोग के दिशा-निर्देशः

आयोग ने वितरण कम्पनियों के निवेदन को नोट कर लिया है। आयोग वितरण कम्पनियों को, अन्य राज्यों में जहाँ KVAh बिलिंग प्रचलन में है को देखते हुए व्यापक अध्ययन प्रतिवेदन आगामी दर याचिका के साथ प्रस्तुत करने को निर्देशित करता है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालनः

पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का जवाब :- याचिकाकर्ताओं ने अपने परार्मशदाता के माध्यम से एक अध्ययन सम्पन्न कराया है जिसमें उन्होंने कार्यप्रणाली सुझाई है। याचिकाकर्ता परार्मशदाता की अनुशंसाओं का विश्लेषण कर रहे हैं एवं इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन एक माह के अन्दर अन्दर पृथक से प्रस्तुत करेंगे।

17.6 न्यूनतम खपत दर की बिलिंग के प्रभाव का आकलन

आयोग के दिशा-निर्देशः

आयोग याचिका कर्ताओं को प्रत्येक श्रेणी के लिये न्यूनतम खपत दर बिलिंग के प्रभाव का आकलन करने एवं तीन माह के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देता है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालन:

पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का जवाब :- याचिकाकर्ताओं ने अपने परार्मशदाता के माध्यम से एक अध्ययन सम्पन्न कराया है जिसमें उन्होंने कार्यप्रणाली सुझाई है। याचिकाकर्ता परार्मशदाता की अनुशंसाओं का विश्लेषण कर रहे हैं एवं इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन एक माह के अन्दर अन्दर पृथक से प्रस्तुत करेंगे।

17.7 तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का पृथकरण

आयोग के दिशा-निर्देश:

आयोग वितरण कंपनियों द्वारा की गयी प्रस्तुती से सहमत नहीं है एवं उन्हें प्रतिनिधि नमूना आकार के साथ एक विस्तृत अध्ययन आगामी दर याचिका के समय प्रस्तुत करने को निर्देशित करता है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालन:

पूर्व क्षेत्र/मध्यक्षेत्र/ पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का जवाब :- याचिकाकर्ता एतद् द्वारा निवेदन करता है कि तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का अध्ययन बहुत ही जटिल एवं थकाऊ कार्य है तथा केवल अनुरूपण तकनीक द्वारा ही किया जा सकता है। तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को पृथक करने की कार्यप्रणाली अभिनिश्चित करने के लिये कुछ नमूना संभारकों को ले कर एक प्राथमिक अध्ययन किया गया है। अग्रिम, इस संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया जावेगा और परिणामों को आयोग के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

17.8 ट्रेडिंग मार्जिन (व्यापार उपांत) याचिका

आयोग के दिशा-निर्देश:

आयोग एम.पी.पी.एम.सी.एल. की प्रस्तुती से सहमत नहीं है एवं निर्देशित करता है कि ट्रेडिंग मार्जिन (व्यापार उपांत) के निर्धारण के लिये एक याचिका यथोचित आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 की दर याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व दायर करें।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालन:

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2260-एफ-3-24-2009-तेरह dt. 19/03/2013 के खण्ड (आईटम) क्रमांक 8(ii) के अनुसार म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी वितरण कम्पनियों को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दरों पर विद्युत प्रदाय कर रही है एवं उसके अपने खर्चे वास्त्विक आधार पर संबंधित वितरण कम्पनी के द्वारा आहरित की गई ऊर्जा के समानुपात में बाँटे जा रहे हैं।

एमपीपीएमसीएल “न-नफा न-नुक्सान” (नो प्राफिट नो लॉस) के आधार पर संचालन कर रही है। अतः अभी तक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, एमपीपीएमसीएल द्वारा प्राप्त सभी ऋणों जो एमपीपीएमसीएल की आय का हिस्सा हैं (जिन्हें एमपीपीएमसीएल प्रपत्रों के प्रपत्र S-1 में अन्य

आय में दर्शाया गया है) वितरण कम्पनियों को उनके द्वारा आहरण की जा रही ऊर्जा के समानुपात में उनकी विद्युत क्रय लागत के हिस्से स्वरूप पारित किया जा रहा है।

एमपीपीएमसीएल ने 5 जून 2012 को राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ “प्रबंधन एवं कार्पोरेट क्रिया अनुबंध” हस्ताक्षरित किया है, जिसमें यह सहमति हुई है की एमपीपीएमसीएल अन्य बातों के साथ-साथ समान प्रकृति के निम्न कार्य वितरण कम्पनियों के लिये संपादित करेगी:

- वितरण कम्पनियों के साथ परामर्श कर, दीर्घ-काल / मध्य-काल / लघु-काल योजना का जिम्मा लेना एवं तीनों वितरण कम्पनियों के लिये विद्युत क्रय आकलन तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम अनुसार ऊर्जा क्रय की संभावनाओं का अन्वेषण करना;
- एमपीपीएमसीएल के खर्चों को वितरण कंपनियों की विद्युत क्रय लागत के हिस्से स्वरूप सम्मिलित किया जाना माना गया है।

दिनांक 05 जून 2012 को एमपीपीएमसीएल एवं वितरण कंपनियों के मध्य हुये अनुबंध अनुसार एमपीपीएमसीएल के सभी खर्चों को वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत के हिस्से स्वरूप सम्मिलित किया गया है। अतः अभी तक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, एमपीपीएमसीएल द्वारा प्राप्त सभी ऋणों जो एमपीपीएमसीएल की आय का हिस्सा हैं, वितरण कम्पनियों को उनके द्वारा आहरण की जा रही ऊर्जा के समानुपात में उनकी विद्युत क्रय लागत के हिस्से स्वरूप पारित किया जा रहा है। अतः विद्युत कम्पनियों को विद्युत प्रदाय के प्रकरण में एमपीपीएमसीएल “न-नफा न-नुक्सान” (नो प्राफिट नो लॉस) के आधार पर संचालन कर रही है।

जैसे की ऊपर कहा गया, एमपीपीएमसीएल “न-नफा न-नुक्सान” (नो प्राफिट नो लॉस) के आधार पर संचालन कर रही है इसिलिये ट्रेडिंग मार्जिन (व्यापार उपांत) की गणना करना युक्तिसंगत नहीं होगा।

17.9 उपभोक्तावार विक्रय का पृथक लेखा

आयोग के दिशा-निर्देश:

आयोग याचिकाकर्ताओं को उपभोक्तावार विक्रय में वृद्धि का पृथक लेखा रखने का एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के इस प्रकार के लेखा को आगामी दर याचिका दायर कर्ने के साथ आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश देता है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालन:

पूर्व क्षेत्र कम्पनी का जवाब: वित्तीय वर्ष 2015-16 (प्रावधिक) एवं 2016-17 के लिये श्रेणीवार आँकड़े निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं:

टीसी	श्रेणी	विक्रय (पि.यू.)		वृद्धि
		वि.वर्ष 2015-16	वि.वर्ष 2016-17	

टीसी	श्रेणी	विक्रय (मि.श.)		वृद्धि
		वि.वर्ष 2015-16	वि.वर्ष 2016-17	
एलव्ही-1	घरेलू	3,422.58	3,766.11	343.53
एलव्ही-2	गैर-घरेलू	827.18	1,043.15	215.97
एलव्ही-3	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं पथ प्रकाश	290.29	423.52	133.22
एलव्ही-4	निम्न दाब औद्योगिक	294.28	392.55	98.27
एलव्ही-5.1	कृषि सिंचाई पम्प	5,229.32	4,832.15	-397.17
एलव्ही-5.2	कृषि संबंधित अन्य उपयोग	5.75	5.14	-0.61
	योग (निम्नदाब)	10,069.40	10,462.62	393.22
एचव्ही-1	रेल्वे कर्षण	442.6	-	-442.6
एचव्ही-2	कोयला खाने	468.77	460.02	-8.75
एचव्ही-3.1	औद्योगिक	2,291.36	1,853.72	-437.65
एचव्ही-3.2	गैर-औद्योगिक	228.1	245.16	17.06
एचव्ही-4	मौसमी	7.92	7.41	-0.5
एचव्ही-5.1	उच्चदाब सिंचाई	3.43	4.5	1.07
एचव्ही-5.2	उच्चदाब अन्य कृषि	14.61	13.98	-0.63
एचव्ही-5.3	उच्चदाब जल प्रदाय	81.4	81.13	-0.27
एचव्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	283.49	279.9	-3.59
एचव्ही-7	सिन्क्रोनाइजेशन एवं स्टार्टअप पावर	0.14	0.45	0.32
	योग (उच्चदाब)	3,821.83	2,946.28	-875.55
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	13,891.23	13,408.90	-482.33

मध्य क्षेत्र कम्पनी का जवाब: वित्तीय वर्ष 2015-16 (प्रावधिक) एवं 2016-17 के लिये श्रेणीवार आँकड़े निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं:

टीसी	श्रेणी	विक्रय (मि.श.)		वृद्धि
		वि.वर्ष 2015-16	वि.वर्ष 2016-17	
एलव्ही-1	घरेलू	3,453.53	3,503.39	49.86
एलव्ही-2	गैर-घरेलू	766.57	825.77	59.2
एलव्ही-3	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं पथ प्रकाश	305.44	325.89	20.45
एलव्ही-4	निम्न दाब औद्योगिक	238.79	252.88	14.1
एलव्ही-5.1	कृषि सिंचाई पम्प	6,047.04	4,345.97	-1,701.06
एलव्ही-5.2	कृषि संबंधित अन्य उपयोग	125.1	4.04	-121.06
	योग (निम्नदाब)	10,936.46	9,257.95	-1,678.52
एचव्ही-1	रेल्वे कर्षण	732.46	-	-732.46
एचव्ही-2	कोयला खाने	34.51	30.95	-3.57
एचव्ही-3.1	औद्योगिक	2,281.47	2,262.06	-19.41

टीसी	श्रेणी	विक्रय (मि.यू.)		वृद्धि
		वि.वर्ष 2015-16	वि.वर्ष 2016-17	
एचब्ही-3.2	गैर-औद्योगिक	389.97	404.85	14.89
एचब्ही-4	मौसमी	1.72	1.65	-0.07
एचब्ही-5.1	उच्चदाब सिंचाई	3.01	2.82	-0.19
एचब्ही-5.2	उच्चदाब अन्य कृषि	7.32	7.72	0.4
एचब्ही-5.3	उच्चदाब जल प्रदाय	163.16	180.29	17.13
एचब्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	161.57	160.38	-1.19
एचब्ही-7	सिन्क्रोनाइजेशन एवं स्टार्टअप पावर	0.45	0.47	0.01
	योग (उच्चदाब)	3,775.64	3,051.19	-724.45
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	14,712.11	12,309.14	-2,402.97

पश्चिम क्षेत्र कम्पनी का जवाब: वित्तीय वर्ष 2015-16 (प्रावधिक) एवं 2016-17 के लिये श्रेणीवार औँकड़े निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं:

टीसी	श्रेणी	विक्रय (मि.यू.)		वृद्धि
		वि.वर्ष 2015-16	वि.वर्ष 2016-17	
एलब्ही-1	घरेलू	3,582.37	3,690.36	107.99
एलब्ही-2	गैर-घरेलू	893.38	962.66	69.28
एलब्ही-3	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं पथ प्रकाश	379.69	432.76	53.07
एलब्ही-4	निम्न दाब औद्योगिक	546.97	561.69	14.73
एलब्ही-5.1	कृषि सिंचाई पम्प	7,357.70	7,995.96	638.26
एलब्ही-5.2	कृषि संबंधित अन्य उपयोग	1.6	1.31	-0.29
	योग (निम्नदाब)	12,761.72	13,644.75	883.03
एचब्ही-1	रेलवे कर्षण	366.02	-	-366.02
एचब्ही-2	कोयला खाने	-	-	-
एचब्ही-3.1	औद्योगिक	2,881.40	2,956.87	75.47
एचब्ही-3.2	गैर-औद्योगिक	398.9	417.13	18.23
एचब्ही-4	मौसमी	11.46	11.37	-0.09
एचब्ही-5.1	उच्चदाब सिंचाई	80.3	88.54	8.24
एचब्ही-5.2	उच्चदाब अन्य कृषि	6.74	6.98	0.24
एचब्ही-5.3	उच्चदाब जल प्रदाय	370.51	403.21	32.7
एचब्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	30.63	30.85	0.22
एचब्ही-7	सिन्क्रोनाइजेशन एवं स्टार्टअप पावर	0.45	5.49	5.04
	योग (उच्चदाब)	4,146.41	3,920.44	-225.97
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	16,908.13	17,565.19	657.06

17.10 पेंशन एवं सेवान्त प्रसुविधा न्यास में निधि का हस्तांतरण

आयोग के दिशा-निर्देशः

आयोग ने याचिकाकर्ताओं को 3 माहों के अन्दर विस्तृत शर्तों के साथ निधि के प्रबंधन के व्यवस्था तंत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

दिशानिर्देश पर याचिकाकर्ताओं का अनुपालनः

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (मंडल तथा उत्तराधिकारी ईकाइयों के कार्मिकों की पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2012 (जी 38 ऑफ 2012) का संबंधित खंड निम्नानुसार हैः-

“मंडल के विद्यमान पेंशन भोगियों तथा इसकी उत्तराधिकारी ईकाइयों के पेंशन भोगियों को सम्मिलित करते हुए, कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के निधियन की स्वीकृति इन विनियमों में निर्दिष्ट की गयी विधियों के अनुसार आयोग द्वारा उत्तराधिकारी ईकाइयों के संबंध में समय समय पर अवधारित टैरिफ के माध्यम से प्रदान की जायेगी।“

अग्रिम, विनियम 3(3) में प्रावधान है कि :-

“विद्यमान पेंशन भोगी जो दिनांक 01.06.2005 तक सेवानिवृत हो चुके हैं, से संबंधित उपरोक्त कंडिका (2)(i) में उल्लेखित दायित्वों को म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा तथा इस हेतु वांछित भुगतान राशि म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड के सुसंबद्ध वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी।“

उपरोक्तानुसार आयोग ने मंडल के विद्यमान पेंशन धारकों को सम्मिलित कर सभी कार्मिकों एवं उत्तराधिकारी ईकाइयों के पेंशनरों के हितों का संरक्षण किया है। आयोग का विनियम सभी कर्मचारियों का ध्यान रख रहा है एवं आज दिनांक तक इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं हुयी है।

अग्रिम, चूंकि म.प्र. की तीनों वितरण कंपनियां वित्तीय घाटे की स्थिती में हैं एवं कर्मचारियों के नियमित सेवान्त प्रसुविधाओं की पूर्ति विद्युत की खुदरा दरों से हो रही है। अतः खुदरा उपभोक्ताओं पर और अधिक भार डालते हुए सेवान्त प्रसुविधा न्यास का निधियन करना युक्तिसंगत नहीं होगा। इस मद में किसी भी अतिरिक्त अंश दान हेतु उच्च ब्याज दर पर उधार लेना होगा एवं जिसके सेवान्त प्रसुविधा न्यास में निवेश से नाम मात्र का ब्याज ही मिल सकेगा।

अतः जब भी कंपनियां वित्तीय लाभ की स्थिती में होंगी आयोग के उपरोक्त दिशा निर्देश का अनुपालन सेवान्त प्रसुविधा न्यास में निधियन करके किया जायेगा।